



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250890
CG-DL-E-26122023-250890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2023/अग्रहायण 29, 1945

No. 313]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2023/AGRAHAYANA 29, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार माहनिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या एडी (ओआई)- 14/2022

विषय: दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा-टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

एफ. संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद 'एडी नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' के रूप में संदर्भित)।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद इसे "संबद्ध

देश” के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल” (इसके बाद इसे “पीटीबीपी”, “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग की गई थी।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 21 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 6/14/2022- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को मैटिरियल रिटार्डेशन के रूप में कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

ख. प्रक्रिया

3. नीचे दी गई प्रक्रिया का जांच के संबंध में अनुसरण किया गया है:

- i) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ii) प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच शुरू की गई थी।
- iii) प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं/ और घरेलू उद्योग के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।
- iv) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई थी।
- v) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें।
- vi) प्राधिकारी ने उक्त देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच शुरू करने से संबंधित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की, जैसा कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके अनुरोधों को जानने का अवसर प्रदान किया:

क. एसआई ग्रुप इंक.

ख. एसआई ग्रुप-कोरिया लिमि.

ग. सौजित्ज कॉरपोरेशन

घ. टास्को कैमिकल कॉरपोरेशन

- vii) संबद्ध जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

क. एसआई ग्रुप इंक.

ख. एसआई ग्रुप-कोरिया लिमि.

- viii) डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लि., जो सिंगापुर से एक निर्यातक है, ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया और बाद में वर्तमान जांच से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया।

- ix) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए प्रश्नावली भेजी:

- क. कार्बोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया
 ख. चंद्रास केमिकल इंटरप्राइजेज
 ग. डीआईसी इंडिया लिमिटेड
 घ. एलान्टास बेक इंडिया लिमिटेड
 ड. इटरनल फाइन केमिकल्स लिमिटेड
 च. हूबरग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 छ. जे. किरीट एंड ब्रदर्स
 ज. मैक उद्योग
 झ. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 ञ. मेलॉग स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लिमिटेड
 ट. मिरिब केमिकल्स
 ठ. पॉलीओल्स एंड पॉलिमर्स प्रा. लिमि.
 ड. प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड
 ढ. राजशा केमिकल्स प्रा. लिमिटेड
 ण. टेक्रो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड
- x) संबद्ध जांच की शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोगकर्ताओं ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:
- क. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ख. इटरनीस फाइन केमिकल्स लिमिटेड
 ग. पॉलिमर्स एंड पॉलिसोल्स
- xi) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है:
- क. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ख. इटरनीस फाइन केमिकल्स लिमिटेड
 ग. पॉलिमर्स एंड पॉलिसोल्स
- xii) वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है।
- xiii) याचिका डीजीसीआई एंड एस द्वारा 2019-20 से जून 2022 तक की अवधि के लिए प्रकाशित आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी। प्राधिकारी द्वारा सिस्टम्स महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार विवरण, जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था, प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
- xiv) प्राधिकारी ने आवेदक से, आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे जानकारी मांगी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

- xv) प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से, आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे जानकारी मांगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर किया गया है।
- xvi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को ईमेल करें।
- xvii) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17 अगस्त, 2023 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित अनुरोध दर्ज करने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किया गया।
- xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सूचना, जिसके साथ जिस सीमा तक साक्ष्य प्रदान किया गया था और जिसे वर्तमान जांच के लिए संगत पाया गया था, उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।
- xix) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की है।
- xx) गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को अगोपनीय पाठ में गोपनीय पाठ का पर्याप्त सारांश प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- xxi) इस जांच में आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए एक प्रकटीकरण वक्तव्य जो वर्तमान अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है, 8 दिसंबर 2023 को इच्छुक पक्षों को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरणोत्तर विवरण प्रस्तुतियों पर इस अंतिम खोज अधिसूचना में प्रासंगिक पाए गए सीमा तक विचार किया गया है।
- xxii) इस अंतिम जांच परिणाम में ***, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उस पर विचार किया गया है।
- xxiii) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1यूएस डॉलर = 76.14 रुपए हैं।
- xxiv) इस दस्तावेज में निम्नलिखित संक्षिप्तियों का प्रयोग किया गया है:

क्र. सं.	संक्षिप्तियां	पूर्ण विवरण
क.	डीआई	घरेलू उद्योग
ख.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
ग.	पीयूसी	विचाराधीन उत्पाद
घ.	अधिनियम	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
ड.	नियमावली	सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण नियमावली, 1995
च.	अन्य हितबद्ध पक्षकार	वर्तमान जांच में भाग लेने वाले और पाटनरोधी जांच किए जाने

		का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार
छ.	याचिकाकर्ता/ अनुरोध	विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल)
ज.	एसआई गुप	एसआई गुप इंक., एसआई गुप-कोरिया लि. और एसआई गुप-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
झ.	ईआईक्यू	आर्थिक हित प्रश्नावली
ञ.	ईक्यूआर	निर्यातक प्रश्नावली उत्तर

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

- i) विचाराधीन उत्पाद पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल ("पीटीबीपी") है, जिसे 4 टर्श ब्यूटाइल फिनोल/ पी टर्श ब्यूटाइल फिनोल / पीटीबीपी केमिकल/ पैरा टर्श ब्यूटाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है। पीटीबीपी रासायनिक सूत्र (C₁₀H₁₄O) के साथ एक कार्बनिक गंध का योगिक है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक अलग फेनोलिक गंध होती है।
- ii) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल" है, जिसे पीटीबीपी के रूप में भी जाना जाता है।
- iii) पीटीबीपी कैमिकल आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटालीन की प्रतिक्रिया से भी तैयार किया जाता है। यह एक उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में फिनोल में आइसोमर ब्यूटेन के एक गैसीय को शामिल करके तैयार किया जाता है। 4 टर्श के निर्माण की प्रक्रिया में, आइसोब्यूटेन और फिनोल में ब्यूटाइल को तैयार करने की एक और विधि सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विधि पानी में फिनोल और टर्श ब्यूटोल का उपयोग करके है। संबद्ध वस्तु को 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- iv) इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से एक परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्साइल एसिटेट (पीटीबीसीएसए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन में एपोक्सी, कार्बोनेट रेजिन और फिनोलिक रेजिन सहित रेजिन की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए भी किया जाता है।
- v) पीयूसी के पिघले हुए (मोल्डन) और परत बने (फ्लेक) रूप, दोनों इस आवेदन के दायरे में आते हैं। घरेलू बिक्री पिघले हुए (मोल्डन) और परत बने (फ्लेक) दोनों रूपों में होती है। उत्पाद को सुखाने और उसके तापमान को कम करने की एक सरल विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पिघले हुए रूप को परत बने रूप में परिवर्तित किया जाता है। संबद्ध वस्तु मुख्य रूप से परत बने रूप में बेची जाती है। पिघले हुए रूप और परत बने रूप की लागत और मूल्य में अंतर न्यूनतम है। घनत्व परिवर्तन दर करीब 0.98 है। कुछ ग्राहक परत बने रूप में खतरनाक रसायन को न संभाल पाने के कारण एक अधिमन्य तौर पर पिघले हुए रूप में विचाराधीन वस्तु (पीयूसी) को खरीदते हैं।
- vi) याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। तथापि, प्रत्येक उत्पादक अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को ठीक करता है।

- vii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता दोनों का ही उपयोग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएं हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरुआत के चरण में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (इसके बाद "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) इस प्रकार था:

"3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पैरा - टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल" या "पीटीबीपी" है। पीटीबीपी को 4 टर्श ब्यूटाइल फिनोल/ पी टर्श ब्यूटाइल/ पीटीबीपी कैमिकल/ पैरा टर्श ब्यूटाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है।

4. रासायनिक सूत्र (C₁₀H₁₄O) के साथ एक कार्बनिक गंध वाला यौगिक है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक अलग फिनोलिक गंध होती है। पीटीबीपी कैमिकल को आमतौर पर फिनोल और आइसो ब्यूटाइलीन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है।

5. यह एक उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में आइसोमर ब्यूटेन के गैसीय फिनोल में शामिल करके तैयार किया गया है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से एक परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लो टेक्साइल एसिटेट (पीटीबीसीएसए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन में एपोक्सी, पॉलिकाबॉनेट रेजिन और फिनोलिक रेजिन सहित रेजिन की एक शृंखला के निर्माण के लिए भी किया जाता है।"

7. संबद्ध वस्तुओं को एचएस कोड 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी विवरणों द्वारा उत्पाद का आयात और सीमा शुल्क वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना शामिल है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. पीटीबीपी पिघले और फ्लेक रूपों में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद का पिघला हुआ और परत बना रूप, दोनों ही इस आवेदन के दायरे में आते हैं। संबद्ध मुख्य रूप से परत बने रूप में बेची जाती है। पिघले हुए और परत बने रूप, दोनों का उपयोग सामान्य है और इसका उपयोग पारस्परिक रूप से किया जा सकता है। पिघले हुए रूप और परत बने रूप की लागत और मूल्य में मामूली अंतर है।
9. यद्यपि संबद्ध वस्तु लंबे समय से घरेलू बाजार में उपयोग में है, तथापि आवश्यकताओं को पूरी तरह से आयात द्वारा किया गया था। संबद्ध वस्तुओं का कोई ज्ञात विकल्प नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने लगभग *** करोड़ रु. और ब्यूटाइल फिनोल के उत्पादन के लिए, विशेष रूप से पीटीबीपी के लिए *** करोड़ रु. की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं। आवेदक ने वर्ष 2014-15 में इस उत्पाद की कल्पना की और जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। जहां तक भारत में इसके उत्पादन का संबंध है, देश में संबद्ध वस्तु एक नया उत्पाद है।
10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु है। दोनों ही तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और तात्पर्य से संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है:

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) आवेदक ने जुलाई 2020 में संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इसके पहले, भारत अपनी घरेलू मांग के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से निर्भर था।
- ii) आवेदक, विचाराधीन उत्पाद का पहला और एकमात्र उत्पादक होने के नाते, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा रखता है।
- iii) घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के तहत घरेलू उद्योग के इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. वर्तमान जांच भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक के रूप में विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के अनुसार शुरू की गई है। आवेदक ने जुलाई 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। यह निर्विवाद है कि देश में संबद्ध वस्तुओं का कभी भी उत्पादन नहीं किया गया था, पूरी मांग आयात से पूरी हो रही थी और आवेदक के पास पहली बार स्थापित सुविधाएं हैं ताकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। प्राधिकारी ने विस्तार से इसकी जांच की है कि क्या क्षति जांच के तहत पाटनरोधी नियमों के अनुसार उद्योग नया है या नवजात उद्योग है।
15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से मंद कर रहा है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग नवजात अवस्था में है और उसने अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं किया है। आवेदक ने यह बताया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए वह संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है।
16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के इस दावे का विरोध नहीं किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है और न ही वह भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से संबंधित है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक कंपनी इस प्रकार से नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य के पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता**ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) याचिकाकर्ता ने याचिका के अनुबंध 3.1 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान प्रदान नहीं किया है।
- ii) याचिकाकर्ता ने सीआईएफ कीमत में समायोजन के लिए विचार किए गए मालभाड़ा के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है, जो व्यापार सूचना के अनुसार एक आवश्यकता है।
- iii) याचिकाकर्ता ने निर्यात बिक्री की मात्रा और मूल्य संबंधी आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया है।

- iv) याचिकाकर्ता ने अपनी परियोजना रिपोर्ट और विचाराधीन उत्पाद के लिए अनुमानित आर्थिक मापदंडों का प्रकटन नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- i) एसआई ग्रुप ने निर्यात मूल्य के निर्धारण के संबंध में पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में क्षति नहीं करने का तर्क भी पूरी तरह से गोपनीय दावा किया गया था।
- ii) परियोजना रिपोर्ट में व्यावसायिक स्वामित्व की जानकारी है, जिसका सारांश नहीं किया जा सकता है।
- iii) आयातित विचाराधीन उत्पाद में लिए कमोडिटी बाजार मूल्य के गोपनीय होने के रूप में गलत तरीके से दावा किया गया है।
- iv) इस दावे का पूरा आधार कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करने से कोई क्षति नहीं हो रही है, अस्वीकार है।

ड.3. प्राधिकारी की जांच

19. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार है:

"7. गोपनीय सूचना:

- (1) नियम के उपनियमों 6(2), (3) और (7)के उपनियम 12 नियम , (2)के उपनियम 15 नियम , (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम के 5 उपनियम(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे दावों की पर्याप्ता के संबंध में गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना के गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीय रूप में अपने व्यवसाय में संबंधित संवेदनशील जानकारी का दावा किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) वस्तु (कमोडिटी) की अस्थिर प्रकृति और जांच की अवधि के दौरान मूल्य में उतार-चढ़ाव आने के कारण, पूरी जांच की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्यों के भारित औसत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों की एक विकृत तुलना होगी। चूंकि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद कीमतों में व्यपक रूप से भिन्नता है, अतः लेन देन से लेनदेन या सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमतों की एक माह से माह की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की बाजार की प्रकृति और जांच की अवधि के दौरान कीमत में उतार-चढ़ाव को देखते हुए उपरोक्त प्रावधानों के तहत एक 'उचित तुलना' प्राप्त होगी।
- ii) शिपमेंट के समय जारी किए गए इन्वॉयस पर उल्लिखित मूल्य केवल इस बात को दर्शाता है कि अनुबंध/आदेश को जब दिया गया था, उस तारीख को अंतिम ग्राहक के साथ किस कीमत पर सहमति हुई थी। अतः एक उचित तुलना तब प्राप्त की जाएगी, जब किसी विशेष समय (जैसे एक माह) के दौरान घरेलू अनुबंध/आदेश के तहत किए गए सभी शिपमेंट की कीमतों की तुलना निर्यात बाजार के लिए एक सम दिनांकित अनुबंध/आदेश के तहत किए गए सभी शिपमेंट की कीमतों से की जाती है।
- iii) असंबद्ध आयातक/ग्राहक के विपरीत संबंधित आयातक की कीमतें भारत में प्रचालित बाजार मूल्य के साथ बैचमार्क नहीं करती। प्राधिकारी निर्यात कीमतों को प्रभावित करने वाली किसी भी संबद्धता/प्रतिपूरक व्यवस्था के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रासंगिक समायोजन लागू कर सकता है।
- iv) अधिनियम में निर्यात कीमत की परिभाषा के अनुसार, प्राधिकारी की यह प्रथा है कि वह संबंधित संस्थाओं के होने पर उत्पादक/निर्यातक और आयातक के बीच कीमतों पर भरोसा न करें।
- v) जिन कीमतों पर एसआई ग्रुप इंडिया को एसआई ग्रुप कोरिया और एसआई ग्रुप यूएसए द्वारा इसकी आंतरिक खपत के लिए निर्यात किया गया था, वे निर्यात कीमत की गणना के लिए भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि आयातों का गलत इन्वॉयस किया गया है और स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित कीमतों के कारण आयातों को कम करके आंका गया है।
- vi) भले ही लेन देन आर्म्स लेंथ कीमतों पर किए जाते हैं, लेकिन आर्म्स लेंथ के आधार पर स्थानांतरण मूल्य का मतलब यह नहीं है कि उक्त कीमतें बाजार की कीमतों को दर्शाती हैं। प्राधिकारी को भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात कीमतों पर विचार करना होगा ताकि निबल निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके क्योंकि किसी निर्यातक और उसमें संबद्ध आयातक के बीच निर्यात कीमत अविश्वसनीय हो सकती है।
- vii) जिन कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात एसआई ग्रुप इंडिया को उसकी खपत के लिए किया गया था, जिसका भारतीय बाजार में बिक्री के लिए कभी भी कोई इरादा नहीं था। अतः ये कीमतें भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रतिनिधिक नहीं हैं।
- viii) एसआई समूह, यूएसए, दक्षिण कोरिया और भारत के बीच की यह स्थानांतरण कीमत उनके बीच समझौते के आधार पर निर्धारित की जाती है और बाजार के दबावों से प्रभावित नहीं होती हैं।
- ix) सभी तीनों संस्थाओं के खातों को समूह स्तर पर समेकित किया जाता है, अतः अंतर- कंपनी लेनदेन समेकित खातों में दर्ज नहीं किए जाते हैं।
- x) सामान्य तौर पर कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली स्थानांतरण कीमत नीति तुलनीय अनियंत्रित कीमत निर्धारण विधि है। अंतर-कंपनी कीमत का निर्धारण विनिर्माण इकाई और तीसरे पक्ष के ग्राहकों के बीच समान लेनदेन के आधार पर किया जाता है।
- xi) संबद्ध कंपनी को अंतर-कंपनी स्थानांतरण कीमत, खरीदकर्ता संबद्ध कंपनी के उसी क्षेत्र (देश) में स्थित देशों में वितरित उसी या समान उत्पाद के लिए निकटतम तुलनीय तृतीय पक्ष निबल बिक्री कीमत पर आधारित है।

xii) निजी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है और इसलिए खातों की लेखा परीक्षा नहीं की जाती है।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i) याचिकाकर्ता ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत कीमत को उस कीमत का उपयोग करके निर्धारित की है, जिस पर उपभोक्ता ने कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम खपत के लिए याचिकाकर्ता से उत्पाद की खरीद की है। इस प्रकार याचिकाकर्ता से कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के लिए खपत कीमत के रूप में माना जाता है।
- ii) याचिकाकर्ता ने अन्य देशों से सिंगापुर आयात के संबंध में जानकारी एकत्र की है। यह देखा गया है कि सिंगापुर संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात कर रहा है। सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का आयात सिंगापुर के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं का खपत मूल्य भी है और इस प्रकार इसे सिंगापुर में प्रचालित सामान्य मूल्य के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है और सिंगापुर में आयात के औसत मूल्य को विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के रूप में माना है। इस प्रकार, सिंगापुर में आयातों को खपत कीमत के रूप में माना है।
- iii) कारखाना बाह्य कीमत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद प्रकाशित डीजीसीआई एंड एस डेटा से अपनाई गई जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की जानी चाहिए।
- iv) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि निर्यात एसआई ग्रुप इंडिया को किया गया था। अतः बिक्री संबंधित पक्षकार की है और इस प्रकार निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए और धारा 9क में प्रावधान है कि यदि संबंधित पक्ष की बिक्री है तो प्राधिकारी यदि कीमत भरोसेमंद नहीं है, तो निर्यात कीमत का निर्माण कर सकते हैं।
- v) प्रतिवादियों ने यह स्थापित नहीं किया है कि निर्यात कीमत कैसे भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि संबंध का अस्तित्व ही कीमत को अविश्वसनीय नहीं बना सकता है।
- vi) निर्यात कीमत का निर्माण करने की मांग करने वाले पक्ष पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि (क) कीमतें अविश्वसनीय हैं (अधिक तब, जब इसे पहले से ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विश्वसनीय माना गया है), (ख) निर्यात कीमत के निर्माण के लिए एक कार्यप्रणाली सुझाए। यदि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष यह घोषणा रही है कि कीमतें भरोसेमंद हैं और आर्म्स लेंथ में हैं, तो कीमतों के अविश्वसनीय होने का कोई आधार नहीं है।
- vii) प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि अनुबंध की तारीख को बिक्री की तारीख के रूप में माना जाना चाहिए, जो अप्रमाणित है। डीजीटीआर मैनुअल में कहा गया है कि सामान्यतः इनवॉयस की तारीख को, जैसा कि व्यापार की सामान्य अवधि के दौरान निर्यात अथवा उत्पादक के रिकार्ड पर रखा गया है, बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है।
- viii) प्रत्येक संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।
- ix) प्रतिवादी को प्रतिपूरक व्यवस्था प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और यह निर्यात मूल्य की गणना को प्रभावित करता है और यह स्थापित करता है कि कीमतें अविश्वसनीय हैं। इन कनसाइनमेंट की मंजूरी दिए जाने पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष क्या दावे किए गए थे, यह स्थापित करना चाहिए। निर्यात के निर्धारण की गणना से इन निर्यात लेनदेन की अनदेखी करना गैर कानूनी होगा।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने संबंध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीकों से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं:

- i) एसआई ग्रुप इंक.

- ii) एसआई ग्रुप- कोरिया लि.
25. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का विश्लेषण किया है।
26. एसआई ग्रुप ने यह दावा किया है कि भारत से संबंधित आयातक अर्थात् एसआई ग्रुप इंडिया को निर्यात की कीमत अविश्वसनीय है और इसलिए प्राधिकारी को निर्यात कीमत की गणना से उक्त कीमत को बाहर करना चाहिए। तथापि, जैसाकि पीटनरोधी करार के निम्नलिखित प्रावधान से स्पष्ट है, यह पूरी तरह से प्राधिकारी पर है कि वह एनईपी की विश्वसनीयता निर्धारित कर सकता है और यह अविश्वसनीयता का दावा करने के लिए निर्यातकों पर निर्भर नहीं करता है:
- ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या जहां संबंधित प्राधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच सहयोग या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है, तो निर्यात कीमत का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है, जिस कीमत पर आयातित उत्पादों को ऐसे तर्क संगत आधार पर, जो प्राधिकारी निर्धारित करे, पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है या यदि उत्पादों को एक स्वतंत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है, या आयात किए जाने की स्थिति में पुनः बिक्री नहीं की जाती है।*
27. अविश्वसनीयता का प्रश्न केवल उस मामले में उठता है, जहां निर्यातक उच्च निर्यात कीमत का दावा करने वाले पाटन संबंधी आरोपों से इंकार करता है। ऐसे मामलों में प्राधिकारी निर्यात कीमतों की विश्वसनीयता की जांच करता है जहां निर्यातक और आयातक के बीच एक सहयोग या प्रतिपूरक व्यवस्था है और प्राधिकारी इसे अविश्वसनीय पा सकता है। आवेदक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एसआई ग्रुप यूएसए और एसआई ग्रुप कोरिया भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जांच शुरू की। एसआई ग्रुप यूएसए और एसआई ग्रुप कोरिया द्वारा दायर किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त उत्पादक/ निर्यातक पाटन कर रहे हैं। भारत में संबंधित आयातक को कम निर्यात मूल्य की अविश्वसनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं है।
28. एसआई ग्रुप ने अधिनियम की धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (क) पर जोर दिया, जो निर्यात की कीमत का निर्धारण करता है:
- “किसी वस्तु के संबंध में “निर्यात” का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात मूल्य नहीं है या जहां निर्यात मूल्य सहयोगी या निर्यातक के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था, निर्यात मूल्य का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस पर आयातित वस्तुओं को पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है या यदि वस्तु की एक स्वतंत्र खरीदार को बिक्री नहीं की जाती है या आयात की गई स्थिति में बिक्री नहीं की जाती है, ऐसे उचित आधार पर जो उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है;”*
29. यह नोट किया जाता है कि एनईपी की अविश्वसनीयता के लिए एसआई ग्रुप द्वारा दिया गया कारण उपरोक्त धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) में दिए गए वैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं। एसआईग्रुप के अनुसार, एनआईपी की अविश्वसनीयता का दावा करने का आधार यह है कि एसआई ग्रुप दक्षिण कोरिया और एसआई ग्रुप यूएसए से आयातित विचाराधीन उत्पाद को गलत तरीके से इनवाँयस किया गया है और स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित गड़बड़ी होने के कारण इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। निर्यात कीमत सहयोग या निर्यातक व आयातक के बीच एक प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण नहीं है बल्कि स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित गड़बड़ियों के कारण से अविश्वसनीय है।
30. यह भी नोट किया जाता है कि एसआई ग्रुप के अपने अनुरोधों में भारत में संबंधित आयातक को अपने खातों की बहियों में बिक्री लेनदेन और आर्म्स लेंथ कीमत पर निर्यात की घोषणा की है। एसआई समूह ने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के बाद एसआई ग्रुप इंडिया को अपने निर्यात को अविश्वसनीय घोषित कर दिया है। प्रश्नावली के जवाब में इस तथ्य का कहीं खुलासा नहीं किया गया था।
31. यह भी नोट किया जाता है कि धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) में यह कहा गया है:

“किसी वस्तु के संबंध में “निर्यात” का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात मूल्य नहीं है या जहां निर्यात मूल्य सहयोगी या निर्यातक के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था, निर्यात मूल्य का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस पर आयातित वस्तुओं को पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है या यदि वस्तु की एक स्वतंत्र खरीदार को बिक्री नहीं की जाती है या आयात की गई स्थिति में बिक्री नहीं की जाती है, ऐसे उचित आधार पर जो उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है;”

32. धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) के तहत निर्यात कीमत के निर्माण से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य और प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित पक्षकारों को निर्यात कीमत में इस तरह से हेरफेर नहीं किया जाता है कि निर्यातक द्वारा वास्तविक पाटन पर कब्जा नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आयातक देश में उच्च मूल्य पर संबंधित पक्षकारों को निर्यात किया जाता है और ऐसे संबंधित पक्षकारों द्वारा बाद में कम कीमत पर पुनः बिक्री होती है तो यह स्पष्ट है कि संबंधित इकाई को वास्तविक उच्च निर्यात कीमत को निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए ‘सहयोग अथवा एक प्रतिपूरक व्यवस्था’ के कारण विश्वसनीय नहीं माना जा सका। ऐसी स्थिति में, संगत पक्षकार की वास्तविक निर्यात कीमत को अलग किया जाएगा और निर्यातक द्वारा पूरे पाटन पर कब्जा करने के लिए संगत संस्था की पुनः बिक्री कीमत के आधार पर निर्माण किया गया है।
33. तथापि, एक विपरीत स्थिति में, जब संबंधित संस्था को निर्यात कीमत असंबंधित संस्थाओं को निर्यात कीमत की तुलना में कम हैं, संबंधित संस्था को वास्तविक कम निर्यात कीमत को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में यह संदेह नहीं है कि भारत को कम निर्यात कीमत वास्तविक कीमत है और इसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। धारा 9 (क) (1) के स्पष्टीकरण (ख) का उद्देश्य और प्रयोजन निर्यातक को भारत में पाटन करने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के बाद जांच के उद्देश्य से अपनी निर्यात कीमत को काल्पनिक रूप से बढ़ाने का दूसरा अवसर प्रदान करना नहीं है।
34. यदि इसकी अनुमति है, तो निर्यातक सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने में सक्षम होगा कि भारत को इसका अधिकांश निर्यात भारत में अपनी संबंधित संस्था को बाजार कब्जाने के लिए सबसे कम संभव कीमत पर है और केवल कुछ निर्यात असंबंधित निर्यातकों को उचित और अप्रयुक्त कीमतों पर किए जाते हैं। इसके बाद, पाटनरोधी जांच के समय, निर्यातक यह दावा करने में सक्षम होगा कि संबंधित संस्था की कीमत अविश्वसनीय है और धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) के अनुसार पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए असंबंधित संस्था की कीमत पर भरोसा किया जाना चाहिए, जो कम या कोई पाटन नहीं दर्शाएगी, यह स्पष्ट है कि इस तरह की प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है और एसा धारा 9(क) (1) का इरादा और उद्देश्य नहीं हो सकता है। धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) की व्याख्या एक यांत्रिक तरीके से और इसके उद्देश्य व प्रयोजन की अनदेखी करके नहीं की जा सकती है। उरोक्त के मद्देनजर, एसआई ग्रुप द्वारा भारत को के गए सभी निर्यातों के लिए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में बताई गई कीमतों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने आगे कार्रवाई की है।
35. यह तर्क दिया गया था कि जिन कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात एसआई ग्रुप इंडिया को इसकी खपत के लिए किया गया था, उनका भारतीय बाजार में बिक्री के लिए कभी कोई इरादा नहीं था। इसलिए ये कीमतें भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पादन की प्रतिस्पर्धी बाजार कीमत के निर्धारण की प्रतिनिधिक नहीं है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि चूंकि संबंधित आयातक अर्थात् एसआई ग्रुप इंडिया द्वारा की गई खपत, कुल भारतीय मांग का हिस्सा है, अतः यह भारत में घरेलू मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। इसके अलावा, संबंधित आयातक ने क्षति अवधि में घरेलू स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की खरीद की है और भारतीय बाजार में जांच की अवधि में आयातित विचाराधीन उत्पाद की कुछ मात्रा भी बेची है।

च.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य:
 - i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

क. सिंगापुर

37. डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर से एक निर्यातक, एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है और बाद में वर्तमान जांच से अपनी भागीदारी वापस ले ली। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। आवेदक ने दावा किया कि सिंगापुर संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात कर रहा है। सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का आयात सिंगापुर के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की खपत कीमत भी है और इस प्रकार इसे सिंगापुर में प्रचलित सामान्य मूल्य के रूप में माना जा सकता है। आवेदक ने जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य के रूप में सिंगापुर में सिंगापुर से आयात की औसत कीमत पर विचार किया था। यह देखा गया है कि एचएस कोड 290719 के तहत आयात में गैर-विचाराधीन उत्पाद का सिंगापुर में आयात शामिल है। अतः आयात के औसत मूल्य को विचाराधीन उत्पाद की खपत कीमत के रूप में नहीं माना जा सकता और इसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आवेदक ने एसजीए और उचित लाभ के लिए अतिरिक्त उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य की जानकारी प्रदान की थी।
38. प्राधिकारी ने तदनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों को ध्यान में रखकर सिंगापुर के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. साउथ कोरिया

एसआई ग्रुप कोरिया लि.

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड, कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। एसआई ग्रुप कोरिया ने भारत में अपने संबंधित पक्षकार अर्थात् एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. के और साथ ही भारत में असंबद्ध ग्राहकों को भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
40. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी.टन पीटीबीपी की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारत में संबंधित पक्षकारों से किया गया निर्यात *** मी. टन है और भारत में असंबंधित पक्षकारों को किया गया निर्यात *** मी. टन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया का संचालन करते हैं। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक है, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन के सामान्य मूल्य को निर्धारण के लिए माना जाता है और यदि लाभकारी लेनदेन 80% से कम होते हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान मामले में चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्रियां

लाभकारी हैं, अतः सभी घरेलू बिक्रियों को सामान्य निर्धारित करने के लिए माना गया है। कंपनी ने क्रेडिट लागत और अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने दावा किया है कि मार्जिन को माह-दर-माह आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, हालांकि कंपनी ने माह-दर-माह आधार पर लागत प्रदान नहीं की है। लागत की जानकारी केवल तिमाही आधार पर उपलब्ध है। यह देखा गया है कि तिमाही आधार पर लागत में काफी अंतर नहीं होता है। इस प्रकार, एसआई ग्रुप कोरिया के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना जांच की अवधि में समग्र रूप से की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उनके मामलों में सामान्य मूल्य रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

ग. संयुक्त राज्य अमेरिका

एसआई ग्रुप इंक

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप इंक कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। एसआई ग्रुप इंक ने अपने संबंधित पक्षकार अर्थात् एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लि. को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और साथ में भारत में असंबंधित ग्राहकों को भी निर्यात किया है।
43. एसआई ग्रुप यूएसए ने प्रश्नावली उत्तर दर्ज किया है। कंपनी ने भारत को *** मी. टन का निर्यात किया है। भारत को निर्यात किए गए *** मी. टन में से, *** मी. टन असंबद्ध निर्यातकों को निर्यात किया गया है और *** मी. टन संगत पक्षकार अर्थात् एसआई ग्रुप इंडिया को निर्यात किया गया है, जिसमें कुल निर्यातों का ***% शामिल है। जिस कीतम पर एसआई ग्रुप इंडिया और अन्य असंबद्ध पक्षकारों को निर्यात किया गया है, उसमें काफी अंतर है।
44. एसआई ग्रुप इंक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन पीटीबीपी की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं बिक्री की हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में हैं। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है। घरेलू बिक्री का 80% से अधिक लाभदायक है, अतः सभी बिक्रियों को सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए माना गया है। कंपनी ने क्रेडिट लागत और अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति है। तदनुसार, एसआई ग्रुप इंक के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।
45. निर्यातक ने यह दावा किया है प्राधिकारी को माह-दर-माह आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना करके पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए। यह दावा किया गया है कि प्रमुख इनपुट की लागत विचाराधीन उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भले ही कंपनी ने दावा किया हो कि मार्जिन माह-दर-माह आधार पर निर्धारित किया जाना है। कंपनी ने मासिक आधार पर लागत के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः दावे में तथ्यात्मक साक्ष्य का अभाव है। लागत की जानकारी केवल तिमाही आधार पर उपलब्ध है। यह देखा गया है कि तिमाही आधार पर लागत में काफी अंतर नहीं होता है। इस प्रकार एसआई ग्रुप इंक के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना जांच की अवधि के लिए समग्र रूप से की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उनके मामलों में सामान्य मूल्य रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

च.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण**क. सिंगापुर**

47. डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमि., सिंगापुर के एक निर्यातक ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया और बाद में वर्तमान जांच में अपनी भागीदारी वापस ले ली। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा उपलब्ध कराए गए आयातों के डेटा के अनुसार, जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। ये मूल्य समायोजन विदेशी उत्पादकों के असहयोग को देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के आधार पर किए गए हैं। इस प्रकार निर्यात मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. दक्षिण कोरिया**एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड**

48. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को ***एमटी पीटीबीपी का निर्यात किया है। एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, क्रेडिट लागत, दावा व्यय और अंतर्देशीय परिवहन के संबंध में समायोजन करने का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।
49. एसआई ग्रुप कोरिया ने यह कहा है कि एसआई ग्रुप कोरिया के निर्यात मूल्य की तुलना लेनदेन से लेनदेन पर सामान्य मूल्य के साथ की जानी चाहिए, या अनुबंध/आदेश की तारीखों के आधार पर माह-दर-माह आधार पर की जानी चाहिए। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। निर्यातकों ने माह-दर-माह आधार पर तुलना के लिए लागत पर जानकारी प्रदान नहीं की है। प्रदान की गई तिमाही सूचना में महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकारी ने इनवाँयस की तारीख पर विचार किया है, जैसा कि सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान रखे गए, निर्यातकों या निर्यातकों के रिकार्ड में दर्ज किया गया है, उसे बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है। यह संतोषजनक रूप से नहीं दर्शाया गया है कि बिक्री की तारीख निर्धारित करने के उद्देश्य से इनवाँयस की तारीख पर क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए।
50. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य, कंपनी द्वारा किए गए सभी निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया गया है और ऐसे निर्यात की मात्रा और मूल्य पर विचार किया गया है। उक्त निर्यात मूल्य को कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य व निर्धारित करने के लिए निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों के लिए समायोजित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत

51. कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। इस प्रकार से विचार की गई निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ग. संयुक्त राज्य अमेरिका**एसआई ग्रुप इंक**

52. एसआई ग्रुप इंक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन पीटीबीपी का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप इंक द्वारा दायर किए गए उत्तर की पुष्टि की है, जिसमें कि उसने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, क्रेडिट लागत, दावा व्यय और अंतर्देशीय परिवहन के संबंध में समायोजन करने का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।
53. एसआई ग्रुप इंक ने यह कहा है कि एसआई ग्रुप इंक की निर्यात कीमत की तुलना अनुबंध/आदेश की तिथियों के आधार पर लेनदेन-से-लेनदेन या माह-दर-माह आधार पर सामान्य मूल्य के साथ की जानी चाहिए। हालांकि

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्यातकों ने माह-दर-माह आधार पर तुलना के लिए लागत पर जानकारी प्रदान नहीं की है। प्रदान की गई तिमाही जानकारी में महत्वपूर्ण भिन्नता दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा, पिछले मामलों में प्रक्रिया के समान ही, प्राधिकारी ने इनवायस की तारीख पर विचार किया है, जैसा कि सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान रखे गए, निर्यातक या निर्माता के रिकार्ड में दर्ज किया गया है, इसे बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है।

54. एसआई ग्रुप इंक के लिए निर्यात कीमत कंपनी द्वारा किए गए सभी निर्यातों के आधार पर ऐसे निर्यातों की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। उक्त निर्यात कीमत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों के लिए समायोजित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत

55. संयुक्त राज्य अमेरिका से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। इस प्रकार विचार की गई निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

56. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक/ देश	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
				यूएस डॉलर/ मी.टन	यूएस डॉलर/ मी.टन	यूएस डॉलर/ मी.टन
1	सिंगापुर	*** (सीएनवी के आधार पर)	***	***	***	40-50
2	कोरिया	***	***	***	***	
I	एसआई ग्रुप कोरिया	***	***	***	***	40-50
II	अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	50-60
3	संयुक्त राज्य अमेरिका	***	***	***	***	
I	एसआई ग्रुप इंक	***	***	***	***	280-290
II	अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	380-390

छ. क्षति निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके ,पाटित आयातों की मात्रा ..." प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता "... हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयात ,ों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

58. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) एक 'स्थापित' उद्योग का निर्धारण 'सकारात्मक साक्ष्य' और विश्वसनीय तथ्यों से प्राप्त उचित मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर) जांच के अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी ने कहा है कि एक विकासशील या नवजात उद्योग के मामले में मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच उन उद्योगों पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक बाजार में स्वयं को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया है।
- ii) डब्ल्यूटीओ पैनल में पाया था कि मौजूदा उद्योग के भीतर एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत जरूरी नहीं की, एक नया उद्योग बनाया जाए। मौजूदा आवसंरचना के साथ ओवरलैप होने की मात्रा एक नए उद्योग की स्थापना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही, डीजीटीआर द्वारा डीसीसी मामले में भी विचार किया जाता है।
- iii) चीन जन.गण. ताइवान, और वियतनाम से विनाइल टाइल के मामले में- डीजीटीआर ने यह पाया कि केवल विनिर्माण इकाई वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड (डब्ल्यूएफएल) एक नवजात उद्योग है न कि बिक्री संस्था वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड लिमिटेड (डब्ल्यूजीबीएल) है।
- iv) वीओएल, चूंकि रसायन के कारोबार में एक मौजूदा भागीदार है। अतः उसने एक नई उत्पाद लाइन शुरू करने को चुना है। यह संभावना है कि वे उत्पाद बेचने में मौजूदा अवसंरचना जैसे ग्राहक संपर्क और वितरण चैनलों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, नई उत्पाद लाइन की शुरुआत आवश्यक रूप से एक नया उद्योग नहीं होता।
- v) प्रतिवादी ने यह तर्क दिया है कि अन्य उत्पाद लाइनों और पैरा-टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी) लाइन के लिए उपयोग की जाने वाली आवसंरचना में ओवरलैप की एक मात्रा है, जो यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या पीटीबीपी को 'नया उद्योग' माना जा सकता है।
- vi) विनाती कई प्रकार के ब्यूटाइल फिनोल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः इनकी जांच की जानी चाहिए कि क्या इसकी समर्पित क्षमता विनिवेश है और क्या वित्तपोषण और व्यवहार्यता अध्ययन विशेष रूप से जांच की अवधि के लिए किए गए थे।
- vii) जैसे ही वे एक निश्चित उत्पाद का उत्पादन शुरू करते हैं और ऐसी स्थिति में जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन था, किसी भी उद्योग में बाजार पर कब्जा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्योग को 6-9 माह के लिए गुणवत्ता संबंधी जांच से गुजरना पड़ता है। जांच की अवधि के दौरान, विनाती ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में लगभग 46% और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में लगभग 40% बाजार हिस्सेदारी हासिल की और वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 39% बाजार हिस्सेदारी है। डब्ल्यूटीओ पैनल में यह कहा कि 40% और उससे अधिक बाजार हिस्सेदारी स्थिरता और स्थापना को इंगित करती है।
- viii) इन डीजीटीआर मामलों में यह भी माना गया है कि कम बाजार हिस्सेदारी के मामलों में मैटिरियल रिटार्डेशन है:
 - क) वेनिर्ड फ्लोरिंग- आयातों का बाजार में काफी हिस्सा था। घरेलू उद्योग का हिस्सा 17% (वार्षिक)
 - ख) पीवीसी फ्लेक्स- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 15% (वार्षिक) तिमाही आधार पर अधिकतम 26%, क्षमता उपयोग 30%
 - ग) इलैक्ट्रोग्लेवनाइज्ड स्टील- तिमाही आधार पर 24% हिस्सा अधिकतम
 - घ) बिना बुना फैब्रिक- घरेलू उद्योग का 10% बाजार हिस्सा (वार्षिक)
- ix) यद्यपि याचिकाकर्ता का पीबीआईटी लगभग पूरी क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक बना हुआ है, आरओआई, जो कि पीटीआईटी है, क्योंकि नियोजित पूंजी का प्रतिशत पूरी क्षमता अवधि के दौरान नकारात्मक रहा है।
- x) जांच की अवधि के बाद याचिकाकर्ता के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है, क्योंकि

- xi) परियोजना रिपोर्ट ब्यूटाइल फिनोल संयंत्र के लिए थी और विचाराधीन उत्पाद के लिए व्यक्तिगत उत्पादन लाइन के लिए कोई अनुमान नहीं दिया गया था। इसे वर्ष 2016 में तैयार किया गया था और परियोजना रिपोर्ट में अनुमान वर्ष 2016 में बाजार की स्थिति के अनुसार थे।
- xii) याचिकाकर्ता ने केवल इनपुट कीमतों में उचित समायोजन किया है, न कि अनुमानित बिक्री की मात्रा में, कोविड के कारण 2016 के बाद प्रभावित हुई है।
- xiii) कोविड-19 महामारी, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट में समायोजन किया जाना है।
- xiv) लॉकडाउन का भी प्रभाव है, भले ही संयंत्र को बंद नहीं किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। श्रमिकों के प्रवास के कारण कम क्षमता के उपयोग के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया था।
- xv) याचिकाकर्ता को अपने कुल कारोबार में नुकसान और गिरावट का सामना करना पड़ा। वे केवल विचाराधीन उत्पादन के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं कर सकते।
- xvi) याचिकाकर्ता को अपनी कीमत में अंतर्राष्ट्रीय माल दुलाई और आयात शुल्क लागत को कारक नहीं बनाना चाहिए, ताकि वह भारतीय बाजार में कम कीमतों की पेशकश कर सके। वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान माल दुलाई लागत में लगभग 10 गुणा वृद्धि हुई थी।
- xvii) एसआई ग्रुप ने ब्यूटाइल फिनोल में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित बाजार अनुसंधान रिपोर्टों का हवाला दिया है:
- क. आनंद राठी रिपोर्ट: ब्यूटाइल फिनोल संयंत्र मुख्य रूप से मूल्य वर्धित उत्पादों (एंटी ऑक्सिडेंट) के उत्पादन के लिए 45% तक सीमित रूप से उपयोग किया जाता है।
- ख. आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट- ब्यूटाइल फिनोल सेगमेंट में विनाती का असाधारण प्रदर्शन
- ग. चोला वेल्थ की रिपोर्ट- विनाती की क्षमता विस्तार योजनाओं का मुख्य उद्देश्य एंडी ऑक्सिडेंट का निर्माण करना था।
- xviii) निर्यातकों ने व्यापार के अवसर खो दिए हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ता की कम कीमतों से मेल खाने में असमर्थ थे। सैम्पल ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि ग्राहक मूल्य मिलान के लिए कह रहे हैं और प्रतिवादियों की, याचिकाकर्ता की मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण सौदों को सुनिश्चित करने में असमर्थता है।
- xix) वर्ष 2019 की शुरुआत से, आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए कमोडिटी बाजार मूल्य आयातित विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमतों के अनुरूप था। जुलाई, 2020 में जब विनाती के बाजार में प्रवेश किया था, तो कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। जनवरी 2021 तक, कच्चे माल और समुद्री मालभाड़ा की लागत में वृद्धि होने के कारण आयात की कीमतों में काफी वृद्धि होने लगी थी।
- xx) याचिकाकर्ता के प्रतिस्पर्धियों ने उत्पाद की गुणवत्ता, आपूर्ति की विश्वसनीयता और विनाती के बाजार की प्रमुख कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमतों को कम करने के कारण ग्राहकों को बनाए रखा।
- xxi) आइसो ब्यूटाइलेन के उत्पादन के लिए मिथाइल टर्श- ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई) का उपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता की पसंद, जिसमें रूस- यूक्रेन युद्ध से उपजी गैस और गैसोलीन की मांग के कारण लागत में वृद्धि हुई, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की उच्च लागत में वृद्धि हुई।
- xxii) याचिकाकर्ता ने उत्पादित विभिन्न उत्पादों के लिए क्षमताओं के आधार पर किए गए सामान्य खर्चों को आबंटित किया है। प्राधिकारी को खर्चों को आबंटित करने के आधार पर शुद्धता का मूल्यांकन करना चाहिए।
- xxiii) याचिकाकर्ता 4 प्रकार के ब्यूटाइल फिनोल का निर्माण करता है, जिसे उत्प्रेरक को बदलकर और मोलर अनुपात परिवर्तित करके उसी उत्पादन लाइन पर निर्मित किया जा सकता है। वीएपीएल के साथ विनाती का विलय करके, विनाती अपनी ब्यूटाइल फिनोल क्षमता को आंतरित कर सकता है, ताकि आगे

डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण के लिए अपनी कैप्टिव खपत की पूर्ति कर सके। इससे विचाराधीन उत्पाद कर एक मांग आपूर्ति अंतर उत्पन्न होगा।

- xxiv) तैयार वस्तुओं में डब्ल्यूआईपी को शामिल करना एक गलत पद्धति है।
- xxv) याचिकाकर्ता को अपने उत्पादन आउटपुट, उत्पादन गुणवत्ता के साथ संबद्ध आयात से असंबंधित आंतरिक मामलों का सामना करना पड़ा है और ग्राहकों के साथ अपने उत्पादों को योग्य बनाना था। ग्राहकों के साथ, योग्यता प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 6 से 9 माह लगते हैं। सितंबर, 2022 में शुरू होने वाले उत्पादन आउटपुट की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे शिपमेंट में देरी हुई और यहां तक कि रखरखाव के लिए संयंत्र बंद हो गया।
- xxvi) अपने संयंत्र को प्राप्त करने और स्वीकार्य तौर पर चलाने के लिए शटडाउन विनाती की समस्या का एक अन्य लक्षण है। घरेलू विचाराधीन बाजार की आपूर्ति करने की क्षमता का दावा करने के बावजूद, विनाती की गुणवत्ता और आपूर्ति की समस्या ग्राहकों की जरूरतों की पूर्ति करने की उनकी क्षमता के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।
- xxvii) महाराष्ट्र में जांच की अवधि के दौरान कोविड के चलते कई लॉकडाउन थे। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ता है, भले ही संयंत्र को बंद नहीं किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
- xxviii) विनाती ने याचिका के पैरा 9 में कहा है कि विचाराधीन उत्पाद पर लागू मूल सीमा शुल्क 75% है। हालांकि याचिका के अनुबंध-ख में विनाती ने दक्षिणी कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के भूमि मूल्य की गणना करते समय सीमा शुल्क को "शून्य" माना है।
- xxix) विनाती ने अनुकूलतम उपयोग पर विचार करते अनुमानिक (नोशनल) उत्पादन तक पहुंचने के लिए अपनाई गई कोई भी कार्यप्रणाली प्रदान नहीं की गई है।
- xxx) प्रचालन के पहले वर्ष में 80% बाजार हिस्सेदारी के बेंचमार्क से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुमान अवास्तविक हैं।
- xxxi) जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है।
- xxxii) प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि विनाती द्वारा दावा की गई ब्रेकईवन थ्रेसहोल्ड क्या है और क्या ऐसी सीमा उचित है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत क्षति की अवधि के दौरान भिन्न है।
- xxxiii) याचिकाकर्ता इस विश्लेषण में समान परिभाषा का उपयोग नहीं कर सकता है कि क्या पीटीबीपी की उत्पादन सुविधाओं और विनाती द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों में ओवरलैप है। परिभाषा यह पहचानने के उद्देश्य के लिए है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु जांच के अधीन वस्तु के समान है।
- xxxiv) यदि प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि याचिकाकर्ता पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है और जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान जांच में याचिका में मैटिरियल रिटार्डेशन का आरोप लगाया गया है, तो प्राधिकारी वास्तविक क्षति की जांच नहीं कर सकते।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

59. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया था:

- याचिकाकर्ता ने 4 बूटाइल फिनोल के लिए लोट में एक नया संयंत्र स्थापित किया है। पीटीबीपी के पास *** मी. टन में से करीब *** मी. टन आबंटित क्षमता है।
- ब्यूटाइल फिनोल के उत्पादन के लिए उपयोग की जा रही भूमिका भूखंड 2014-15 में विस्तार या विविधीकरण के उद्देश्य से खरीदा गया था। इस प्रकार, ब्यूटाइल फिनोल के लिए उपयोग की जाने वाले भूमि अलग है और पहले से मौजूदा उद्योग से किसी भी ओवरलैप के बिना है, जो लोट साइट में अन्य उत्पादों का निर्माण करता है।

- iii) जुलाई 2020 में, आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू होने से पहले, भारत में पीटीबीपी का कोई उत्पादन नहीं था। भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग आयात से पूरी हो रही थी, जो अधिकांशतः संबद्ध देशों से थी।
- iv) जबकि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन जारी है, क्षमता उपयोग भी उप-ईष्टतम स्तर पर जारी है। याचिकाकर्ता ब्रेक ईवन प्वाइंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- v) याचिकाकर्ता केवल उस सीमा तक बिक्री प्राप्त कर सकता है, जब तीसरे देशों ने बाजार को खाली कर दिया और महत्वपूर्ण वित्तीय हानि उठाने के लिए विवश हो गया।
- vi) याचिकाकर्ता के लिए पहले से मौजूदा क्षेत्र में नए उद्योग के लिए एक नया बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया था।
- vii) अन्य उत्पादों के लिए पहले से मौजूद क्षेत्र में नए उद्योग के लिए एक नया बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया था।
- viii) याचिकाकर्ता ने पहले फार्मास्यूटिकल्स के साथ कारोबार किया, अब परफ्यूमरी और रेजिन में कारोबार किया है। पीटीबीपी संयंत्र मौजूदा भूमि का नया विस्तार है और विभिन्न यूटिलिटी का उपयोग कर रहा है। उपरोक्त और वितरण चैनल अलग-अलग है।
- ix) इस अवधि में 80% के लक्षित/ अपेक्षित/ प्राप्त/ उचित स्तरों की तुलना में जांच की अवधि में बाजार की हिस्सेदारी केवल *** थी।
- x) क्षमता उपयोग वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के तुरंत बाद घटकर *** हो गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नए उत्पाद की क्षमता के उपयोग में वृद्धि के बाद गिरावट आएगी।
- xi) डब्ल्यूटीओ मामला पूरे एक साल की अवधि के लिए बाजार हिस्सेदारी का हवाला देता है न कि विशिष्ट तिमाही के लिए। दैनिक रिपोर्ट ने बाजार हिस्सेदारी की स्थिरता की जांच करते समय उत्पाद की प्रकृति के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
- xii) उत्पाद और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने स्थापना के पहले वर्ष में उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के उच्च स्तर का अनुमान लगाया था, जो आयात के कारण संभव नहीं था।
- xiii) घरेलू उद्योग ने असंबद्ध देशों द्वारा खोई गई मात्रा की सीमा तक लगभग मात्रा को प्राप्त कर लिया है और संबद्ध देशों ने मांग में वृद्धि की सीमा तक मात्रा प्राप्त कर ली है।
- xiv) आयातों की मात्रा में वृद्धि देखी गई है और फिर क्षति की अवधि में कुछ गिरावट आई है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के साथ ही आयातों की मात्रा में काफी गिरावट आई होनी चाहिए थी। हालांकि, आयातों की मात्रा काफी अधिक रही। इस प्रकार, आयातों की मात्रा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण है।
- xv) याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि परियोजना की कल्पना किए जाने पर प्रचलित लक्ष्य कीमतों और कीमतों को ध्यान में रखते हुए कीमत कटौती का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह वे कीमतें थीं, जिन पर परियोजना पर निर्णय लेते समय घरेलू उद्योग ने विचार किया था। यह दिखाएगा कि आयात के कारण महत्वपूर्ण मूल्य में कमी हो रही है, जिससे घरेलू उद्योग को उन अनुमानित कीमतों को लक्षित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।
- xvi) इस अवधि में बिक्री और बिक्री कीमत की लागत में वृद्धि हुई है, हालांकि बिक्री मूल्य बिक्री की लागत के स्तर से भी कम है। आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से काफी कम है। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव आया है।
- xvii) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उत्पादन काफी कम स्तर पर है और स्थापित मांग क्षमता से बहुत कम है।
- xviii) उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन सुविधाओं का उपयोग उस सीमा तक करने से रोक दिया है, जो पाटन के अभाव में हो सकती थी।

- xix) घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक हानिकारक बिक्री मूल्य की पेशकश के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में सामग्री बेचने में सक्षम नहीं है।
- xx) उत्पादन और बिक्री ने उत्पादन शुरू होने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में वृद्धि दिखाई है, हालांकि यह ईष्टतम स्तर से काफी कम है। घरेलू उद्योग संयंत्र की स्थापना के समय अपने द्वारा नियोजित ईष्टतम स्तरों के लिए अपने उत्पादन और क्षमता उपयोग को बढ़ाने में सक्षम नहीं है।
- xxi) याचिकाकर्ता ने अपने संचालन के पहले वर्ष में निवेश पर लाभ, नकद लाभ और सकारात्मक प्रतिफल अर्जित करने का अनुमान लगाया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के देश में पाटन के कारण काफी वित्तीय हानि हो रही है।
- xxii) इलेक्ट्रोलेवेनाइज्ड स्टील मामले में घरेलू उद्योग के पास अपने संचालन के पहले वर्ष में भी लाभ था और प्राधिकारी ने अभी भी कहा है कि उसे क्षति का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वास्तविक लाभ अपेक्षित लाभ की तुलना में कम हो गया था। इस प्रकार, मात्रा संबंधी मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार इस तथ्य के कारण नहीं है कि यह आयातों से क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- xxiii) घरेलू उद्योग का वास्तविक प्रदर्शन उस स्तर से काफी कम है, जैसा कि संयंत्र की स्थापना के दौरान अनुमानित किया गया था। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग को अपने लक्षित परिणामों को हासिल करने से रोक दिया है।
- xxiv) अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है। वास्तव में याचिकाकर्ता ने अन्य देशों द्वारा खोई गई मात्रा को प्राप्त कर लिया है।
- xxv) क्षति की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे हालिया अवधि में मांग में कुछ गिरावट आई थी, घरेलू उद्योग को क्षति उस कारण से नहीं हो सकती थी, क्योंकि उत्पादन और बिक्री मांग के स्तर से काफी कम है।
- xxvi) घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक से तुलनीय है। विनिर्माण प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- xxvii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xxviii) ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है, जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति में योगदान दे सके।
- xxix) उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास दावा की गई चोट का कारक नहीं है।
- xxx) प्रदान किया गया क्षति संबंधी डेटा, पूरी तरह से घरेलू उद्योग के घरेलू संचालन को संदर्भित करता है और निर्यात प्रदर्शन के प्रभाव को अलग कर दिया गया है।
- xxxi) प्रदान किया गया क्षति संबंधी डेटा, पूरी तरह से विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः दावा की गई क्षति अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के कारण नहीं है।
- xxxii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद भी, आयातों की मात्रा अधिक बनी हुई है। सामान्य बाजार स्थितियों में, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के साथ ही आयातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई होगी।
- xxxiii) उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को रोक रहा है और इसलिए घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का ईष्टतम स्तर तक उपयोग करने में असमर्थ है।
- xxxiv) आयातों से कीमतें कम हो रही हैं। कीमतों में कमी से घरेलू उद्योग को लागत और उचित लाभ की सीमा तक कीमतें बढ़ाने से रोक दिया गया है।
- xxxv) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

- xxxvi) संबद्ध देशों से आयात का भूमि मूल्य संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की वर्तमान और अनुमानित लागत से कम है।
- xxxvii) भले ही घरेलू उद्योग के पास देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है लेकिन आयात बाजार में बहुमत हिस्सेदारी रखता है, और घरेलू बाजार अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है।
- xxxviii) वर्ष 2016 में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए पूर्ण-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रदान की गई थी, जिसे बाद में संशोधित किया गया था। पूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट संख्या को लागत और परियोजना समय-सीमा के आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पर्यावरणीय मंजूरी तेजी से प्राप्त होने की उम्मीद थी। हालांकि यह केवल मार्च, 2018 में प्राप्त हुआ था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मार्च, 2019 में स्थापित करने की सहमति प्राप्त की और उसके बाद मार्च, 2020 में कार्य करने की सहमति प्राप्त की। ब्यूटिल फिनोल संयंत्र के लिए अनुमानित निवेश को स्थापित क्षमता के आधार पर पीटीबीपी संयंत्र में विभाजित किया गया है।
- xxxix) कोविड-19 के कारण कच्चे माल की उपयोगिता मूल्य में कोई भी वृद्धि एक वैश्विक घटना होगी। बिक्री मूल्य इसी वृद्धि के कारण होना चाहिए था, लेकिन कम कीमत के आयातों के कारण इसे रोका गया था।
- xl) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि याचिकाकर्ता कोविड के कारण टर्नओवर और लाभ में गिरावट का सामना कर रहा था और फिर यह दर्शाने के लिए बाजार की रिपोर्ट का हवाला देता है कि याचिकाकर्ता ब्यूटाइल फिनोल और अन्य उत्पादों में लाभ कमा रहा था। पक्षकार याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर अपने स्वयं के बयानों का खंडन कर रहे हैं।
- xli) वस्तुओं की बढ़ती आयात कीमतों से याचिकाकर्ता को लाभ होना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी नुकसान का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग को आदर्श रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए था, क्योंकि यह निकटता के लाभ के साथ मांग को पूरा करता था। हालांकि बाजार में पाटन और हानिकारक आयातों के कारण यह अभी भी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था।
- xlii) एक नया निर्माता होने के कारण, ग्राहक याचिकाकर्ता से नहीं खरीदेंगे, यदि वे आयात के लिए इसकी कीमत को बैचमार्क नहीं करते हैं। कीमतें अत्यधिक बाजार से चालित हैं। सामान्य प्रक्रिया की तरह, ग्राहक घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतों की तुलना करते हैं और काफी चर्चा के बाद वे घरेलू उद्योग से निर्यातकों की तुलना करने के लिए कीमतों को कम करने के लिए कहते हैं।
- xliii) यह संदर्भ बाजार की कीमतों का है, न कि पक्षकार की कीमत के लिए है। सूचना को गोपनीय नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादियों ने यह स्वीकार किया कि बाजार में प्रवेश करने पर मूल्य निर्धारण में गिरावट आई। इससे ही पता चलता है कि घरेलू बाजार में विनाती को पैर जमाने से रोकने के लिए कीमतों को कम किया गया था।
- xliv) वीओएल को बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के लिए मजबूर किया जाता है, अर्थात् आयातों की भूमि कीमत के आधार पर, भले ही याचिकाकर्ता बुनियादी कच्चे माल के आधार पर कीमतों को निर्धारित करने का प्रयास करता है और फार्मूला मूल्य निर्धारण के आधार पर अनुबंध करता है।
- xlv) एक ओर हितबद्ध पक्षकार तर्क देते हैं कि संबद्ध देशों ने मात्रा और ग्राहकों को बनाए रखा है और दूसरी ओर वे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता संबद्ध देशों को बाहर निकाल रहा था और उन्हें कम कर रहा था।
- xlvi) दावा की गई क्षति स्टार्ट-अप संचालन के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक लागत के आधार पर मूल्य मापदंडों की सूचना नहीं दी है।
- xlvii) स्पष्ट रूप से एक ग्राहक को याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई अधिक अशुद्ध सामग्री का एक मामला है। उपभोक्ताओं के विभिन्न खंडों के कारण अशुद्धता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है और याचिकाकर्ता ने विभिन्न ग्राहक खंडों द्वारा अपेक्षित अशुद्धता स्तरों का उत्पादन और आपूर्ति की है।
- xlviii) मिथाइल टर्श- ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई) और टर्श-ब्यूटाइल अल्कोहल [(CH₃)₃COH]] दोनों की मूल्य गति एक ही प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी आइसोब्यूटाइलीन के बाजार मूल्य

पर विचार करते हुए पीटीबीपी के उत्पादन की लागत निर्धारित कर सकते हैं। इससे आइसोब्यूटाइलीन में लागत से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान कर दिया जाएगा।

- xlix) इस आधार पर व्यय सही तरीके से आबंटित किए जाते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ईष्टतम उत्पादन भी प्राप्त नहीं किया है। वास्तविक उत्पादन पर खर्च का विभाजन और उसके बाद उसे लक्षित उत्पादन के साथ विभाजित करना अत्यधिक अनुचित होगा।
- i) डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री का हिस्सा है।
- ii) याचिकाकर्ता ने नई उत्पादन लाइनें स्थापित की हैं और इसे व्यक्तिगत उत्पादों के लिए समर्पित किया है। विभिन्न ब्यूटाइल फिनोल के उत्पादन के लिए एक ब्यूटाइल फिनोल उत्पाद की उत्पादन लाइन का उपयोग करना संभव नहीं है। इन सभी 4 उत्पादों में 3 अलग/स्वतंत्र रिएक्टर हैं। डिस्टिलेशन कॉल उत्पाद की विशेषताओं, शुद्धता स्तरों और अशुद्धता प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन किए गए हैं और प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित है।
- iii) याचिकाकर्ता ने भारत में आयात को संभावित मांग के रूप में माना था। मांग में वृद्धि हुई, लेकिन याचिकाकर्ता ने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन बंद नहीं किया। परियोजना रिपोर्ट में विचार की गई कच्चे माल की कीमतों को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए, वास्तविक कच्चे माल की कीमतों के अनुसार संशोधित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी को ऐसे प्रमुख कारकों पर विचार करना चाहिए, जो प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, न कि असंगत कारकों पर, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों तर्क दिया गया है।
- liii) इसके अलावा, शटडाउन बहुत ही कम समय के लिए था और मांग को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया है। याचिकाकर्ता स्टॉक के प्रतिकूल उत्पादन करता है और स्टॉक को बेचता है तथा पूरी अवधि में पर्याप्त वस्तु सूची (इन्वेंट्री) थी।
- liv) उत्पाद की मंजूरी में औसतन करीब 3-6 माह लगते हैं, न कि 6-9 माह, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया गया है याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को ईमेल संचार के साथ साक्ष्य प्रदान किए हैं जिनसे कि ग्राहकों द्वारा उत्पाद को 3 माह में अनुमोदित किया गया था।
- lv) याचिकाकर्ता ने दक्षिण कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के भूमि मूल्य की गणना के लिए सीमा शुल्क को "शून्य" के रूप में लिया था, जिसे 7.5% तक संशोधित किया गया है। तथापि, यहां तक कि जब भूमि मूल्य की गणना 7.5% के लागू सीमा शुल्क के साथ की जाती है, तो विचाराधीन उत्पाद का भूमि मूल्य न केवल याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से भी कम है। इस प्रकार, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक रही है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन उद्योग की स्थापना में वास्तविक धीमापन के संबंध में है। इस प्रकार, क्षति की विस्तृत जांच करने के पूर्व, प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग उस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था जिस सीमा तक वास्तविक क्षति के रूप में क्षति के आकलन की अनुमति दी गई थी अथवा घरेलू उद्योग एक आरंभिक उद्योग था अथवा स्थापना की प्रक्रिया के आरंभिक चरण में था तथा क्षति के रूप में वास्तविक क्षति के आकलन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विगत इतिहास नहीं था।

छ.3.1 उद्योग के स्थापना में वास्तविक धीमापन

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा की गई वास्तविक धीमापन जांच तथा वास्तविक धीमापन से संबंधित अन्य साहित्य को शामिल करते हुए पूर्व की अनेक जांचों पर विश्वास किया है। इस प्रकार के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच से संगत थे। प्राधिकारी ने इस संबंध में डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए उद्योग के वास्तविक धीमापन के संबंध में विगत जांच परिणामों पर भी ध्यान दिया है।
62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली इसे परिभाषित नहीं करता है कि नया उद्योग क्या है। "घरेलू उद्योग की स्थापना के संबंध में वास्तविक धीमापन" को भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 के फुटनोट 9 में निम्नलिखित उल्लेख है:

इस करार के अन्तर्गत पारिभाषिक शब्द 'क्षति', यदि इसका उल्लेख अन्य प्रकार से नहीं किया गया हो, का आशय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना को वास्तविक धीमापन समझा जाएगा और इसकी व्याख्या इस अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुसार की जाएगी।

63. "वास्तविक धीमापन" की अवधारणा "स्थापना की प्रक्रिया में उद्योग" की अवधारणा की परिभाषा से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है।
64. पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव जिसमें "वास्तविक धीमापन" और "स्थापित न किया हुआ उद्योग" के अभिप्राय के संबंध में स्पष्टता का प्रावधान है, के संबंध में, प्रारूप प्रस्ताव के संगत भाग निम्नानुसार है। यद्यपि उक्त प्रावधान को करार में अब तक शामिल नहीं किया गया है, प्राधिकारी ने निर्धारण करने के लिए उस पर भी विचार किया।
- "3.9 घरेलू उद्योग की स्थापना के वास्तविक धीमापन का निर्धारण तथ्यों पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना पर आधारित होगा। किसी भी उद्योग को स्थापना में होना माना जा सकता है जहां एक वास्तविक और पर्याप्त संसाधन की प्रतिबद्धता आयात करने वाले सदस्य के प्रक्षेत्र में पूर्व में उत्पादन न किए गए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए की गई है परंतु उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है अथवा व्यापारिक मात्राओं में इसे प्राप्त नहीं किया गया। इस तथ्य का निर्धारण करने में कि क्या किसी उद्योग की स्थापना की गई है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने में, प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त किए गए वित्त और व्यावहार्यता का अध्ययन, निवेश की योजनाओं अथवा बाजार अध्ययनों के संबंध में साक्ष्य पर विचार कर सकता है।"
65. जबकि प्रस्ताव विभिन्न मापदंडों का सुझाव देता है जिन पर किसी उद्योग के स्थापित होने के बारे में निर्धारण करने में किया जा सकता है, यह उद्योग के नया होने और संबद्ध वस्तुओं का हाल में उत्पादन शुरू करने की स्थिति में विचार किए जाने वाले मापदंडों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं करता है।
66. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, रूस - वाणिज्यिक वाहन, जिसे आगे विश्व व्यापार संगठन के पैनल द्वारा मोरक्को - तुर्की से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में दोहराया गया था और यह माना गया था कि अनुच्छेद 3.1 किसी विशेष पद्धति निर्धारित नहीं करता है कि जांच करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का आकलन करने में उसका पालन करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित किया गया है।
67. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करते समय निम्नलिखित मापदंडों की जांच की है कि क्या यह मामला वास्तविक धीमापन की जांच करने के लिए सही है:
- क. क्या घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए एक "नया" उद्योग है अथवा क्या विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन केवल घरेलू उद्योग की मौजूदा स्थापित कार्यकलाप का विस्तार है। प्राधिकारी ने कंपनी के मौजूदा उत्पाद लाइनों तथा नए उत्पाद के बीच ओवरलैप की सीमा की जांच की।
- ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब शुरू किया।
- ग. घरेलू उद्योग के प्रचालन, जो जांच की अवधि में प्राप्त किया गया तथा उन प्रचालनों की तुलना में, जिनका अनुमान संयंत्र की स्थापना करते समय लगाया गया था। यदि घरेलू उद्योग ने प्रचालनों के अनुमानित स्तरों को प्राप्त नहीं किया है, क्या वह देश में पाटित आयातों की मौजूदगी अथवा किसी अन्य कारण से हुई है।
- घ. कुल मिलाकर घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री। यदि घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा और परिणामस्वरूप उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग अनुमान के स्तरों से बहुत कम हो, क्या वह देश में पाटित आयातों के मौजूद होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से हुआ है। प्राधिकारी ने उत्पादन की स्थिरता और क्षमता के उपयोग की भी जांच की है। प्राधिकारी ने क्षमता के उपयोग के स्तर पर भी विचार किया है जिसे घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में प्राप्त करना चाहिए था और उसकी तुलना क्षमता के उपयोग के उस स्तर से की है जो घरेलू उद्योग ने प्राप्त किया है।
- ड. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की वर्तमान अवधि के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, क्या घरेलू उद्योग को देश में किसी तकनीकी कारणों अथवा ग्राहकों द्वारा उत्पाद की स्वीकार्यता अथवा किसी अन्य

नियामक आवश्यकताओं के कारण इस उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया। प्राधिकारी ने इस उत्पाद के मालसूचियों के स्तर और उसके कारणों की भी जांच की है।

च. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता के उचित स्तर तक पहुंच गया? यदि नहीं, तो क्या उनके कारण इस उत्पाद के पाटन अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या तकनीकी कारणों से संबंधित हैं।

68. ऊपर में संदर्भित मापदंडों की जांच नीचे विस्तार से की गई है:

छ.3.2 वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक धीमापन

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने लोटे, महाराष्ट्र में संयंत्र में बहुत अधिक निवेश कर संबद्ध वस्तुओं की एक नई निर्माण सुविधा स्थापित की है। जुलाई, 2020 में आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ किए जाने के पूर्व, भारत में पीटीबीपी का कोई उत्पादन नहीं हुआ था और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अन्यथा दावा नहीं किया है।

क. क्या याचिकाकर्ता एक "नया" उद्योग है अथवा यह पहले से ही स्थापित प्रचालन का केवल विस्तार है?

70. यह नोट किया जाता है कि पीटीबीपी एक नया उत्पाद है और इसका उत्पादन देश में पहली बार घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और किए गए सत्यापन ने यह दर्शाया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन याचिकाकर्ता के मौजूदा और स्थापित उत्पाद प्रचालनों के द्वारा बहुत अधिक हद तक सहायित नहीं है। याचिकाकर्ता ने 39,000 एमटी की कुल वार्षिक क्षमता के साथ बुटाइल फिनोल के चार प्रकारों के लिए लोटे में एक नया संयंत्र स्थापित किया। इन उत्पादों में पारा तरसियरी बुटाइल फिनोल (पीटीबीपी), ओर्थो तरसियरी बुटाइल फिनोल (ओटीबीपी), 24 डाई-तरसियरी बुटाइल फिनोल (2,4 डीटीबीपी), 26 डाई तरसियरी बुटाइल फिनोल (2,6 डीटीबीपी) शामिल है। भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया था कि चार अलग-अलग प्रकार के बुटाइल फिनोल हैं और इनकी अलग अलग क्षमता, अलग अलग उत्पादन सुविधाएं और अलग अलग उत्पादन लाइन हैं। इन क्षमताओं में से, पीटीबीपी के पास *** क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया था कि आवेदक के पास अलग अलग बुटाइल फिनोल के लिए समर्पित उत्पादन सुविधाएं हैं और वह इसका उपयोग केवल समर्पित आधार पर करता रहा है। हालांकि, उत्पादन सुविधाएं ऐसी हैं कि उत्पादक एक बुटाइल फिनोल के उत्पादन को रोक सकता है और इन उत्पादन सुविधाओं को अन्य बुटाइल फिनोल के उत्पादन में परिवर्तित कर सकता है। यह बहुत कम अवधि में तथा बिना किसी अधिक खर्च के किया जा सकता है। यह बताया गया था कि दैनिक आधार पर एक बुटाइल फिनोल उत्पाद के उत्पादन के स्थान पर एक अन्य उत्पाद का उत्पादन करना संभव नहीं था। रिएक्टर अपने आदर्शतम उपयोग के लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित रहा है और रूटीन मामले के रूप में इसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किए जाने की आशा नहीं है। यह दर्शाया गया था कि डिस्टिलेशन कॉलम उत्पाद विशेषताओं, शुद्धता के स्तर और अशुद्धता प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन किया गया है और वे प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित हैं। इस कारण से, किसी भी बदलाव के लिए प्रयास और कुछ अतिरिक्त निवेश की भी आवश्यकता होगी।

71. याचिकाकर्ता ने पहले से मौजूद उत्पादन सुविधाओं के साथ बिना किसी वास्तविक ओवरलैप के लोटे में बुटाइल फिनोल के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। इसने एक नया उत्पाद स्थापित किया है और न कि मौजूदा सुविधाओं के नए उत्पादन लाइन में केवल वृद्धि की है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीटीबीपी और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए जा रहे मौजूदा उत्पादों के बीच बहुत अधिक ओवरलैप है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का कच्चा माल, आइसोबुटाइलीन (आईबी) का उत्पादन 2010 से वीओएल द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, इसका उत्पादन उसी संयंत्र में नहीं किया जाता है जो विचाराधीन उत्पाद का है। आइसोबुटाइलीन का उत्पादन अलग-अलग संयंत्र में किया जाता है जबकि पीटीबीपी उत्पादन सुविधाओं की स्थापना लोटे में की गई है। निम्नलिखित अंतर पीटीबीपी तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से इसके पुराने संयंत्र (पूर्व से मौजूदा सुविधा), में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों के बीच नोट किया गया:

- पीटीबीपी का एचएस कोड सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत एक अलग सीमा शुल्क उपशीर्ष 29071940 के अन्तर्गत आता है।
- संयंत्र और पीटीबीपी के उत्पादन के लिए तैनात उपकरण में अलग अलग रिएक्टर्स, कैटेलिस्ट्स, डिस्टिलेशन कॉलम और निर्माण सामग्री शामिल है। ये पहले से मौजूद सुविधा में अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा तैनात उपकरण और संयंत्र से अलग हैं।

- iii) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल आइसोबुटाइलीन और फिनोल हैं, जो पहले से मौजूद सुविधा में अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे कच्चे माल से पूर्ण रूप से अलग हैं।
- iv) आइसोबुटाइलीन का उत्पादन कैप्टिव रूप से इस कंपनी द्वारा किया जाता है। हालांकि, आइसोबुटाइलीन कच्चे मालों के कारण कुल लागतों में प्रमुख कच्चा माल नहीं है। फिनोल के कारण लागत आइसोबुटाइलीन के कारण होने वाली लागत से अधिक है।
- v) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में फिनोल का बुटाइलेशन शामिल है जो पूर्व से मौजूद सुविधा में उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों से अलग निर्माण को शामिल करता है।
- vi) विचाराधीन उत्पाद मॉटे तौर पर फिनोलिक रेसिन और परफ्यूम बनाने वाले उद्योगों में मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है, जो पहले से मौजूद सुविधा में उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों से अलग है।
- vii) वह भूमि, जिसका उपयोग बुटाइल फिनोल के लिए किया जाता है, अलग और पहले से मौजूद उद्योग, जो लोटे कार्यस्थल पर अन्य उत्पादों का निर्माण करता है, से बिना किसी ओवरलैप के है।
- viii) पीटीबीपी में में उपयोग की जा रही यूटिलिटीज कुल मिलाकर इस संयंत्र में मौजूदा उत्पादों से लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है। बुटाइल फिनोल संयंत्र में शामिल मुख्य प्रचालन रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन और फ्लेकिंग है। बुटाइल फिनोल के अपेक्षित यूटिलिटीज अर्थात् वाष्प, ठंडा जल, डीएम जल, प्रोसेस जल, बिजली और गर्म तेल टीएफएच (थर्मिक फ्यूड हीटर) के लिए कोयला है। इन सभी सुविधाओं, जिनमें वाष्प और हवा शामिल नहीं है, की हाल में स्थापना की गई थी। वाष्प कुल उपयोगिता लागत का मात्र 25 प्रतिशत है। हवा बहुत कम होती है। जबकि, बिजली के आपूर्ति भी उसी ग्रिड से होती है, यह बुटाइल फिनोल संयंत्र के लिए एक समर्पित नव-स्थापित ट्रांसफार्मर है।
- ix) वीओएल पूर्व में फार्मास्यूटिकल उद्योग, एग्रो फार्मा, जल आशोधन, ऑयल फील्ड ड्रिलिंग, निर्माण, पर्सनल केयर उद्योग के लिए उत्पाद बनाती थी। पीटीबीपी की नई उत्पादन लाइन परफ्यूम और रेसिन उद्योगों के लिए उत्पाद बनाती है।
- x) इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू बिक्री का लगभग ***प्रतिशत पीटीबीपी के नए ग्राहकों को होता है। इसके अलावा, अधिकांश बिक्री परफ्यूम और रेसिन उद्योगों के लिए निर्धारित नए व्यापारी के माध्यम से होता है।

ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब शुरू किया?

72. प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में ही संबद्ध वस्तुओं का व्यापारिक उत्पादन शुरू किया। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जांच की अवधि के केवल कुछ महीने पूर्व शुरू हुआ। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं था। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ है, वह उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों और इस संयंत्र के व्यापारिक स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने किए गए अनुमानों के अनुरूप कीमत (विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल इनपुट्स की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तनों के लिए समायोजनों के साथ) प्राप्त नहीं किया है। घरेलू उद्योग का वास्तविक और अनुमानित उत्पादन और बिक्री आंकड़ों की तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों ने अनुमानित स्तरों को प्राप्त नहीं किया है, जो यह दर्शाता है कि उनके अनुमानित व्यापारिक प्रचालन प्रभावित हुए हैं।

ग. प्राप्त प्रचालन बनाम अनुमानित प्रचालन

73. घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न वृहत आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्राप्त किया गया कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमान लगाए गए स्तरों से बहुत कम है। घरेलू उद्योग ने प्रचालन के अपने पहले वर्ष में ही लाभ का अनुमान लगाया था। लेकिन घरेलू उद्योग अपनी लागतों को वसूल करने में सक्षम नहीं रहे हैं और इसको बहुत अधिक वित्तीय हानि हो रही है। इसके अलावा, अनुमान लगाए गए कार्य-निष्पादन और प्राप्त की गई वास्तविक राशि के बीच अंतर बहुत अधिक है।

घ. कुल मिलाकर घरेलू उद्योग के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री

74. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, जिसने विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग जांच की वर्तमान अवधि के दौरान ***एमटी थी। इसकी तुलना में, घरेलू उद्योग ने ***एमटी की उत्पादन क्षमता स्थापित की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग इस देश में 100 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त करने की स्थिति में था और 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता था। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत था, जहां संबद्ध आयात लगभग 74 प्रतिशत था। संबद्ध देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन से चार गुना अधिक था।
75. बाजार की तिमाही संचलन का भी विश्लेषण किया गया है और यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया अधिकतम बाजार हिस्सा 49 प्रतिशत तक है, जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

मांग/बाजार हिस्सा	यूनिट	पीओआई पहली तिमाही	पीओआई दूसरी तिमाही	पीओआई तीसरी तिमाही	पीओआई चौथी तिमाही	पीओ आई
संबद्ध देश	एमटी	3,447	3,357	1,435	1,182	9,420
कोरिया गणराज्य	एमटी	1,635	2,000	1,149	796	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,512	937	126	126	2,701
यू एस ए	एमटी	300	420	160	260	1,140
अन्य देश	एमटी	-	304	-	-	304
कुल आयात	एमटी	3,447	3,661	1,435	1,182	9,724
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	251	776	583	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-	-
कैप्टिव सहित मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	113	78	61	100
बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	%	95	82	51	53	74
अन्य देश	%	-	7	-	-	2
कुल आयात	%	95	89	51	53	76
घरेलू उद्योग	%	5	11	49	47	24
अन्य घरेलू उत्पादक	%	-	-	-	-	-
कैप्टिव सहित मांग/खपत	%	100	100	100	100	100

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 46 प्रतिशत बाजार हिस्सा और वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में लगभग 40 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम था। यह तर्क दिया गया है कि मोरक्का – तुर्की से कुछ हॉट-रोलड स्टील पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में पैनल की रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा बहुत अधिक है, तब यह तथ्य कि ऐसे बाजार को घाटा उठाने के बाद प्राप्त कर लिया गया है, स्थायित्व के निष्कर्ष का आवश्यक रूप से नहीं मानता है। हालांकि यह देखा जाता है कि (क) घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक बाजार हिस्सा और अनुमान लगाई गई क्षमता उपयोग उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए वास्तविक बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग से काफी हद तक अधिक था (ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा वित्तीय हानि की लागत पर है, (ग) घरेलू उद्योग उत्पादन की सीमा तक बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है, (घ) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछली तिमाही में गिरावट आई जबकि उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी (इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नई उत्पादन सुविधाएं देश में स्थापित की गई थी) (ड.) घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा वह बाजार है जिसे अन्य देश के आयातों से खाली किया गया था। जहां तक संबद्ध आयातों का प्रश्न है, इन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित की गई नई उत्पादन सुविधाओं के बावजूद गिरावट को दर्शाने के बजाए वृद्धि दर्शाई है। इस प्रकार, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा एक तिमाही में प्राप्त किया गया, बाजार में इस उद्योग की स्थायित्व के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था।
77. वास्तव में संबद्ध आयातों की मात्रा में वाणिज्यिक उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा शुरू किए जाने के बावजूद जांच की अवधि में कम होने के पूर्व क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है। यह देखा गया है कि वास्तव में घरेलू उद्योग ने उन मात्राओं को प्राप्त किया जिन्हें गैर-संबद्ध देशों के द्वारा खाली किया गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग गैर-संबद्ध देशों के द्वारा खाली किए गए बाजार के कारण भी कुछ स्तर तक उत्पादन और बिक्री की मामले में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम रहा है। जहां तक संबद्ध आयातों का प्रश्न है, इन्होंने कुल मिलाकर अपने स्तरों को बनाए रखा है:

मापदंड	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	एमटी	8,421	10,250	11,118	9,420
अन्य देश	एमटी	3,719	2,142	1,163	304
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	एनए	100	4,447	6,466
मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	102	118	105
आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन					
संबद्ध देश			1,830	2,697	1,000
अन्य देश			-1,577	-2,555	-3,415
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री			***	***	***
मांग			***	***	***

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने प्रायः उस सीमा तक मात्राओं को प्राप्त किया है, जिस सीमा तक गैर-संबद्ध देशों के द्वारा इसे खोया गया था और संबद्ध देशों ने प्रायः उस सीमा तक मात्राओं को प्राप्त किया, जिस सीमा तक आधार वर्ष से मांग में वृद्धि हुई।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	133	133

उत्पादन	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,743	2,321
क्षमता उपयोग	%	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,307	1,740
घरेलू बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	4,347	6,361
निर्यात बिक्री	एमटी	एनए	एनए	***	***
सूचकांक		एनए	एनए	100	128

79. उत्पादन और बिक्री के स्तर के मामले में, सामान्य रूप से यह आशा की जाती है कि उद्योग, जिसने हाल में उत्पादन शुरू किया है, नई उत्पादन सुविधाओं के कारण उत्पादन में अस्थिरता का सामना कर सकता है और यह अपने उत्पादन के स्तरों और फलस्वरूप क्षमता के उपयोग में धीरे धीरे वृद्धि करने में सक्षम होगा। इस कारण से, इस तथ्य की जांच की गई थी कि क्या घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग के कम स्तर उत्पादन में अस्थिरता और नई उत्पादन सुविधाओं के कारण थी। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग का अनुमान लगाया था, जबकि प्राप्त की गई वास्तविक क्षमता उपयोग केवल *** है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई उपयोग कुल मिलाकर जांच की अवधि के लिए *** था, जबकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 की चौथी तिमाही में *** की क्षमता उपयोग प्राप्त की। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग उस क्षमता उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था जिसका अनुमान जांच की अवधि में लगाया गया था और इसे उत्पादन क्षमताओं के कम उपयोग के कारण हानि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग चौथी तिमाही, 2021-22 तक अपने क्षमता उपयोग को बढ़ाने में सक्षम रहा और क्षमता उपयोग में उसके बाद गिरावट आई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अनुमानित स्तरों की तुलना में बहुत कम था और वह कुछ संभावित तकनीकी बाधाओं के कारण नहीं था। यह नोट किया जाता है कि इस मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई थी, हालांकि मांग में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई थी जिससे कि अपनी क्षमता का ईष्टतम स्तर तक उपयोग करने से घरेलू उद्योग को रोका जा सके।

ड. क्या घरेलू उद्योग को आयात के अलावा अन्य कारणों से इस उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है

80. इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या अन्य मापदंड जैसे उत्पाद का अनुमोदन, उत्पाद की गुणवत्ता, नई संयंत्र में तकनीकी बाधाएं आदि कम उत्पादन और बिक्री के लिए कारण रहे हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि इन उत्पादों के लिए अनुमोदन समय 6-9 महीने लगता है। नमूना लिए गए ग्राहकों के साथ बिक्री समझौता के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के लिए अनुमोदन में सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को लगभग 3-6 महीने लगते हैं। हालांकि, संबद्ध आयातों में आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ वृद्धि हुई जबकि आदर्शतम रूप से इसमें गिरावट आनी चाहिए थी। गैर-संबद्ध आयातों में गिरावट आई जबकि संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा खाली किए गए बाजार की सीमा तक बिक्री की मात्राओं को प्राप्त किया। घरेलू उद्योग बहुत अधिक मात्रा में और घरेलू कीमतों से अधिक कीमत पर निर्यात करने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कम उत्पादन के कारण ऐसे कोई कारण नहीं हैं, जिनका उल्लेख हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है।

81. अन्य पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि इस उत्पाद की गुणवत्ता ईष्टतम स्तर से कम है और यह घरेलू उद्योग से खरीद नहीं करने का विकल्प अपनाने वाले उत्पादकों के लिए एक कारण रहा है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था और प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया था कि उत्पादन किए गए पीटीबीपी में मिलावट है। जबकि कुछ ग्राहक मिलावट के न्यूनतम स्तर का उल्लेख करते हैं जबकि अन्य मिलावट से संबंधित नहीं हैं। रेसिन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने वाले संबद्ध वस्तुओं के ग्राहक के पास मिलावट के स्तर के लिए आरंभिक सीमा है। हालांकि, परफ्यूम उद्योग के लिए पीटीबीपी का उपयोग करने वाले ग्राहकों का

मिलावट का अनुमत्य स्तर है। घरेलू उद्योग दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों को अभीष्ट विनिर्देशों के संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने में सक्षम रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्तर देने वाले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा मिलावट के स्तर (जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान) के संबंध में व्यक्त की गई चिंता का एक उदाहरण था जो रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुरूप था और उसका बाद में समाधान कर लिया गया था। सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि समग्र निर्माण प्रक्रिया स्वचालित रही है और उस पर नियंत्रण कारखाना के नियंत्रण कक्ष में विपरीत नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस) के द्वारा किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के सभी प्रमुख ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है और इस प्रकार उत्पाद गुणवत्ता ग्राहकों द्वारा स्थापित और स्वीकार की गई है। उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग इस उत्पाद का निर्यात करता रहा है और वह भी उच्चतर कीमत पर। इसके अलावा, घरेलू उद्योग गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा खाली किए गए बाजार को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। किसी भी स्थिति में जांच की अवधि के बाद की अवधि में एक बिक्री पर गुणवत्ता की आरोपित चिंता जांच की अवधि तक आयातों में वृद्धि का समाधान नहीं करता है।

च. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता/ब्रे-ईवन प्वाइंट तक पहुंच गया?

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन जुलाई, 2020 में आरंभ हुआ और तिमाही दर तिमाही आधार पर उत्पादन के आंकड़े जांच की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, उत्पादन में चौथी तिमाही, 2021-22 तक वृद्धि होने के बाद पहली तिमाही 22-23 में गिरावट आई। याचिकाकर्ता ब्रेक-ईवन प्वाइंट प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। लाभ के आकलन के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना क्षमता के उपयोग के ईष्टतम स्तर तक उत्पादन की लागत पर विचार करने के बाद है। यदि इस प्रकार के सामान्यीकृत लागत यह दर्शाते हों कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पादन की बिक्री में वित्तीय हानि हुई। वास्तविक लागतों पर निर्धारित हानि वास्तव में बहुत अधिक हद तक उच्चतर है।
83. उपर्युक्त विश्लेषण यह संसूचित करता है कि पीटीवीपी का उत्पादन एक नव-स्थापित उद्योग है जिसका याचिकाकर्ता की मौजूदा निर्माण सुविधाओं से बहुत अधिक हद तक ओवरलैप नहीं है। याचिकाकर्ता अपने उत्पादन को स्थिर रखने में सक्षम नहीं रहा है और इसने ब्रेक-ईवन प्वाइंट प्राप्त नहीं किया है। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि घटा उठाकर हुआ है।
84. इस प्रकार, प्राधिकारी ने वास्तविक धीमापन के संबंध में स्थापित समझ के आधार पर यहां नीचे क्षति का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का क्षति की समग्र अवधि के लिए क्षति के विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्रचालन नहीं होता है।
85. प्राधिकारी ने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य-निष्पादन की भी जांच की है और इसकी तुलना इस तथ्य का आकलन करने के लिए किए गए अनुमानों से की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को बहुत अधिक हद तक धीमा किया है। चूंकि उत्पाद और इनपुट कीमतें, दोनों उन कीमतों पर आधारित थी जो इस अवधि में मौजूद थी जब अनुमान लगाए गए थे और इनपुट कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, प्राधिकारी ने इनपुट कीमतों में परिवर्तनों को उपयुक्त रूप से समायोजित कर इन अनुमानों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की कीमतों के बारे में निर्णय अनुमान लगाते समय इनपुट्स के लिए कीमत के आधार पर की गई थी। इसके अलावा, इनपुट्स और उत्पाद की उन्हीं कीमतों पर अनुमान की समग्र अवधि के दौरान विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि ये अनुमान इस तथ्य को विचार करते हुए लगाए गए हैं कि इनपुट्स की कीमतों में किसी परिवर्तन को उपयुक्त रूप से तैयार उत्पाद की कीमतों में दर्शाया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि यदि इनपुट की कीमतों में वृद्धि हुई, तब तैयार उत्पाद की कीमतों में इनपुट्स के कारण लागतों में वृद्धि की सीमा तक और इसके ठीक उलट सीमा तक वृद्धि होगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इनपुट्स की कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है क्योंकि अनुमान लगाए गए थे और इस कारण से इनपुट और तैयार उत्पाद, दोनों की कीमतें

इनपुट्स की लागत में वृद्धि के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना अपेक्षित है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास बहुत कम कैप्टिव खपत है [***एमटी]। उसे घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्री में शामिल किया गया है।

छ.3.3 संचयी आकलन

87. विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3, पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 और अनुबंध II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात पर एक ही समय में पाटनरोधी जांच की जा रही हो तब निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करते हैं कि:

क) प्रत्येक देश से आयातों की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत हो अथवा जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता हो; और

ख) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन आयात किए गए उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयात किए गए उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की रोशनी में उपयुक्त हो।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है।

89. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनके बीच प्रतिस्पर्धा करता है और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं के साथ उसी वाणिज्यिक स्थितियों के अंतर्गत तुलनीय बिक्री चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा भी करता है।

90. अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयात घरेलू बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के सदृश्य हैं। पाटित आयात भारतीय बाजार में साथ-साथ सभी संबद्ध देशों से हो रहे हैं।

छ. 3.4 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

91. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग, घरेलू बिक्री और डीजी प्रणाली से प्राप्त लेन-देनवार आयात आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से आय के योग के रूप में विचार किया है। उसका विश्लेषण किया गया है और विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा बताई गई है।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी – सूचीबद्ध	एनए	100	4,447	6,466
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	8,421	10,250	11,118	9,420
कोरिया	एमटी	5,676	5,665	6,174	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,925	3,468	4,004	2,701
यूएसए	एमटी	820	1,117	940	1,140
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,719	2,142	1,163	304
मांग/खपत (कैप्टिव सहित)	एमटी – सूचीबद्ध	100	102	118	105

92. यह देखा गया है कि मांग में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई है और इसमें पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की

अवधि में 13 प्रतिशत तक गिरावट आई। हालांकि, इस उत्पाद की समग्र मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

छ. 3.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

93. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आयात मात्रा					
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	8,421	10,250	11,118	9,420
कोरिया	एमटी	5,676	5,665	6,174	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,925	3,468	4,004	2,701
यूएसए	एमटी	820	1,117	940	1,140
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,719	2,142	1,163	304
कुल आयात	एमटी	12,139	12,392	12,282	9,724
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी-सूचीबद्ध	एनए	100	4,447	6,466
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
मांग/खपत	एमटी-सूचीबद्ध	100	102	118	105
आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध और गैर-संबद्ध आयातों में परिवर्तन					
कुल आयात	%	69	83	91	97
भारतीय उत्पादन	%-सूचीबद्ध	एनए	100	6	4
भारतीय मांग	%-सूचीबद्ध	100	119	112	107
संबद्ध देश					
संबद्ध देश			1,830	2,697	1000
गैर-संबद्ध देश					
गैर-संबद्ध देश			-1,577	-2,555	-3,415

94. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों में 2021-22 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। इस उत्पाद की मांग में भी 2021-22 तक वृद्धि हुई और फिर उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई। जांच की अवधि में आयातों में गिरावट संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट के फलस्वरूप हुई है।

ख. जबकि इस उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान ***एमटी तक वृद्धि हुई संबद्ध देशों से आयातों में 999 एमटी तक वृद्धि हुई। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से मामूली रूप से अधिक थी। अन्य शब्दों में, मांग में समग्र वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ले ली गई थी।

ग. भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में ***प्रतिशत हो गई जबकि गैर-संबद्ध देशों के हिस्से तेजी से गिरावट आई। संबद्ध आयात जांच की अवधि में भारत में कुल आयातों का लगभग 97 प्रतिशत है।

घ. उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध आयातों में भारत में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने के बाद गिरावट आई। हालांकि, संबद्ध आयातों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने के बाद भी अधिक रहा। संबद्ध आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग *** प्रतिशत पूरा कर रहा है जब घरेलू उद्योग ने देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं स्थापित की हैं।

छ.3.6 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

95. इस नियमावली के अनुबंध-II(ii) के संबंध में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक अन्य प्रकार से दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती।
96. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति(एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

97. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, इस उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, जो व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों का निवल है, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत बाद सभी खर्च के लिए बिक्री कीमत को कम करने के बाद कारखानागत स्तरों पर किया गया था।

विवरण	यूनिट	कोरिया	सिंगापुर	यूएसए	संबद्ध देश
आयातित उत्पाद का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	1,42,600	1,54,942	83,757	1,39,018
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	80-90	10-20

98. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से नीचे है। सिंगापुर को छोड़कर आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही थी।
99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य देशों से निर्यातकों ने व्यापार अवसर खोया है क्योंकि वे घरेलू उद्योग की कमतर कीमतों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। याचिकाकर्ता ने अपने कीमत निर्धारण तंत्र के बारे में बताया जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता बाजार में प्रचलित मौजूदा कीमतों के आधार पर ग्राहकों को कीमतें लगाता है। यह विदेशी उत्पादकों द्वारा आयातों की पहुंच कीमत का मूल्यांकन करने के लिए लगाई जा रही कीमतों और आयात आंकड़ों का संदर्भ लेता है जो भारतीय बाजार में कीमतों को बढ़ा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इसकी प्रवृत्ति बाजार में प्रचलित कीमत से मुकाबला करने की है क्योंकि यह एक नया उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने अधिक पारदर्शी कीमत सुनिश्चित करने के लिए लागत मार्जिन आधार पर कीमत निर्धारण रणनीति पर ग्राहकों को (इटर्निस और प्रिवि जैसे ग्राहकों को) किए गए प्रस्ताव का साक्ष्य दर्शाया। याचिकाकर्ता द्वारा सुझाव दी गई कीमत निर्धारण नीति पिछले महीने के लिए फिनोल और आइसोबुटाइलीन की कीमतों के आधार पर सूत्र आधारित कीमत निर्धारण में से एक था। हालांकि,

यह दावा किया गया है कि यह लिखित प्रस्ताव निष्फल हो गया क्योंकि यद्यपि सूत्र कीमत निर्धारण के बारे में निर्णय लिया गया था, ग्राहकों ने अन्ततः आयात कीमतों को ही अपना लिया।

ख. कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

100. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने (क) बिक्री की इकाई लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना पर विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की सामान्यीकृत लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	-	100	139	148
बिक्री कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	-	100	143	151
आयातों की पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,19,024	1,04,913	1,32,457	1,39,018
	सूचकांक		100	126	133

101. बिक्री की सामान्यीकृत लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान बिक्री की लागत की सामान्यीकृत स्तर से भी कम है। आगे यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से बहुत कम है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि से बहुत कमतर थी। इस प्रकार, आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही थी।
102. यह तर्क दिया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से, प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागतों पर उसके प्रभाव की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। यह देखा गया था कि इस उत्पाद के उत्पादन में शामिल प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात कीमतों में कच्चे मालों की लागत में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जबकि कच्चे माल की लागत में *** प्रतिशत तक वृद्धि हुई, आयात की कीमत में 2020-21 और जांच की अवधि के बीच केवल 33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यह उपयोगिताओं की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि पर विचार किए बिना है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
फिनोल की कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आईबी की कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
फिनोल की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आईबी की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आरएम की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आरएम की लागत	प्रवृत्ति	एनए	100	140	151
आयात कीमत –संबद्ध देश	रु./एमटी	1,09,953	96,918	1,22,362	1,28,423
आयात कीमत	प्रवृत्ति		100	126	133

छ.3.7 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

103. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव

डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

104. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

वार्षिक संचलन

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संस्थापित क्षमता*	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	133	133
उत्पादन	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,743	2,321
क्षमता उपयोग	%	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,307	1,740
घरेलू बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	4,347	6,361
निर्यात बिक्री	एमटी	एनए	एनए	***	***
सूचकांक		एनए	एनए	100	128

तिमाही संचलन

विवरण	यूनिट	पीओआई तिमाही 1	पीओआई तिमाही 2	पीओआई तिमाही 3	पीओआई तिमाही 4
संस्थापित क्षमता*	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	262	370	333
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचकांक		100	250	358	317
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	261	850	640
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	83	86	92

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इसने जुलाई, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रचालन के अपने पहले वर्ष में ही ***प्रतिशत की क्षमता उपयोग का अनुमान लगाया। जबकि याचिकाकर्ता का उत्पादन और क्षमता उपयोग इस अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, हालांकि, उत्पादन और क्षमता उपयोग भारत में मांग और संयंत्र की स्थापना करते समय अनुमानित क्षमता उपयोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है।

याचिकाकर्ता अनुमानित ***प्रतिशत की तुलना में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मांग के बावजूद जांच की अवधि के दौरान केवल ***प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था। प्राधिकारी ने एनआईपी के निर्धारण के उद्देश्य से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए उचित क्षमता उपयोग के रूप में ***प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार किया है और यह मानते हैं कि क्षमता उपयोग का स्तर वही है जो घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के नहीं होने पर प्राप्त किया गया होता। वास्तविक क्षमता उपयोग अनुमानित स्तरों से बहुत कम था। देश में उत्पाद के पाटन ने उचित मानी गई क्षमता उपयोग के स्तर को प्राप्त करने से घरेलू उद्योग को रोका है।

106. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने पहले ही जांच की अवधि की तिमाहियों में से एक तिमाही में ***प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (क) वह अभी भी क्षमता उपयोग का स्तर जिसे घरेलू उद्योग के लिए उपयुक्त और तर्कसंगत पाया गया था, से बहुत कम था, (ख) क्षमता उपयोग में बाढ़ की तिमाही में ***प्रतिशत तक तेजी से गिरावट आई। इस प्रकार, क्षमता उपयोग का ***प्रतिशत के इस स्तर को भी घरेलू उद्योग द्वारा नहीं कायम रखा गया था और (ग) घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन लगभग ***प्रतिशत निर्यात किया है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

107. वार्षिक बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	%-सूचीबद्ध	100	119	112	106
कोरिया	%	***	***	***	***
सिंगापुर	%	***	***	***	***
यूएसए	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	%-सूचीबद्ध	-	100	3,826	6,266

108. बाजार हिस्से का तिमाही संचलन निम्नानुसार है:

	संबद्ध देश	कोरिया	सिंगापुर	यूएसए	अन्य देश	घरेलू उद्योग
21-22 तिमाही 2	***	***	***	***	***	***
21-22 तिमाही 3	***	***	***	***	***	***
21-22 तिमाही 4	***	***	***	***	***	***
22-23 तिमाही 1	***	***	***	***	***	***

109. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू बाजार के बाजार हिस्से में चौथी तिमाही, 21-22 तक वृद्धि हुई और उसके बाद उसमें गिरावट आई।
 ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में चौथी तिमाही, 21-22 तक गिरावट आई और एक बार फिर पहली तिमाही, 22-23 में इसमें वृद्धि हुई।
 ग. गैर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान तीव्र गति और बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

110. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाए गए अनुसार

पाया गया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन सुविधा में उत्पादन आरंभ किया है, प्राधिकारी ने नए उत्पादन प्रचालनों की कम क्षमता का उपयोग के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान एक बार वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आधार पर और एक बार उत्पादन की सामान्यीकृत लागत पर विचार करते हुए लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी इस संबंध में यह मानते हैं कि उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करते हुए कीमत मापदंड इस तथ्य पर विचार करते हुए प्रतिकूल स्थिति को दर्शा सकते हैं कि घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन लाइन पर व्यापारिक उत्पादन शुरू किया है और कम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने अतिरिक्त रूप से *** प्रतिशत पर विचार कर कीमत मापदंडों का आकलन किया है।

उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर पूर्व लाभ	लाख रु.-सूचीबद्ध	एनए	-100	-154	-193
नकद लाभ	लाख रु.-सूचीबद्ध	एनए	-100	-136	-173
आरओआई	%-सूचीबद्ध	एनए	-100	-170	-225

उत्पादन की सामान्यीकृत लागत के आधार पर :

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की सामान्यीकृत लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	139	148
बिक्री कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	143	151
सामान्यीकृत लागतों पर प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(22)	(33)
लाभ/(हानि)- कुल	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(963)	(2,113)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(1,542)	(3,767)
नकद लाभ	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	5,324	9,885
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल-एनएफए	%	एनए	***	***	***
प्रवृत्ति			(0-10)	(0-10)	(0-10)

111. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने बिक्री की वास्तविक और सामान्यीकृत लागत से कम कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री करना शुरू किया। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। जब घरेलू बिक्री में भी क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई तब घरेलू उद्योग को हुई हानि में भी इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
- ख. जब बिक्री कीमत में क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि भी हुई, तब वह अभी भी सभी लागतों की वसूली करने के लिए पर्याप्त नहीं था। घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान और सामान्यीकृत लागत पर भी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।

ग. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकद हानि हुई जिसकी सीमा क्षति की अवधि के दौरान बढ़ गई।

घ. घरेलू बिक्री में अर्जित निवेश पर प्रतिफल क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत उत्पादन की सामान्यीकृत लागत के स्तरों पर भी लगाई गई पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

घ. मालसूची

112. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	एनए	एनए	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	एनए	***	***	***
मालसूची	एमटी-सूचीबद्ध	एनए	100	166	219

113. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। मालसूची के स्तर के बावजूद उत्पादन में कटौती हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया गया और देश में इस उत्पाद की बहुत अधिक मांग रही है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में बहुत कम हिस्सा था और इस कारण से इसके पास अपने भंडार को बेचने के लिए बहुत अधिक अवसर था।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

114. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	***	***	***
सूचकांक			100	115	118
वेतन एवं मजदूरी*	लाख रु.	-	***	***	***
सूचकांक			100	167	186
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिन	-	***	***	***
सूचकांक			100	1743	2321

वास्तविक लागत के अनुसार आंकड़े

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

116. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में नया निवेश किया है। हालांकि घरेलू उद्योग देश में बहुत अधिक क्षमताओं के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग के ईष्टतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और नकद लाभ में हानि उठानी पड़ रही है। निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा है।

छ. वृद्धि

वृद्धि वास्तविक	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	एनए	-	33%	-
उत्पादन	एमटी	एनए	-	1,643%	33%

बिक्री	एमटी	एनए	-	4,247%	46%
औसत मालसूची	एमटी	एनए	-	66%	32%
बाजार हिस्सा	एमटी	एनए	-	14%	9%
लाभ(हानि)	लाख रु.	एनए	-	-54%	-26%
नकद लाभ	लाख रु.	एनए	-	-36%	-27%
आरओआई	%	एनए	-	-69%	-33%

117. जबकि उत्पादन, बिक्री और उपयोगिता में वृद्धि नए उद्योग के लिए सामान्य है, अनुमानित प्रदर्शन से तुलना किए जाने पर वास्तविक प्रदर्शन यह दर्शाता है कि इन मात्रा मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि प्रचालन के अनुमानित स्तर से बहुत कम है। कीमत मापदंडों में वृद्धि भी बहुत अधिक हद तक ऋणात्मक और प्रतिकूल है।

छ.3.8 अनुमानित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन की तुलना

118. चूंकि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और जांच की अवधि के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निवेश करते समय अनुमानित प्रदर्शन से घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना आवश्यक है। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के अनुमानित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन की तुलना को दर्शाता है।

मापदंड	अनुमानित/वास्तविक	यूनिट	2020-21	2021-22	पीओआई
वास्तविक क्षमता	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
<i>वास्तविक क्षमता</i>	अनुमानित	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>वास्तविक</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>133</i>
उत्पादन	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
<i>उत्पादन</i>	अनुमानित	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>142</i>
	<i>वास्तविक</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>1,743</i>	<i>2,321</i>
क्षमता उपयोग	अनुमानित	%	***	***	***
	वास्तविक	%	***	***	***
<i>क्षमता उपयोग</i>	अनुमानित	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>142</i>
	<i>वास्तविक</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>1,307</i>	<i>1,740</i>
घरेलू बिक्री	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
<i>घरेलू बिक्री</i>	अनुमानित	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>142</i>
	<i>वास्तविक</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>4,347</i>	<i>6,361</i>
निर्यात बिक्री	अनुमानित	एमटी	***	***	***

मापदंड	अनुमानित/वास्तविक	यूनिट	2020-21	2021-22	पीओआई
	वास्तविक	एमटी	-	***	***
निर्यात बिक्री	अनुमानित	सूचीबद्ध	100	133	142
	वास्तविक	सूचीबद्ध	-	100	128
बिक्री की लागत	अनुमानित	र./एमटी	***	***	***
	वास्तविक	र./एमटी	***	***	***
बिक्री की लागत	अनुमानित	सूचीबद्ध	100	97	97
	वास्तविक	सूचीबद्ध	100	139	148
आवेदक की बिक्री कीमत	अनुमानित	र./एमटी	***	***	***
	वास्तविक	र./एमटी	***	***	***
आवेदक की बिक्री कीमत	अनुमानित	सूचीबद्ध	100	100	100
	वास्तविक	सूचीबद्ध	100	143	151
लाभ/हानि(पीबीटी)	अनुमानित	र./एमटी	***	***	***
	वास्तविक	र./एमटी	***	***	***
लाभ/हानि(पीबीटी)	अनुमानित	सूचीबद्ध	100	139	145
	वास्तविक	सूचीबद्ध	-100	-22	-33
आरओआई	अनुमानित	%	***	***	***
	वास्तविक	%	***	***	***
आरओआई	अनुमानित	सूचीबद्ध	100	188	217
	वास्तविक	सूचीबद्ध	-100	-1,701	-4,394

119. यह देखा गया है कि विभिन्न वृहत आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों से काफी कम है। इसके अलावा, अनुमानित प्रदर्शन और प्राप्त किया गया वास्तविक कार्य-निष्पादन के बीच अंतर बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों का ब्यौरा उपलब्ध कराया। कंपनी ने दावा किया है कि इसने अनेक देशों जैसे यूरोपीय यूनियन, ब्राजील, कोलम्बिया, मेक्सिको, तुर्की, मलेशिया आदि को निर्यात किया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि ये निर्यात घरेलू बाजार में प्राप्त की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर किए गए हैं।
120. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि परियोजना रिपोर्ट केवल पीटीबीपी के लिए नहीं है और इसे 2016 में तैयार किया गया था। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित परियोजना रिपोर्ट 2016 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की गई पूर्व व्यावहार्यता रिपोर्ट है। परियोजना रिपोर्ट में कुल मिलाकर बुटाईल फिनोल संयंत्र के लिए अनुमानित निवेश है। हालांकि, यह उस स्थिति पर विचार करते हुए उपयुक्त और स्वाभाविक है जहां कंपनी ने चार उत्पादों में निवेश करने का निर्णय लिया है (जिसमें से किसी का भी देश में पहले उत्पादन नहीं किया गया था) और जो संयंत्र और उपकरण में समानताओं के उच्च मात्रा को शामिल करते हुए उत्पादों के एक ही परिवार (अर्थात् बुटाईल फिनोल) में आता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे सभी चार प्रकारों के बुटाईल फिनोल के लिए संस्थापित क्षमता के आधार पर समानुपाती आधार पर विचाराधीन उत्पाद में निवेश पर विचार किया है। यह भी देखा गया है कि परियोजना रिपोर्ट बाजार की उस स्थिति का उल्लेख करता है तथा सभी चार प्रकारों के फिनोल के लिए अनुमानित प्रदर्शन का पृथक रूप से उल्लेख करता है। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट में

विचारित इनपुट कीमतें उस समय की प्रचलित कीमतों के आधार पर हैं। हालांकि क्षति की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई वास्तविक इनपुट कीमतों के लिए उपयुक्त रूप से समायोजन किया गया है।

121. यह भी तर्क दिया गया है कि कोविड-19 महामारी जैसे अप्रत्याशित घटनाक्रम, कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों का भी परियोजना रिपोर्ट में समुचित रूप से समायोजन किया जाना चाहिए। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से इन कारकों ने विशिष्ट रूप से वर्तमान घरेलू उद्योग पर प्रभाव डाला है और भारत में तथा वैश्विक स्तर पर विदेशी उत्पादकों एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादकों, दोनों को प्रभावित नहीं किया है। कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों जैसे कारकों को बल्कि कम कीमत पर आयातों से घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करना चाहिए था। इसके अलावा, यह देखा गया है कि सहयोगी निर्यातकों के मामले में पाटन मार्जिन ***प्रतिशत तक अधिक है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि विदेशी उत्पादकों ने अपने घरेलू बाजारों को संरक्षण प्रदान किया और अपने घरेलू बाजार में लाभप्रद तथा बहुत अधिक कीमतें वसूलना जारी रखा, उन्होंने भारतीय बाजार में आक्रामक पाटन किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोविड-19 महामारी पर विचार नहीं करना घरेलू उद्योग की परियोजना अथवा प्रचालनों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं किया है। घरेलू उद्योग के पास एक इनपुट है जिसकी आपूर्ति कैप्टिव रूप से की जाती है जबकि अन्य प्रमुख इनपुट (फिनोल) न केवल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है बल्कि उसका बहुत अधिक मात्रा में आयात भी हुआ है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा, कोविड-19 तथा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण कच्चे माल और यूटिलिटी की कीमत में वृद्धि वैश्विक घटना हुई होती और न कि केवल घरेलू उद्योग पर ही इसका प्रभाव पड़ा होता। यह नहीं दर्शाया गया है कि ऐसे कारक, यदि कोई हो, ने केवल याचिकाकर्ता को प्रभावित किया था।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

122. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य-निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस तथ्य की भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का इस क्षति में कोई योगदान हो सकता है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध स्रोतों से बहुत अधिक आयात हुए थे। हालांकि, संबद्ध देशों से पाटन के साथ, संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य स्रोतों से आयातों में पूर्ण रूप में और भारत में खपत की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई। इसके अलावा, ये जांच की अवधि में न्यूनतम स्तर पर थे।

क्र.सं.	विवरण	पीओआई
क	आयात की मात्रा	
1	संबद्ध देश	9,420
2	गैर संबद्ध देश	304
ख	आयात की औसत कीमत	
3	संबद्ध देश	1,28,423
4	गैर संबद्ध देश	1,44,836

ख. मांग में संकुचन

124. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान जांच की अवधि में कुछ गिरावट के साथ वृद्धि हुई। यह देखा गया है कि मांग में 2021-22 में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। हालांकि, मांग ने आधार वर्ष के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। इसके अलावा, संबद्ध आयात याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बावजूद जांच की अवधि में मांग के अधिकांश हिस्से (***) प्रतिशत पूरा कर रहा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में ***एमटी की स्थापित मांग तुलना में ***एमटी की क्षमता है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

125. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

126. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं हैं और इनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात कार्य-निष्पादन

128. दी गई सूचना पर केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया गया है।

झ. क्षति मार्जिन का आकार

129. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटी के सर्वश्रेष्ठ तिमाही उपयोग और उत्पादन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय तथा/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन की लागत और/अथवा एनआईपी से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित एनआईपी तय करने के लिए ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए दी गई है।

130. पहुंच कीमत और ऊपर में निर्धारित किए गए एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

	उत्पादक/देश	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		(भारतीय रुपए/ एमटी)	(भारतीय रुपए/ एमटी)	(भारतीय रुपए/ एमटी)	%	(रेंज%)
1	सिंगापुर	***	***	***	***	10-20
2	कोरिया					
	एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
	अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
3	यूएसए					

एसआई ग्रुप इंक	***	***	***	***	50-60
अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	70-90

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

अ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. निर्यात कीमत की विश्वसनीयता के संबंध में प्रस्तावित निर्धारण निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं है:
- क. प्राधिकारी की टिप्पणियां और व्याख्या की केवल प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं कि क्या एनईपी अविश्वसनीय नहीं है और निर्यातक उसके बारे में दावा नहीं कर सकते हैं: अविश्वसनीयता के पहलू की जांच प्राधिकारी द्वारा केवल उन मामलों में की जाएगी जहां निर्यातक यह दावा करते हैं कि उच्चतर निर्यात कीमत सही नहीं है। भारतीय विधायिका ने इसे उपयुक्त माना कि यह दावा करने से किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जाए कि उनकी निर्यात कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं, इसके बजाए इसे पूर्ण रूप से प्राधिकारी का विशेष अधिकार बनाया जाए।
- ख. प्राधिकारी की कार्य-पद्धति उत्पादक/निर्यातक तथा आयातक के बीच कीमतों पर विश्वास नहीं करने की है जब वे संबद्ध कंपनियां हों, यदि उसे विदेशी उत्पादक/निर्यातक द्वारा अन्यथा प्रमाणित न किया गया हो।
- ग. कानून में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कीमतें तभी अविश्वसनीय होंगी जब पाटित मार्जिन नकारात्मक हो।
- घ. मौखिक सुनवाई के बाद ही प्रस्तुत की जा रही निर्यात कीमत की अविश्वसनीयता का दावा सही नहीं है। प्रतिवादियों ने दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के अपने अनुरोधों में यह अनुरोध किया कि संबंधित आयातक की कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और उन पर निर्यात कीमत गणना के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए।
- ड. प्रणालियों में तकनीकी बाधाओं के कारण अंतरण कीमत निर्धारण में त्रुटि का पता लगाया गया था और उसके तत्काल बाद विशेष मूल्यांकन शाखा ("एसवीबी") को दिनांक 26 सितंबर 2023 के पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी। एसवीबी अपनी अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे पोर्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करेगा। तदनंतर, पोर्ट सीमा शुल्क अधिकारी प्रविष्टि के बिलों का अंतिम आकलन करेंगे और अपनी समझ के अनुसार ब्याज के साथ अतिरिक्त शुल्कों की मांग भेजेंगे। इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर छह से आठ महीने का समय लगता है। एसआई समूह ने अंतरण कीमत निर्धारण को सही करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह सीमा शुल्क प्राधिकारी है जो इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- च. यदि प्राधिकारी असंबद्ध ग्राहक को कीमत निर्धारण के आधार पर संबद्ध ग्राहक के लिए निर्यात कीमत तय भी करता है तब पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इस कारण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों का पाटन नहीं दर्शाने का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या क्षति मार्जिन निर्यात कीमत की संरचना को अपनाने के बाद पाटन मार्जिन से अधिक अथवा पाटन मार्जिन से कमतर है।
- छ. कोई भी समझदार निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के अपाटन से बचने के लिए इस प्रकार की कार्य-पद्धतियों में लिप्त नहीं होगा। इन पर भारी जुर्माना लग सकता है और ब्याज की मांग सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसी कार्य-पद्धतियों के लिए की जाती है।
- ज. उस समय तक जब तक प्राधिकारी इस जांच की शुरुआत करते हैं, कोई भी निर्यातक ने पहले ही भारत में संबंधित और असंबंधित ग्राहक, दोनों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जो जांच की अवधि से संबंधित है। इस कारण से, प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि निर्यातक सामान्य तौर पर धारा 9क(1) की व्याख्या (ख) का दुरुपयोग करना शुरू करेंगे, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- झ. विचाराधीन उत्पाद के लिए अंतरण कीमत निर्धारण में यह त्रुटि केवल जांच की अवधि में ही नहीं हुई थी बल्कि इसकी शुरुआत 3 वर्ष पूर्व ही हो गई थी और इसने एसआई कोरिया और एसआई यूएसए द्वारा निर्यात किए गए 3 अन्य उत्पादों को भी प्रभावित किया।

- ज. एसआई ग्रुप ने अपने लेखांकन खातों में ब्याज के साथ इन शुल्कों के भुगतान के लिए सावधान भी किया है। एसआई ग्रुप भारत वीओई के आकलन को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग का भुगतान करेगा।
- ii. प्राधिकारी को असंबद्ध ग्राहकों को कीमत के आधार पर संबद्ध पक्षकार के बीच व्यापार के लिए निर्यात अवश्य तय करनी चाहिए।
- iii. पीटीबीपी के लिए एसआई ग्रुप की अंतरण कीमत निर्धारण नीति भी तुलनीय अनियंत्रित कीमत निर्धारण पद्धति के आधार पर है जो असंबद्ध ग्राहक को कीमत के अलावा कुछ नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं होती तब अंतरण कीमत असंबद्ध ग्राहक को कीमत के रूप में संबद्ध ग्राहक को वही कीमत हुई होती।
- iv. निर्यात कीमत के साथ पहुंच कीमत को भी वर्तमान स्थिति में अवश्य तय किया जाना चाहिए। प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति इस तथ्य के बावजूद कि कानून और नियमावली में पहुंच मूल्य को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, न केवल निर्यात कीमत में बल्कि पहुंच कीमत में भी संबंधित निर्यातक द्वारा पुनः बिक्री पर हानि का समायोजन करने की रही है।
- v. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उस सीमा तक सुधार आया है, जिस सीमा तक उसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जांच की अवधि के बाद की अवधि में हुई है, उनका बाजार हिस्सा 79 प्रतिशत (एसआई ग्रुप के भीतर आंतरिक अंतरण को छोड़कर) और 48 प्रतिशत (एस आई ग्रुप में आंतरिक अंतरण को शामिल कर) तक पहुंच गया है।
- vi. प्राधिकारी को वास्तविक धीमापन के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए जांच की अवधि की बाद की अवधि विशेषकर जुलाई 2022 से जून 2023 तक की अवधि के लिए आंकड़ों की जांच करनी चाहिए।
- vii. 4 बुटाइल फिनोल के लिए उत्पादन लाइनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यह सिद्ध करता है कि यदि अन्य 3 बुटाइल फिनोल की मांग में वृद्धि होती है और यह इन बुटाइल फिनोल की बिक्री करने के लिए विनाती के लिए अधिक लाभप्रद है तब वे भारत में पीटीबीपी की मांग की पूर्ति करने के बजाए अपने उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। यह इस बात को भी सिद्ध करता है कि प्रतिवादी का यह तर्क कि वीएपीएल के साथ विनाती का आमेलन के साथ, विनाती बुटाइल फिनोल की अपनी क्षमता को उस स्थिति में आगे डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्माण करने के लिए अपनी कैप्टिव खपत को पूरा करने के लिए परिवर्तित करेगा जब यह भविष्य में उनके लिए अधिक लाभप्रद हो और इसके फलस्वरूप मांग-आपूर्ति में अंतर होगा।
- viii. प्राधिकारी ने प्रतिवादियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नहीं की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनाती की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह पीटीबीपी का निर्माण करता रहा है।
- ix. प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट की सत्यता जो वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण है, के संबंध में कोई जांच उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि विनाती सामान्य से अधिक बिक्री कीमत प्राप्ति के अनुमान पर परियोजना रिपोर्ट में उच्च लाभप्रदता दर्शाई होगी। परियोजना रिपोर्ट को आमतौर पर उच्चतर मूल्य और कंपनी में निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है।
- x. प्राधिकारी ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि क्या अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि, यूक्रेन युद्ध परिदृश्य आदि को ध्यान में रखने के लिए अनुमानित अनुमान के लिए कोई समायोजन किए गए थे।
- xi. प्राधिकारी द्वारा परियोजना रिपोर्ट में विचाराधीन उत्पाद की अनुमानित बिक्री की मात्राओं के कारण प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन नहीं किया गया है।
- xii. विनाती ने स्वयं यह दावा किया कि पाटनरोधी शुल्क, यदि यह अंतिम प्रयोक्ताओं पर 0-5 प्रतिशत तक लगाया गया हो, के प्रभाव के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव 1 प्रतिशत के कम होगा।
- xiii. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग विभिन्न अंतिम उपयोगों में किया जाता है और सभी उपयोग के लिए अलग अलग विनिर्देश अपेक्षित होते हैं और इस कारण से कीमत भी बहुत अधिक हद तक अलग अलग होती है।

- xiv. संबद्ध कंपनियों और असंबद्ध कंपनियों को निर्यात किया गया पीटीबीपी अलग अलग विनिर्देश के हैं और इस कारण से कीमतें अलग अलग हैं।
- xv. उत्पादन और बिक्री करने में असमर्थता का सीधे तौर पर संबंध घरेलू उद्योग द्वारा सामाना की जा रही प्रौद्योगिकीय बाधाओं से है और इस कारण से कम उत्पादन और बिक्री के लिए इन आयातों को जिम्मेदार बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य प्रस्ताव है।
- xvi. जब तक अनुरोध की गई सूचना/विश्लेषण नहीं किया जाता है और प्रकटन विवरण का नया अगोपनीय रूपांतर जारी नहीं किया जाता है, प्रकटन विवरण का संपूर्ण विश्लेषण और उसे जारी किए जाने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा।

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

132. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) प्राधिकारी को संबंधित पक्षकार को निर्यात बिक्री की कीमत अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि इस प्रकार ये कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और एक उपयुक्त वैकल्पिक पद्धति का भी सुझाव नहीं दिया है। इसके बदले में, प्राधिकारी ने उन निर्यात लेन-देन की उपेक्षा करते हुए तर्क दिया है।
- ii) इस नियमावली के अन्तर्गत निर्यात कीमत का निर्धारण इस निर्यातक द्वारा किए गए संचयी निर्यातों के लिए अवश्य किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से किसी भी मात्रा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में संबद्ध पक्षकार को बिक्री की मात्रा की उपेक्षा करने का आशय कंपनी की नगण्य निर्यात मात्राओं को अपना माना जाएगा जो अपने आप में भारत में कुल आयातों के मामले में न्यूनतम हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण है कि जहां संबंधित कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र निर्यातक है।
- iii) निर्धारित एनआईपी बहुत कम है। निर्धारित खर्च के आबंटन और निवल निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए विचार किए गए आबंटन का आधार के बारे में नहीं बताया गया है। यह विदित होता है कि खर्च कारोबार पर वास्तविक बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा सूचित व्यय की उपेक्षा की गई है।
- iv) सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह बताया गया था कि डीजीटीआर को या तो वास्तविक उत्पादन और बिक्री से सभी आंकड़ों पर विचार करना चाहिए अथवा डीजीटीआर को परियोजना रिपोर्ट से बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य (कच्चे माल की कीमतों के कारण आवश्यक परिवर्तनों के लिए उचित समायोजन के बाद) पर विचार करना चाहिए।
- v) आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्थापित करने की गति धीमी हुई है।
- vi) शुल्क लगाना जनहित में हैं और इन शुल्कों का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। परप्यूमरी और रेसिन दोनों उद्योगों के अंतिम ग्राहकों को अधिकांशतः समाज के उच्च वर्गों द्वारा खपत किया जाता है। यदि उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभाव पर भी विचार किया जाना है तब यह भारतीय उद्योग के केवल एक लघु वर्ग को प्रभावित करता है जिसका अपेक्षाकृत बहुत अधिक खर्च है।
- vii) यह एक ज्ञात तथ्य है कि एसआई ग्रुप कैप्टिव उपयोग के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात करता है और इस प्रकार एसआई ग्रुप द्वारा कम कीमत वाले आयात उन्हें अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की तुलना में डाउनस्ट्रीम उद्योग में अत्यधिक और अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहा था।
- viii) घरेलू उद्योग को अभी अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग ईष्टतम स्तरों तक करना बाकी है। संबद्ध देशों पर शुल्कों को लगाए जाने के साथ, घरेलू उद्योग अपनी ईष्टतम क्षमता स्तर को प्राप्त करने और भारतीय बाजार को आपूर्ति कर बेहतर बनाने में सक्षम होगा। आयातक विचाराधीन उत्पाद पर शुल्कों को लगाए जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं की ओर जाने में सक्षम है। ऐसे अन्य देश हैं जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और भारत, अर्थात् ताइवान, चीन और रूस को भी निर्यात कर रहे हैं।

- ix) विचाराधीन उत्पाद की खपत परफ्यूम और रेसिन दोनों खंडों में होता है जहां डाउनस्ट्रीम उत्पादक एसआई ग्रुप इंडिया से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। एसआई ग्रुप इंडिया इस उत्पाद को अत्यधिक पाटित कीमतों पर प्राप्त कर रहा है। एसआई ग्रुप इंडिया सुगंध और रेसिन दोनों उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और उनकी बिक्री बाजार में कर रहा है जिसके कारण उन उत्पादकों, जो या तो घरेलू उद्योग से अथवा अन्य देशों से या एसआई ग्रुप से उच्चतर कीमत पर पीटीबीपी की आपूर्ति कर रहा है।
- x) पाटनरोधी शुल्क लगाने से अनुचित लाभ जो एसआई ग्रुप इंडिया को उपलब्ध था, समाप्त हो जाएगा और न केवल पीटीबीपी बाजार में बल्कि डाउनस्ट्रीम बाजार में निष्पक्ष बाजार स्थितियां उत्पन्न होंगी।
- xi) आपूर्ति का घरेलू स्रोत होना भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की ओर एक कदम है। उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पास आपूर्ति की मजबूत और विश्वसनीय स्रोत बनाए रखने के लिए एक स्थाई घरेलू आपूर्ति उपलब्ध हो।
- xii) परफ्यूमरी खंड का एक बड़ा भाग डाउनस्ट्रीम उत्पाद तथा सुगंध/इत्र का निर्यात कर रहा है और ये उत्पादक अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहे हैं।
- xiii) घरेलू उद्योग के लिए कोई एकाधिकार वाली स्थिति नहीं है। घरेलू उद्योग अनेक उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहा है जहां वे एकमात्र उत्पादक हैं और पाटनरोधी शुल्क इस देश में ऐसे अनेक उत्पादों के आयातों पर लागू था। शुल्क नहीं लगाना इस देश को आयात पर ही निर्भर बनाएगा जो इन उपभोक्ताओं के हित को नुकसान पहुंचाता है। गैर-संबद्ध देशों, जो बाजार में बहुत अधिक मात्राओं में आपूर्ति कर रहे थे, से भी आयात हो रहे हैं। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है और केवल आयातों को विनियमित करता है।
- xiv) शुल्क पांच वर्षों के लिए यूएस डॉलर में लगाया जाना चाहिए। रुपये का बहुत अधिक हद तक अवमूल्यन हुआ है जिसने कच्चे मालों, यूटिलिटीज की लागत और अन्य लागतों को प्रभावित किया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी अंतिम जांच परिणाम के संगत पृष्ठों में पहले ही उपयुक्त ढंग से जांच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। प्रकटन विवरण में उठाए गए ऐसे मुद्दों जिनकी पहले ही जांच गई है, की अब जांच नहीं की गई है।
134. इस तर्क संबंध में कि प्राधिकारी की प्रक्रिया उत्पादक/निर्यातक तथा आयातक के बीच कीमतों पर तब भरोसा करने की नहीं है जब वे संबंधित कंपनियां हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क इस दावे की तरह है कि प्राधिकारी अनिवार्य रूप से तब निर्यात कीमत का परिकलन करेंगे जब निर्यातक और आयातक संबंधित हों। तथापि, धारा 9क(ख) की ऐसी किसी व्याख्या का कोई आधार नहीं है।
135. इस तर्क के संबंध में कि निर्यातक ने दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के अपने अनुरोध में बताया था कि संबंधित आयातक की कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और निर्यात कीमत की गणना के लिए उन पर विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि निर्यातक ने 25 अप्रैल, 2023 को भी अनुरोध किए हैं तो भी 26 सितंबर, 2023 तक त्रुटि को सही करने के लिए निर्यातक और आयातक द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
136. इस तर्क के संबंध में कि विशेष मूल्यांकन शाखा ("एसवीबी") को 26 सितंबर, 2023 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले कथित त्रुटि और उसके बाद डीजीटीआर को उसकी सूचना देने तथा दूसरे प्रश्नावली का उत्तर तैयार करने तथा डीजीटीआर को उसे प्रस्तुत करने और एसवीबी को उसकी सूचना देने में काफी समय बीत गया है। निर्यातक ने संगत एसवीबी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं और प्राधिकारी उस कीमत के बारे में आयातक के दावे से अनभिज्ञ हैं जिस पर आयात का आकलन किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में अनेक कीमतें थीं और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को निर्यात कीमत एसवीबी द्वारा उचित कीमत मानी जा सकती है। प्राधिकारी उस कीमत के बारे में अब भी अनभिज्ञ हैं जिस पर सीमा शुल्क प्राधिकारी ने अंतिम रूप से निर्णय लिया यद्यपि भविष्य में निर्यात कीमत में संभावित सुधार पाटन की मात्रा को आंशिक रूप से देख सकता है, परंतु जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति मार्जिन के प्रश्न का संबंध है इन्हीं निर्यात कीमतों के आधार पर पीयूसी के भारतीय उद्योग और डाउनस्ट्रीम उद्योग को निर्यातकों द्वारा निर्यात के कारण

- नुकसान हुआ है। अतः किसी भी तरह यह सिद्ध नहीं होता है कि प्राधिकारी को यह स्वीकार करने पर भी क्षति मार्जिन के लिए इन कीमतों पर क्यों विचार करना चाहिए कि उन पर पाटन मार्जिन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्वीकार किया है कि यदि पाटन मार्जिन को संबंधित उपभोक्ताओं की निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए तब भी वह काफी अधिक है। जहां तक क्षति मार्जिन का संबंध है किसी भी तरह ऐसी क्षति उस कीमत पर हुई है जिस पर वस्तुओं को भारतीय आयातक के लिए दर्ज किया गया है। घरेलू उद्योग को यह मानते हुए अपने उपभोक्ताओं से बेहतर कीमत की उम्मीद नहीं है कि आयातकों को निर्यातकों द्वारा सूचित कीमत संबंधित होने के कारण अविश्वसनीय थी और उसमें पर्याप्त समय बीतने के बाद सुधार हो सकता है।
138. यह वक्तव्य कि अंतरण कीमत में त्रुटि न केवल पीओआई में हुई, बल्कि तीन वर्ष पहले शुरू हुई थी और उसने एसआई कोरिया और एसआई यूएसए द्वारा निर्यातित तीन अन्य उत्पादों को भी प्रभावित किया है, दर्शाता है कि संबंधित उत्पाद के भारतीय उत्पादक और उपभोक्ता तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादों को उस कीमत के आधार पर नुकसान हुआ है जिस पर इन वस्तुओं को संगत अवधि के दौरान आयात किया गया है।
139. इस दलील के संबंध में कि एसआई ग्रुप ने अपनी लेखा पुस्तकों में ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान के लिए भी प्रावधान किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई सूचना प्राधिकारी के रिकार्ड में नहीं है।
140. इस दलील के संबंध में कि अंतरण कीमत संबंधित उपभोक्ताओं और असंबंधित उपभोक्ताओं के कीमत के समान रही होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति उस कीमत पर हुई है जिसे संगत अवधि में बताया गया है। ऐसी क्षति का उपचार आयात सौदों के मूल्यों में देरी से सुधार द्वारा नहीं हो सकता है।
141. इस तर्क के संबंध में कि पीओआई के बाद के आंकड़ों की वास्तविक मंदी निर्धारण के लिए जांच की जानी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि स्वयं पीओआई के लिए क्षति संबंधी सूचना पर्याप्त रूप से घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है।
142. इस तर्क के संबंध में कि 4 ब्यूटाइल फेनोल की क्षमता का अलग-अलग रूप में प्रयोग हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमताओं की ऐसी प्रतिस्थापनीयता एक नेमी कार्यकलाप नहीं हो सकता है। इसके अलावा, किसी भी तरह घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता अपने आप में अप्रयुक्त है और अधिकांशतः देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उद्योग मौजूदा मांग को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि मांग आपूर्ति में अंतर की संभावित स्थिति हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ताओं के पास अन्य गैर संबद्ध देश से आपूर्ति के स्रोत उपलब्ध हैं और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता चिंता का विषय नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली के अंतर्गत समीक्षा के प्रावधान हैं जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनाया जा सकता है।
143. इस अनुरोध के संबंध में कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनती की है कि वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उसने काफी पहले संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है, 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरणों से यह नोट किया जाता है कि उसने बताया कि कंपनी ब्यूटाइल फेनोल के उत्पादन के लिए नई प्रक्रिया के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्यूटाइल फेनोल को वित्त वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।
144. इस तर्क के संबंध में कि अनुमानित कीमत प्राप्ति उच्चतर मूल्यांकन के लिए हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत प्राप्ति वस्तुओं की लागत, क्षमता के उपयोग आदि के आधार पर अनुमानित की गई थी। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि कंपनी ने निवेशकों या बैंकों जैसे बाहरी स्रोतों पर भरोसा किए बिना आंतरिक रूप से ब्यूटाइल फेनोल के उत्पादों में निवेशों को प्राथमिक रूप से वित्तपोषित किया है।
145. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री की मात्रा को समायोजित नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुमानित बिक्रियां उस उपयोग पर आधारित थीं जिसे घरेलू उद्योग द्वारा हासिल किया जा सकता है। अनुमानित बिक्री पीओआई में मांग के स्तर से कम है। इसलिए घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री को समायोजित करने कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा, पीओआई के क्यू 3 से क्यू 4 में मांग में गिरावट पर से भी संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षमता और उत्पादन के बावजूद अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।

146. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तु के विभिन्न विनिर्देशन होते हैं जिससे लागत और कीमत में अंतर हो जाता है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इसके लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

अ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। घरेलू उद्योग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और इसने बहुत बड़ा बाजार प्राप्त कर लिया है। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ii) विचाराधीन उत्पाद की लागतों में वृद्धि आसानी से अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जा सकती है। डाउनस्ट्रीम उद्योग कीमत के प्रति संवेदनशील है और लागतों में कोई भी वृद्धि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और संभावित रूप से बाजार की हानि और निर्माण संबंधी असुविधाएं उत्पन्न होंगी।
- iii) पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल प्रयोक्ता उद्योग की लागत में वृद्धि होगी बल्कि अंतिम प्रयोक्ता को यह प्रभावित भी करेगा।
- iv) डाउनस्ट्रीम उत्पादों को उन कीमतों पर बेची जाती है जो कम मार्जिन होती है। लागतों में कोई भी वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की हानि और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण को जारी रखने की क्षमता की हानि हो सकती है।
- v) पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।
- vi) इस शुल्क के प्रभाव की गणना प्रयोक्ता उद्योग द्वारा लगभग 6-8 प्रतिशत की गई थी।
- vii) एसआई ग्रुप इंडिया का संयंत्र अपने प्रारंभ से ही भारत में रोजगार को बढ़ावा देता रहा है। इस संयंत्र का निर्माण और स्थापना ने सैकड़ों कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया।
- viii) प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान जांच में वास्तविक धीमापन सिद्ध किए जाने की स्थिति में दो वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

अ.2. घरेलू उद्योग के विचार

148. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) उपभोक्ताओं को यह दर्शाना चाहिए था कि लागत में वृद्धि नहीं डाली गई थी बल्कि उसे अवशोषित कर लिया गया था।
- ii) अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत नगण्य है।
- iii) पीटीबीसीएच का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता है और इस प्रकार पीटीबीसीएच के लिए खरीदा गया पीटीबीपी आमतौर पर अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत खरीदा जाता है और इस प्रकार शुल्क लगाए जाने का ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीटीबीसीएच के उपभोक्ता बड़ी कंपनियां हैं जो शुल्क में वृद्धि के किसी प्रभाव को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। उसी प्रकार, पीटीबीपी रेसिन का बहुत बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार वे वृद्धि के प्रभाव को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत पर डाल सकते हैं।
- iv) पाटनरोधी शुल्क लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में आयात उचित कीमत पर हो। घरेलू उद्योग के लिए कोई एकाधिकार वाली स्थिति नहीं हो। शुल्क को नहीं लगाने से यह देश आयातों पर ही निर्भर हो जाएगा जो उपभोक्ताओं के हित को नुकसान पहुंचाता है।
- v) सुगंध/इत्र की लागत में वृद्धि साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माताओं पर डाला जाता है जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा हैं और उनकी लागत में इत्र की लागत न्यूनतम होती है। गणना की गई प्रभाव परफ्यूम उद्योग पर 0.05 प्रतिशत और रेसिन उद्योग पर 3.3 प्रतिशत के बीच है।

- vi) एसआई ग्रुप ने सरकार से फिनोल, एसिटोन और नोनिल फिनोल से बार बार संरक्षण मांगा है। यह वास्तव में दोहरा मानक है जिसे कंपनी द्वारा एक घरेलू उत्पादक और एक उपभोक्ता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
- vii) प्राधिकारी को वर्तमान मामले को एक अपवाद के रूप में नहीं मानना चाहिए और 5 वर्षों के लिए शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। याचिकाकर्ता बहुत अधिक हानि का सामना कर रहा है और आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। अपेक्षाकृत कम समय अवधि के लिए लगाया गया शुल्क घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही वास्तविक धीमापन का समाधान करने में प्रभावी नहीं होगा।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

149. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत संबंधी सूचना जारी की। घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता/उपभोक्ता और अपस्ट्रीम इनपुट आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति देने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी। यह नोट किया जाता है कि केवल एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इटर्निस फाइन केमिकल्स लिमिटेड, और पोलिमर्स और पोलीसोल्स ने ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया। इन तीनों को छोड़कर, विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता ने कोई अनुरोध नहीं किया है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग एक लघु उद्योग नहीं है और वर्तमान जांच उनकी जानकारी में किया जाना माना गया है।
150. पीटीबीपी का उपयोग परफ्यूमरी और रेसिन उद्योग में किया जाता है। पीटीबीपी की खपत परफ्यूमरी उद्योग में ***प्रतिशत और रेसिन उद्योग में ***प्रतिशत है। नीचे दी गई तालिका डाउनस्ट्रीम उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उपभोग प्रोफाइल को दर्शाता है।

क्र.स.	विवरण	यूनिट	साबुन और डिटर्जेंट	रेसिन
1	पीटीबीपी की खपत	एमटी/एमटी	***	***
2	पीटीबीपी में कीमत वृद्धि	रु./एमटी	***	***
3	अंतिम उत्पाद की लागत में वृद्धि	रु./एमटी	***	***
4	अंतिम उत्पादक की कीमत	रु./एमटी	***	***
5	पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<1%	<1%

151. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक अनुरोध किए हैं जिनकी जांच प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।
152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन की स्थिति का निवारण करना है और घरेलू उद्योग के लिए एक निष्पक्ष समान अवसर स्थापित करना है। इस नियमावली में प्रावधान है कि लगाए गए शुल्क की राशि उसी सीमा तक सीमित है जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने तथा घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर अनुचित आयातों के प्रभाव को रोकने के लिए है। कमतर शुल्क नियम का उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि भारतीय उद्योग का निवारण सीमित है।
153. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता का एकाधिकार स्थापित होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2020 में व्यापारिक उत्पादन शुरू किया है और इस अवधि के पूर्व, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारतीय मांग की पूर्ति आयातों के द्वारा की जा रही थी। जबकि इस उत्पाद के लिए मांग का लगभग *** प्रतिशत आधार वर्ष के दौरान गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा पूरा किया जा रहा है, घरेलू उद्योग के पास वर्तमान में केवल *** प्रतिशत बाजार हिस्सा है और शेष के लिए पूर्ति आयातों के द्वारा की जा रही है।
154. पाटनरोधी शुल्क लगाना विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वे उचित कीमत पर भारतीय प्रक्षेत्र में हों। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटित आयातों को रोकना है और घरेलू उद्योग को निवारण प्रदान करना है जिसका विकास वास्तविक रूप से रोक दिया गया है। बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसे आयातों के द्वारा पूर्ति किया जाएगा।

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तुओं की अनुचित आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्कों को लगाकर घरेलू उत्पादकों को समान अवसर सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। साथ ही प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत हैं कि इस प्रकार के शुल्कों का प्रभाव आमतौर पर विचाराधीन उत्पाद के केवल घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने के फलस्वरूप देश के भीतर प्रतिस्पर्धा के मुद्दे भी उत्पन्न होंगे और प्राधिकारी उसको नोट करते हैं।
156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा। डाउनस्ट्रीम उद्योग जो संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करता है निम्नलिखित हैं:
- क. पीटीबीसीएचए जिसका उपयोग परफ्यूम उद्योग द्वारा इत्र का पालन करने के लिए किया जाता है।
- ख. रेसिन जिसका उपयोग कोटिंग/इंक/एडेसिव उद्योग में किया जाता है।
157. यह नोट किया जाता है कि इस प्रकार की संबद्ध वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है और उन्हें उनके उपयोग के लिए रूपांतरित किया जाता है। परफ्यूम उद्योग में पीटीबीपी का अंतिम उत्पाद साबुन, डिटर्जेंट और शैंपू में होता है।
158. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए (4-टरसेरि बुटाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटेट) के उत्पादन में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पीटीबीपी की लगभग खपत 78 प्रतिशत के करीब है। पीटीबीसीएचए का एकमात्र उपयोग परफ्यूम उद्योग में किया जाता है। याचिकाकर्ता यह भी अनुरोध करते हैं कि पीटीबीसीएचए का व्यापक तौर पर निर्यात किया जाता है और इस प्रकार पीटीबीसीएचए के लिए खरीदा गया पीटीबीपी की आमतौर पर खरीद अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार शुल्क लगाने का ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका खंडन अन्य पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है।
159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटीबीसीएचए के उत्पादक लागत में इन परिवर्तनों को उनके ग्राहक अर्थात् अगले उत्पाद अर्थात् सुगंध/इत्र के उत्पादकों पर डाला जाता है, जिसका उपयोग साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माताओं, जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा है, द्वारा किया जाता है। हालांकि, इस उत्पाद का उपयोग सभी प्रकारों के साबुनों, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माण में नहीं किया जाता है। इस उत्पाद का उपयोग साबुनों, शैंपूओं और डिटर्जेंट निर्माण के केवल प्रीमियम अथवा उच्च खंड में किया जाता है। इसके अलावा, भारत में एफएमसीजी क्षेत्र मजबूत विकास दर्ज करता रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई गणना(अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है) यह दर्शाता है कि पीटीबीसीएचए के कारण लागत साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के उत्पादन की लागत का मुश्किल से *** प्रतिशत होता है। इस प्रकार, यद्यपि पीटीबीपी की कीमत और उसके फलस्वरूप पीटीबीसीएचए में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के द्वारा वृद्धि (अर्थात् *** प्रतिशत), वह लगभग *** प्रतिशत की मात्रा तक साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के उत्पादन की लागत में वृद्धि दर्शाएगा। इस प्रकार, प्रस्तावित शुल्कों को लगाने का अंतिम उत्पाद के उत्पादन की लागत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कारण से अंतिम उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।
160. रेसिन उद्योग के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया और प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेसिन में पीटीबीपी की लगभग खपत *** प्रतिशत के करीब है। रेसिन की खपत कोटिंग, इंक और अधेसिव के उत्पादन में है। कोटिंग, इंक और अधेसिव में पीटीबीपी रेजिन खपत बहुत कम है। इस प्रकार, इन अंतिम उत्पादों पर रेसिन की लागत में वृद्धि का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
161. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि परफ्यूमरी खंड के एक बड़े तबके ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात किया है और ये उत्पादक अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात कर रहे हैं। निर्यात प्रयोजनों के लिए आयात पर किसी भी तरह पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है।
162. आवेदक संबद्ध वस्तु का एक मात्र और नया उत्पादक हैं। उपभोक्ता केवल आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमताओं की स्थापना से पहले आयात पर निर्भर थे। आपूर्ति का एक घरेलू स्रोत होने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और उपभोक्ताओं को एक अच्छा और भरोसेमंद आपूर्ति का स्रोत मिलेगा।

झ. निष्कर्ष और सिफारिश

163. किए गए अनुरोधों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त साक्ष्यांकित सूचना और रिकार्ड में यथा उपलब्ध, प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों की पूर्वोक्त पैराग्राफों में जांच की गई है और पाटन तथा घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के लिए आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:
- i. विचाराधीन उत्पादन "पैरा-टर्सियरी ब्यूटाइल फिनोल" या "पीटीबीपी" है। पीटीबीपी को 4 टर्ट ब्यूटाइल फेनॉल/पी टर्ट ब्यूटाइल फेनॉल/पीटीबीपी रसायन/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है।

- ii. आवेदक ने जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। संबद्ध वस्तु भारत में जहां तक उसके उत्पादन का संबंध है। देश के लिए एक नया उत्पाद है।
- iii. संबद्ध देशों से निर्यातित संबंध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु है।
- iv. याचिकाकर्ता इस उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन में इसका 100 प्रतिशत हिस्सा है। याचिकाकर्ता एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और याचिका एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- v. वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी का मामला है। घरेलू उद्योग पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है और उसने जुलाई, 2020 में उत्पादन शुरू किया था। क्षमता उपयोग 25-35 प्रतिशत की रेंज में रहा है। इसके अलावा, आयातक बाजार हिस्सा भी इसी के आसपास रहा है। जबकि संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार के 70-80 प्रतिशत पर कब्जा कर लिया है। पहले से स्थापित संयंत्र और नये संयंत्र के बीच कोई बड़ा अतिव्यापन नहीं है। घरेलू उद्योग अब भी आरंभिक अवस्था में है और अपने को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
- vi. संबद्ध देशों से और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- vii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और मांग में गति के साथ पीओआई में गिरावट आई है। आयातों में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को वह बाजार हिस्सा मिला है जो गैर संबद्ध देश के आयातों से रिक्त हुआ था।
- viii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत के मानक स्तर से भी कम रही है। आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही है। आयातों ने इस प्रकार बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में न्यूनीकरण किया है।
- ix. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:
 - क. उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है। तथापि, वह अनुमानित स्तरों से काफी कम है।
 - ख. याचिकाकर्ता को अपने लाभ/हानि, पीबीआईटी और आरओआई में भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है जबकि क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, परंतु इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटों में भी वृद्धि हुई है।
 - ग. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।
 - घ. वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है।
 - ङ. घरेलू उद्योग के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक निष्पादन यह दर्शाता है कि उसकी वास्तविक उत्पादन और लाभों में पीओआई के दौरान कमी आई है।
 - च. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी अधिक है।
 - छ. प्राधिकारी ने किसी कारक पर अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता हो। किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - ज. पाटनरोधी शुल्क जनहित में है। घरेलू उद्योग की स्थापना देश को आत्मनिर्भर बनाएगी और उपभोक्ताओं को वैकल्पिक घरेलू आपूर्ति उपलब्ध कराएगी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा ज्ञात की है। यह देखा गया है कि उपभोग की गई पीयूसी की प्रकृति पर विचार करते हुए हुए उपायों का प्रभाव एक प्रतिशत से कम होगा। प्राधिकारी ने अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर प्रभाव की अतिरिक्त जांच की है और यह देखा गया है कि यदि प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को आगे भी बढ़ाता है तो भी अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव मामूली होगा। पाटनरोधी शुल्क लगने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई तथा घरेलू उद्योग संबद्ध देश के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सकारात्मक सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना पर वास्तविक मंदा सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लागू करना आवश्यक है।
165. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29071940	पैरा-टर्सियरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटे	208	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	(1) के अलावा कोई उत्पादक	357	-वही-	- वही -
3	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	357	-वही-	- वही -
4	-वही-	- वही -	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	एसआई ग्रुप सहित	790	-वही-	- वही -
5	-वही-	- वही -	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	(4) के अलावा कोई उत्पादक	881	-वही-	- वही -
6	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	यूएसए	कोई	881	-वही-	- वही -
7	-वही-	- वही -	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कोई	349	-वही-	- वही -
8	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	सिंगापुर	कोई	349	-वही-	- वही -

आगे की प्रक्रिया

166. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi the 20th December, 2023

FINAL FINDINGS**Case No. AD(OI) – 14/2022**

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of “Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)” originating in or exported from South Korea, Singapore and the United States of America.

F. No. 6/14/2022-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘AD Rules’ or the ‘Anti-dumping Rules’ or the ‘Rules’).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Vinati Organics Limited (VOL) (hereinafter referred to as the “applicant”) filed an application before the Authority seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Para-Tertiary Butyl Phenol” (hereinafter referred to as the “PTBP”, “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from South Korea, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/14/2022-DGTR dated 21st December 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury in the form of material retardation to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - ii) The Authority issued a public notice dated 21st December 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
 - iii) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as per the information made available to it by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
 - v) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters in their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - vi) The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject countries, as made available by the applicant and offered an opportunity to them to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:

SN	Exporters
1.	SI Group Inc.
2.	SI Group-Korea Ltd.

3.	Sojitz Corporation
4.	Tasco Chemical Corporation

- vii) In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing a questionnaire response:

SN	Exporters
1.	SI Group Inc.
2.	SI Group-Korea Ltd.

- viii) DIC Asia Pacific Pte Ltd, an exporter from Singapore, registered as an interested party and later withdrew its participation from the present investigation.

- ix) The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Importers/Users
1.	Cardolite Speciality Chemicals India
2.	Chandras' Chemical Enterprises
3.	Dic India Limited
4.	Elantas Beck India Limited
5.	Eternis Fine Chemicals Limited
6.	Hubergroup India Private Limited
7.	J. Kirit & Brothers
8.	Mac Industry
9.	Mangalam Organics Limited
10.	Melog Speciality Chemicals Pvt. Limited
11.	Mrib Chemicals
12.	Polyols & Polymers Pvt. Limited
13.	Privi Speciality Chemicals Limited
14.	Rajsha Chemicals Pvt. Limited
15.	Techno Waxchem Private Limited

- x) In response to the initiation notification of the subject investigation, the following importers/users have responded by filing a questionnaire response:

SN	Importers/Users
1.	SI Group India Private Limited
2.	Eternis Fine Chemicals Limited
3.	Polymers and Polysols

- xi) The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the subject countries, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Response to Economic Interest questionnaire has been filed by the following parties:

SN	Importers/Users
1.	SI Group India Private Limited
2.	Eternis Fine Chemicals Limited
3.	Polymers and Polysols

- xii) The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st July 2021 to 30th June 2022. The injury investigation period for the present investigation is 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI.
- xiii) The petition was filed based on the DGCI&S published import data for the period 2019-20 to June 2022. A request was made by the Authority to the Directorate General of Systems (DG System) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority.
- xiv) The Authority sought further information from the applicant to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.
- xv) The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.
- xvi) The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvii) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 17th August 2023. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xviii) The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same were supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this document.
- xix) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and has conducted the examination on the basis of facts available.
- xx) The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on a confidential basis were directed to provide an adequate summary of the confidential version in a non-confidential version.
- xxi) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 8th December 2023. The post Disclosure Statement submissions received from the Domestic Industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding Notification
- xxii) *** in this Final Finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= INR 76.14.
- xxiv) Following abbreviations have been used in this document:

SN	Abbreviations	Full description
a.	DI	Domestic industry
b.	MOF	Ministry of Finance
c.	PUC	Product under consideration
d.	Act	Customs Tariff Act, 1975
e.	Rules	Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
f.	Other interested parties	Interested parties participating in the present investigation and opposing imposition of anti-dumping duty
g.	Petitioner / Applicant	Vinati Organics Limited (VOL)
h.	SI Group	SI Group Inc., SI Group-Korea Limited and SI Group- India Private Limited
i.	EIQ	Economic Interest Questionnaire
j.	EQR	Exporter's questionnaire response

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C. 1. Views of the other interested parties

4. No submission has been made by other interested parties with regard to scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C. 2. Views of the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- i) The product under consideration is Para-Tertiary Butyl Phenol ("PTBP"), also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical / para tert butyl phenol. PTBP is an organic aromatic compound with chemical formula (C₁₀H₁₄O). It occurs in a white crystalline solid form and has a distinct phenolic odour.
- ii) The product under consideration in the present application is 'Para-Tertiary Butyl Phenol' also known as 'PTBP'.
- iii) PTBP chemical is usually prepared by the reaction of phenols and isobutylene. It is prepared by incorporating a gaseous of isomer butenes into phenols in the presence of an acid-activated clay as a catalyst. In the process of manufacturing 4- tert, butyl phenols from isobutene and phenols there involve a reaction of the liquid form of phenol with an acid-activated catalyst. Another commonly used method of preparation of PTBP chemicals is by using phenol and tert-butanol in water. The subject goods are classified under Chapter 29 under 29071940.
- iv) This product is mainly used to manufacture perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used in the production to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.
- v) The molten and flaked forms of the PUC are both covered within the scope of this application. Domestic sales happen in both molten and flaked forms. The molten form of the subject goods is converted into flaked form by a simple manufacturing process of drying and reducing the temperature of the product. The subject goods are predominantly sold in flaked form. The usage of both molten and flaked forms is common and can be used interchangeably. The difference in the cost and price of molten form and flaked form is minimal. The density conversion rate is about 0.98%. Some customers buy the PUC in the molten form as a preference in order to not handle the hazardous chemical in the flaked form.
- vi) There is no difference in the technology adopted by the petitioner and that adopted by the producers in the subject countries. The technology adopted by the domestic industry is comparable with the technology adopted by the producers of the subject goods in the subject countries. However, every producer fine-

tunes its production process based on necessities and available facilities.

- vii) The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.

C. 3. Examination by the Authority

6. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

“3. The product under consideration (PUC) in the application is “Para- Tertiary Butyl Phenol” or “PTBP.” PTBP is also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical / para tert butyl phenol.

4. The product under consideration is an organic aromatic compound with the chemical formula (C₁₀H₁₄O). It occurs in a white crystalline solid form and has a distinct phenolic odour. PTBP chemical is usually prepared by a reaction of phenols and isobutylene.

5. It is prepared by incorporating a gaseous of isomer butenes into phenols in the presence of an acid-activated clay as a catalyst. This product is mainly used to manufacture a perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used in production to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.”

7. The subject goods are classified under Chapter 29 under HS Code 29071940. The scope of the product under consideration includes imports of the product by all descriptions and irrespective of the customs classification. The customs classification is merely indicative and not binding on the scope of the product under consideration.
8. PTBP can be in molten and flaked forms. Both, molten and flaked form of the PUC are covered within the scope of this application. The subject goods are predominantly sold in flaked form. The usage of both molten and flaked forms is common and can be used interchangeably. The difference in the cost and price of molten form and flaked form is minimal.
9. Although the subject goods have been in use in the domestic market since long, the requirements were, however, met entirely by imports. There is no known substitute for the subject goods. As per annual report, the applicant invested around Rs. *** crores and has set up manufacturing facilities for production of Butyl Phenols, specifically *** crores for PTBP. The applicant conceived this product in 2014-15 and started commercial production of the subject goods in July 2020. The subject goods are a new product in the Country in so far as its production in India is concerned.
10. The Authority notes that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D. 1. Views of the other interested parties

11. No submission has been made by other interested parties with regard to scope of the domestic industry and standing:

D. 2. Views of the domestic industry

12. The domestic industry has made the following submissions with regard to scope of the domestic industry and standing:
- i) The applicant started commercial production of the subject goods in July 2020. Prior to this, India had been fully dependent on imports of the subject goods for its domestic demand.
- ii) The applicant, being the first and the only producer of the product under consideration, holds 100% share in the total domestic production of the subject goods in India.
- iii) The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries and is also not

related to any producers/exporters or importers of the subject goods in India.

D. 3. Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

14. The present investigation has been initiated pursuant to a petition filed by Vinati Organics Limited as the sole producer of the subject goods in India. The applicant started commercial production in July 2020. It is undisputed that subject goods were never produced in the country, the entire demand was being met by imports, and the applicant has for the first-time established facilities to produce the subject goods. The Authority has in detail examined whether the industry is new or nascent industry in terms of AD Rules under Injury Examination.

15. The Authority notes that the present application has been filed contending that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry in India. The Indian industry for the product under consideration is at a nascent stage and is yet to establish itself in the market. The applicant reported that there is no other producer of the PUC in India. The applicant is the sole producer of the subject goods, and therefore, holds 100% of the share of total domestic production of the subject goods.

16. None of the interested parties have contested the claim of the applicant that it is the sole producer of the subject goods in India. It is further noted that the applicant has not imported the subject goods from the subject countries nor is it related to any producers/exporters or importers of the subject goods in India. The Authority therefore holds that the applicant company is thus eligible, domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E. 1. Views of the other interested parties

17. The other interested parties have made the following submissions:

- i) The petitioner has not provided the estimate of normal value for the USA in Annexure 3.1 of the Petition.
- ii) The petitioner has not disclosed the source of the freight considered for adjustment in the CIF price, which is a requirement as per the trade notice.
- iii) The petitioner has not disclosed the export sales quantity and value data.
- iv) The petitioner has not disclosed its project report and the projected economic parameters for the PUC.

E. 2. Views of the Domestic Industry

18. The domestic industry has made the following submissions:

- i) SI Group claimed the entire submission regarding determination of export price as entirely confidential. The argument regarding imports from USA not causing injury was also entirely claimed confidential.
- ii) The project report has business proprietary information that is not amenable to summarization.
- iii) The commodity market price for imported PUC has been incorrectly claimed as confidential.
- iv) The entire basis of the claim that imports from the USA are not causing any injury is unaccepted.

E. 3. Examination of the Authority

19. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

20. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6,

sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential

basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

The designated Authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

21. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F. 1. Views of the other interested parties

22. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- i) Due to the volatile nature of the commodity and the extent of price fluctuations during the POI, a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of export prices of PUC for the entire POI will give a distorted comparison of domestic and export prices. Since the prices of the PUC have widely varied during the POI, a transaction-to-transaction or a month-to-month comparison of normal value and export prices will yield a ‘fair comparison’ under the above provisions considering the nature of market of the PUC and the price fluctuation during the POI.
 - ii) The price mentioned on the invoice issued at the time of shipment is merely a reflection of what price was agreed with the end customer on the date when the contract/order was entered into. Hence, a fair comparison will be achieved when the prices of all the shipments made under a domestic contract/order entered into during a particular point in time (say a month) are compared with the prices of all shipments made under a similarly dated contract/order for export market.
 - iii) The prices to related importer are not benchmarked with the prevailing market price in India unlike unaffiliated importer/customer. The Authority may apply the relevant adjustments to remove the impact of any affiliation/compensatory arrangements affecting the export prices.
 - iv) As per the definition of Export Price in the Act, it is the practice of the Authority not to rely on the prices between producer/exporter and importer when they are associated entities.
 - v) The prices at which the exports were made to SI Group India for its internal consumption by SI Group Korea and SI Group USA are not reliable for the calculation of export price as the imports have been invoiced incorrectly and have been undervalued on account of systematic glitches in computing the transfer price.
 - vi) Even though the transactions are undertaken at arm’s length prices, transfer price at arm's length basis does not necessarily mean that the said prices reflect the market prices. The Authority has to consider the export prices to unaffiliated customers in India to determine the net export price as the export price between an exporter and its associated importer can be unreliable.
 - vii) The prices at which the exports of the PUC during POI were made to SI Group India for its own consumption, never intended for sale to the India market. Therefore, these prices are not representative of competitive market pricing of the PUC in Indian market.
 - viii) The transfer price of between SI Group USA, South Korea and India is determined according to the agreement between them and is not impacted by the market forces.
 - ix) All three entities’ accounts are consolidated at group level, therefore intercompany transactions are not recorded in consolidated accounts.
 - x) Transfer price policy generally followed by the company is the comparable uncontrolled pricing method.

The inter-company price is determined based on similar transactions between manufacturing entity and third-party customers.

- xi) The inter-company transfer price to the affiliate is based on the closest comparable third-party net selling price for the same or similar products delivered into countries located in the same region (country) of the purchasing affiliate.
- xii) There is no statutory requirement in USA for audit of the financial statements of private companies, and therefore the accounts are not audited.

F. 2. Views of the domestic industry

23. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:

- i) The petitioner has determined consumption price of the product in the domestic market in South Korea and USA using the price at which consumer has bought the product from the petitioner for eventual consumption in Korea and USA. Thus, export price from petitioner to Korea and USA is considered as consumption price for normal value.
- ii) The petitioner has collected information on imports into Singapore from other countries. It is seen that Singapore is importing significant volume of the subject goods. Imports of the subject goods into Singapore is also the consumption price of the subject goods in the domestic market of Singapore and can thus be considered as the normal value prevailing in Singapore. The petitioner has thus adopted a conservative approach and has considered the average price of imports into Singapore as normal value for the PUC. Thus, imports into Singapore have been considered as consumption price.
- iii) Export price must be determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation adopted from the published DGCIS data after due adjustments are made to determine the ex-factory price.
- iv) The respondents have contended that since the exports were made to SI Group India, the sales are related party sales and thus should not be considered for the determination of export price and that Section 9A provides that if there are related party sales, the Authority may construct the export price if the price is unreliable.
- v) The respondents have not established as to how the export price is unreliable as a mere existence of relationship cannot make the price unreliable.
- vi) There is a burden on the party demanding construction of export price to prove that (a) the prices are unreliable (more so when it has already been considered by the custom authorities as reliable), (b) suggest a methodology for construction of export price. If the declaration before the customs authorities has been that the prices are reliable and at arm's length, there is no basis for the prices being unreliable.
- vii) The respondents have submitted that date of contract should be considered as the date of sale which is unsubstantiated. DGTR Manual has stated that generally, the date of the invoice, as recorded in the exporter's or producer's records kept in the ordinary course of business is considered as the date of sale.
- viii) The dumping margin from each of the subject countries is not only above the *de minimis* levels, but also significant.
- ix) Respondent needs to demonstrate the compensatory arrangement and it impacts calculation of export price and establish that the prices are unreliable. Must establish what claims were made before the customs authorities when these consignments were cleared. Ignoring these export transactions from the calculation of export price determination would be illegal.

F. 3. Examination by the Authority

24. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire responses:

- i. SI Group Inc.
- ii. SI Group-Korea Ltd.

25. The Authority has analysed the submissions made by the interested parties, including the domestic industry.

26. The SI Group has claimed that the export price to the related importer in India i.e., SI Group India is unreliable and therefore the Authority should exclude the said price from the calculation of the export price. However, as evident from the following provision of the anti-dumping agreement, it is solely the Authority that can

determine the reliability of the NEP. The exporters or interested parties can only make a quantified and verifiable claim of unreliability and provide necessary information to construct export price in such cases:

*In cases where there is no export price or **where it appears to the authorities concerned** that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.*

27. The question of unreliability can arise in a case where the exporter denies the dumping allegations claiming high export price. The Authority in such cases, examines the reliability of export prices where there is an association or compensatory arrangement between the exporter and importer and the Authority may find it unreliable. The question of unreliability of the export price can arise when the said prices were unduly low and the exporter provides all relevant information and evidence to construct the export price for those export transactions. The applicant in its petition has alleged that SI Group USA and SI Group Korea are dumping the PUC in the Indian market. The Authority on being *prima facie* satisfied initiated the investigation. The EQR filed by SI Group USA and SI Group Korea confirms that the said producers/exporters are dumping. There is no question of the unreliability of the low export price to the related importer in India.
28. SI Group laid emphasis on Explanation (b) to Section 9(A)(1) of the Act which defines the export price:

“export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);”
29. It is noted that the reason given by SI Group for the unreliability of NEP is not consistent with the statutory provision given in Explanation (b) to Section 9(A)(1) above. As per the SI Group, the ground for claiming the unreliability of NEP is that the PUC imported from SI Group South Korea and SI Group USA has been invoiced incorrectly and has been undervalued on account of systematic glitches in computing the transfer price. The export price is unreliable not because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer but on account of systematic glitches in computing the transfer price.
30. It is also be noted that the SI Group in its submissions has declared the exports to related importer in India as sale transactions in its book of accounts and at arm's length price. The SI Group has declared its exports to SI Group India to be unreliable post filing of questionnaire response. The fact was nowhere disclosed in the questionnaire response.
31. It is further noted that explanation (b) to Section 9A(1) states as under:

“export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6).
32. The objective and purpose of the provision relating to construction of export price under Explanation (b) to Section 9A(1) is to ensure that export price to related parties is not manipulated in a manner that actual dumping by the exporter is not captured. This means that when there are exports to related parties in importing country at high price and subsequent resale by such related party is at low price, it is clear that the actual higher export price to related entity could not be considered as reliable ‘because of association or a compensatory arrangement’ for the purpose of determining dumping margin for the exporter. In such a situation, actual export price to related party would be discarded and export price is constructed based on resale price of related entity to capture the full extent of dumping by the exporter.
33. However, in an opposite situation where the export price to the related entity is lower as compared to export price to unrelated entities, there is no requirement of discarding the actual lower export price to related entity. In this situation, it is not doubted that lower export price to India is actual price and has resulted in dumping. The object and purpose of Explanation (b) to Section 9A(1) is not to provide a second opportunity to the exporter to increase its export price hypothetically for the purpose of investigation after having dumped into India and causing injury to the domestic industry.

34. If this is permitted, the exporter will be able to ensure in all cases that most of its exports to India is to its related entity in India at lowest possible price to capture the market and only some exports are made to unrelated exporters at fair and undumped prices. Thereafter, at the time of anti-dumping investigation, exporter would be able to claim that price to related entity is unreliable and price to unrelated entity should be relied to calculate dumping margin as per Explanation (b) to Section 9A(1), which will show lower or no dumping. It is clear that such practice cannot be permitted, and such cannot be the intention and objective of Section 9A(b). Interpretation of Explanation (b) to Section 9A(1) cannot be done in a mechanical manner and by ignoring its object and purpose. In view of the above, the Authority has proceeded by taking into consideration the prices as reported in the exporter's questionnaire response for all the exports made by SI Group to India.
35. It was argued that the prices at which the exports of PUC during POI were made to SI Group India for its consumption, were never intended for sale to the Indian market. Therefore, these prices are not representative of the competitive market pricing of PUC in the Indian market. However, it is noted that since the consumption by the related importer, i.e., SI Group India is part of total Indian demand, it affects the domestic pricing in India. Further the related importer has purchased the PUC domestically in the injury period and has also sold some quantity of imported PUC in POI in the Indian market.

F. 3. 1. Determination of Normal Value

36. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

A. Singapore

37. DIC Asia Pacific Pte Ltd, an exporter from Singapore, registered as an interested party and later withdrew its participation from the present investigation. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the product under consideration in Singapore, the Authority is constrained to proceed with the principles of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules with regard to determination of normal value for all non-cooperative producers/exporters from Singapore. The applicant claimed that Singapore is importing significant volume of subject goods. Imports of subject goods into Singapore is also the consumption price of the subject goods in the domestic market of Singapore and can thus be considered as the normal value prevailing in Singapore. The applicant had considered the average price of imports into Singapore as normal value for the PUC. It has been observed that imports under the HS code 290719 includes imports into Singapore of non-PUC as well. Therefore, the average price of imports cannot be considered as the consumption price of the PUC and resultantly cannot be considered as the basis for determination of normal value. Alternatively, the applicant had provided information for the normal value on the basis of estimates of the cost of production, after addition for SGA and reasonable profit.
38. The Authority has accordingly determined normal value for all non-cooperative producers/exporters from Singapore, considering the best facts available. The normal value so determined for Singapore producers/exporters is mentioned in the dumping margin table.

B. South Korea

SI Group Korea Ltd

39. The Authority notes that SI Group Korea Ltd., is a producer and exporter of the subject goods in Korea RP. SI Group Korea has exported the subject goods to its related party in India, i.e., SI Group India Pvt. Ltd. and also to unrelated customers in India.

40. SI Group Korea Ltd. has sold *** MT of PTBP in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The exports made to related parties in India is *** MT and exports made to unrelated parties in India is *** MT. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducts the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in cases, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since more than 80% of domestic sales are profitable hence all domestic sales have been considered to determine normal value. The company has claimed adjustments on account of credit cost and inland transportation and the same is allowed by the Authority. The Authority also notes that company has claimed that margin be determined on month-to-month basis, however, company has not provided cost on month-to-month basis. The information on cost is available only on quarterly basis. It is seen that the cost does not vary significantly on quarterly basis. Thus, the normal value at ex-factory level for SI Group Korea has been calculated for the POI as a whole and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in Korea RP

41. The Authority notes that no other producer/ exporter from Korea RP have responded to the Exporters Questionnaire in the present investigation in the form and manner prescribed. Therefore, the normal value in their cases has been determined on the basis of best facts available on record which is provided in the Dumping Margin Table herein below.

C. United States of America

SI Group Inc

42. The Authority notes that SI Group Inc., is a producer and exporter of the subject goods from Korea RP. SI Group Inc. has exported the subject goods to its related party, i.e., SI Group India Pvt. Ltd. and also to unrelated customers in India.
43. SI Group USA has filed response to the questionnaire. The company has exported *** MT to India. Out of *** MT exported to India, export to unrelated party is ***MT and exports to related party, i.e., SI Group India is *** MT, constituting ***% of total exports. There is a significant difference in the price at which goods have been exported to SI Group India and other unaffiliated parties.
44. SI Group Inc. has sold *** MT of PTBP in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. More than 80% of domestic sales are profitable hence all domestic sales have been considered to determine normal value. The company has claimed adjustments on account of credit cost and inland transportation and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the normal value at ex-factory level for SI Group Inc. has been calculated and the same is mentioned in the dumping margin table below.
45. The exporter claimed that the Authority should determine dumping margin by comparing normal value and export price on month-by-month basis. It has been claimed that there is significant difference in the cost of major inputs and price of the PUC. The Authority notes that even when the company have claimed that margin be determined on month-to-month basis, the company has not provided information on cost on a monthly basis. Hence, the claim lacks factual evidence. The information on cost is available only on quarterly basis. It is seen that the cost does not vary significantly on quarterly basis. Thus, the normal value at ex-factory level for SI Group Inc has been calculated for the POI as a whole and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in the USA

46. The Authority notes that no other producer/ exporter from the USA have responded to the Exporters Questionnaire in the present investigation in the form and manner prescribed. Therefore, the normal value in their cases has been determined on the basis of best facts available on record which is provided in the Dumping Margin Table herein below.

F. 3. 2. Determination of Export Price

A. Singapore

47. DIC Asia Pacific Pte Ltd, an exporter from Singapore, registered as an interested party and later withdrew its

participation from the present investigation. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the product under consideration in Singapore, the Authority has not determined individual export price for producers/exporters. In view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules considering volume and value of imports for the period of investigation as per import data made available by the DG Systems data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges to determine ex-factory export price. These price adjustments have been carried out on the basis of claim made by the domestic industry in view of non-cooperation of the foreign producers. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

B. South Korea

SI Group Korea Ltd

48. SI Group Korea Ltd has exported *** MT of PTBP to India during the POI. SI Group Korea Ltd. has claimed adjustment on accounts of ocean freight, marine insurance, port expenses, credit cost, claim expenses and inland transportation and the same have been allowed by the Authority.
49. SI Group Korea has stated that the export price of SI Group Korea should be compared with normal value on a transaction-to-transaction, or month-to-month basis based on contract/order dates. However, as noted above, the exporters have not provided information on cost for comparison on a month-to-month basis. The quarterly information provided does not show significant variation. Further, consistent with DGTR practice in such cases, the Authority has considered the date of the invoice, as recorded in the exporters or producer's records kept in the ordinary course of business is considered as the date of sale. It has not been satisfactorily shown as to why date of invoice should not be considered for the purpose of determining date of sale.
50. The export price for SI Group Korea Ltd. has been determined based on all exports made by the company and considering the volume and value of such exports, after correlating the same with the DG Systems data. The said export price has been adjusted for expenses as claimed by the exporter to determine ex-factory export price. The same is mentioned in the dumping margin table below.

Net export price for other producers/exporters in Korea RP

51. The net export price for non-cooperative producers/ exporters from Korea PR has been calculated based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so considered is mentioned in the dumping margin table below.

C. United States of America

SI Group Inc

52. SI Group Inc has exported *** MT of PTBP to India during the POI. The Authority has verified the response filed by SI Group Inc. wherein it has claimed adjustment on accounts of ocean freight, marine insurance, port expenses, credit cost, claim expenses and inland transportation and the same have been allowed by the Authority.
53. SI Group Inc have stated that the export price of SI Group Inc should be compared with normal value on a transaction-to-transaction or month-to-month basis based on contract/order dates. However, as noted above, the exporters have not provided information on cost for comparison on a month-to-month basis. The quarterly information provided does not show significant variation. Further, akin to the practice in the past cases, the Authority has considered the date of the invoice, as recorded in the exporter's or producer's records kept in the ordinary course of business is considered as the date of sale.
54. The export price for SI Group Inc. has been determined based on all exports made by the company and considering the volume and value of such exports, after correlating the same with the DG Systems data. The said export price has been adjusted for expenses as claimed by the exporter to determine ex-factory export price. The same is mentioned in the dumping margin table below.

Net export price for other producers/exporters in the USA

55. The net export price for non-cooperative producers/ exporters from the USA has been calculated based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so considered is mentioned in the dumping margin table below.

F. 3.3. Determination of Dumping margin

56. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined as follows:

SN	Producers/Countries	Normal Value	Net Export	Dumping margin		
		(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	%	(Range %)
1	Singapore	***	***	***	***	40-50
2	Korea		***	***	***	
I	SI Group Korea	***	***	***	***	40-50
II.	Other producers/ exporters	***	***	***	***	50-60
3	USA	***	***	***	***	
I	SI Group Inc	***	***	***	***	280- 290
II.	Other producers/ exporters	***	***	***	***	380- 390

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

57. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

G. 1. Views of the other interested parties

58. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury:

- i) The determination of an "established" industry should be based on "positive evidence" and reasonable assumptions derived from credible facts. In the final findings of the Styrene Butadiene Rubber (SBR) investigation, the Authority stated that in the case of a developing or nascent industry, the test of material retardation applies to industries that have not yet fully established themselves in the market.
- ii) The WTO panel held that the introduction of a new product line within an existing industry does not necessarily create a new industry. The degree of overlap with the existing infrastructure is crucial in determining the establishment of a new industry, as also considered by DGTR in DCC case.
- iii) In the case of Vinyl Tiles from China PR, Taiwan and Vietnam- DGTR held that only the manufacturing entity Welspun Flooring Limited (WFL) is a nascent industry and not Welspun Global Brands Limited (WGBL), the selling entity.
- iv) VOL, being an existing player in the chemical business, has chosen to introduce a new product line. It is likely that they utilize existing infrastructure, such as customer contacts and distribution channels, in selling the product. Thus, the introduction of the new product line does not necessarily create a new industry.
- v) The respondent have contended that there is a degree of overlap in the infrastructure used for other product lines and the Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP) line which is important to determine whether PTBP can be regarded as a "new industry.
- vi) Vinati focuses on manufacturing multiple types of butyl phenols, so it should be examined if it has dedicated capacity, investment and whether financing and feasibility studies were made specifically for the PUC.
- vii) No industry can be expected to capture the market as soon as they begin production of a certain product and in a situation when there was worldwide lockdown due to COVID-19. Industry has to go through quality check for 6-9 months. During the period of investigation, Vinati achieved a market share of

almost 46% in the fourth quarter of FY 2021-22 and around 40% in the first quarter of FY 2022-23, 39% market share in third quarter of FY 2022-23. The WTO Panel stated that a market share 40% and above indicates stability and establishment.

- viii) These DGTR cases have also held that there is material retardation in cases of low market share:
- a) Veneered Flooring- imports had significant share in market. DI share 17% (annual)
 - b) PVC Flex-DI market share 15% (annual) 26% max on quarterly basis, Capacity utilization 30%
 - c) Electrogalvanized Steel- 24% share max on quarterly basis
 - d) Non-Woven Fabric -10% market share of DI (annual)
- ix) Although the PBIT of the petitioner has remained positive almost throughout the injury period, the ROI, which is PBIT as the % of capital employed has remained negative throughout the injury period.
- x) The performance of the petitioner has improved significantly post POI.
- xi) The project report was for the Butyl Phenol plant and no estimates were given for the individual production line for the PUC. It was drawn up in 2016 and the estimates in the project report were as per the market conditions in 2016.
- xii) The petitioner has only made appropriate adjustments to the input prices and not volumes of estimated sales which have been affected post 2016 due to COVID.
- xiii) Adjustments have to be made to project report to account for unexpected events such as the COVID-19 pandemic, increase in raw material prices, and geopolitical factors like the Ukraine war.
- xiv) There is an impact of lockdown even if the plant was not shutdown which is not acknowledged by the petitioner. No adjustment was made for low-capacity utilizations due to migration of labour.
- xv) The petitioner faced losses and declines in their total turnover. They cannot expect only the PUC to be profitable.
- xvi) The petitioner does not have to factor in international freight and import duty costs in its pricing, allowing it to offer lower prices in the Indian market. The freight cost had increased by almost 10 times during the period 2020-21 and 2021- 22.
- xvii) SI Group has cited the following market research reports to indicate the performance of the domestic industry in butyl phenols:
- a. Anand Rathi Report: Butyl Phenol plant is mainly captively consumed up to 45% for the production of value-added products (antioxidants).
 - b. ICICI Direct's report - Vinati's exceptional performance in the butyl phenol segment.
 - c. Chola Wealth's report - Vinati's capacity expansion plans were primarily aimed at manufacturing antioxidants.
- xviii) Exporters have lost business opportunities because they were unable to match the petitioner's lower prices. Sample call transcripts shows customers asking for price matching and the respondents' inability to secure deals due to petitioner's pricing strategy.
- xix) At the start of 2019, the commodity market price for imported PUC was consistent with sale prices of the imported PUC. Pricing steadily declined when Vinati entered the market in July 2020. By January 2021, import prices began rising considerably due to increased raw material and ocean freight costs.
- xx) The petitioner's competitors-maintained customers due to product quality, reliability of supply and lowering prices to compete with Vinati's market leading prices.
- xxi) The petitioner's choice to use Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) to produce Isobutylene, which increased in cost due to oil and gasoline demand stemming from the Russia-Ukraine War, added to the higher costs of the PUC production.
- xxii) The petitioner has allocated the common expenses incurred based on the capacities for different products produced. The Authority must evaluate the correctness of the basis of allocation of expenses.
- xxiii) The petitioner manufactures 4 types of butyl phenols which can be manufactured on the same production line by changing the catalyst and altering the molar ratios. With the amalgamation of Vinati with VAPL, Vinati will divert its capacity of butyl phenols to cater to its captive consumption to manufacture further downstream products. This will create a demand-supply gap of the PUC.
- xxiv) Inclusion of WIP in finished goods is a wrong methodology.

- xxv) The petitioner faced internal issues unrelated to the subject imports with their production output, product quality, and qualifying their products with customers. Qualification process with customers typically takes 6 to 9 months. Vinati faced production output issues starting in September 2022, leading to delays in shipments and even a plant shut down for maintenance.
- xxvi) The shutdown is another symptom of Vinati's difficulty in getting its plant up and running acceptably. Vinati's quality and supply issues raise doubts about their ability to meet customers' needs, despite claiming to have the capacity to supply the domestic PUC market.
- xxvii) There were several lockdowns in Maharashtra due to COVID during the POI. There is impact of lockdown even if plant was not shutdown which is not acknowledged by the petitioner.
- xxviii) Vinati has stated in paragraph 9 of the petition that the applicable basic customs duty on PUC is 7.5%. However, in Annexure B of the Petition, Vinati has considered the customs duty as "Nil" when calculating the landed value of PUC from South Korea.
- xxix) Vinati has not provided any methodology adopted to arrive at notional production considering optimum utilization.
- xxx) The benchmark of 80% market share in the first year of operations itself shows that the projections made by the petitioner are unrealistic.
- xxxi) Imports from the subject countries have declined in the POI.
- xxxii) The Authority ought to examine what is the breakeven threshold claimed by Vinati and whether such threshold is reasonable, since the cost of production of the PUC has varied during the injury period.
- xxxiii) The petitioner cannot use the definition of like product in an analysis of whether there is an overlap in production facilities of PTBP and other products manufactured by Vinati. The definition is for the purpose of identifying whether the article being produced by the domestic industry is identical to the article under investigation.
- xxxiv) The Authority cannot examine material injury in case it decides that the petitioner is already well established as according to the initiation notification, the petition in the present investigation alleges material retardation.

G. 2. Views of the domestic industry

59. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i) The petitioner has set up a new plant in Lote for 4 butyl phenols. PTBP has an allocated capacity of around *** MT out of *** MT.
- ii) The plot of land being used for producing butyl phenol was purchased in 2014-15 for the purpose of expansion or diversification. Thus, the land that is used for the Butyl Phenol is separate and without any overlap from the pre-existing industry that manufactures the other products in the Lote site.
- iii) Prior to the commencement of the production by the applicant in July 2020, there was no production of PTBP in India. The entire demand for the subject good in India was being satisfied by imports, mostly from the subject countries.
- iv) While the production by the petitioner is continuous, the capacity utilisation continues at sub-optimal level. The petitioner has not been able to meet the breakeven point
- v) The petitioner could get sales only to the extent third countries vacated the market and was forced to suffer significant financial losses
- vi) There was a new infrastructure set up for new industry in the already existing area used for other products
- vii) The petitioner established a completely new plant for PTBP which has different HS code, raw materials, plant and equipment, production technology and manufacturing process when compared to existing products
- viii) The petitioner earlier dealt with pharmaceuticals, now also dealing with perfumery and resin. The PTBP plant is a new extension of the existing land and is using different utilities. The customers and distribution channels are different
- ix) The market share was only at ***% in the POI, as against the targeted/ expected/ achievable/ reasonable levels of 80% in this period.

- x) The capacity utilisation declined to ***% immediately after Q1, 22-23. There is no reason why capacity utilisation of a new product would decline after rising
- xi) WTO case refers to market share for the entire one-year period and not for a specific quarter. The panel report also highlighted the importance of the nature of product while examining market share stability.
- xii) The petitioner having regard to the nature of product and business had anticipated significantly high level of production, sales and market share in the very first year of establishment, which was not possible due to imports.
- xiii) The domestic industry has gained volumes almost to the extent of volumes lost by non-subject countries and the subject countries gained volumes almost to the extent of increase in demand.
- xiv) The volume of imports has witnessed an increase and then a slight decline over the injury period. The volume of imports should have declined significantly with the commencement of production by the domestic industry. However, the volume of imports remained significantly high. Thus, the volume of imports is significant in relation to Indian production and consumption.
- xv) The petitioner submits that the price undercutting should be determined considering the target prices and prices that were prevailing when the project was conceived. It was these prices that the domestic industry had considered when deciding on the project. It would show that significant price undercutting is being caused by the imports, forcing the domestic industry not to even target those projected prices.
- xvi) The cost of sales and selling price have increased over the period, however the selling price is even below the level of cost of sales. Landed price of imports are much below the level of cost and selling price of the domestic industry. The imports have thus suppressed the prices of the domestic industry.
- xvii) The capacity built by the domestic industry is sufficient to cater to the demand. However, production is at significantly low level and much below the demand capacity established.
- xviii) Dumping of the product prevented the domestic industry from utilising its production facilities to the extent it could have in the absence of dumping.
- xix) The domestic industry has not been able to sell the material in the market, despite highly injurious sales price offered by the domestic industry.
- xx) The production and sales have shown an increase as a natural consequence of commencement of production, however, the same is significantly below the optimum level. The domestic industry has not been able to increase its production and capacity utilisation to the optimum levels it had planned at the time of setting up of the plant.
- xxi) The petitioner had projected to earn profit, cash profits and positive return on investment in its very first year of operations. However, the petitioner is suffering significant financial losses due to dumping in the country.
- xxii) In Electrogalvanized Steel case, the domestic industry was also having profits in its first year of operation and the Authority still held that it was facing injury because the actual profits fell short in comparison to the expected profits. Thus, the improvement in the performance of the domestic industry in respect of volume parameters does not amount to the fact that it is not facing injury by imports.
- xxiii) The actual performance of the domestic industry is far below the level as was projected while setting up the plant. Imports have thus prevented the domestic industry from achieving its targeted result.
- xxiv) Imports from other countries are below *de-minimis* limits and are thus not causing injury to the domestic industry. In fact, the petitioner has gained the volume lost by other countries.
- xxv) Demand for the subject goods has increased over the injury period. Though it appears that there was some decline in demand in the most recent period, injury to the domestic industry could not have been due to the same as the production and sale is much below the level of demand.
- xxvi) The technology adopted by the domestic industry is comparable to the technology being adopted by the producers in the subject countries. There is no significant difference in the manufacturing process.
- xxvii) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any material change.
- xxviii) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the claimed injury to the domestic industry.

- xxix) The technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of claimed injury.
- xxx) The injury data provided refers solely to the domestic operations of the domestic industry and the effect of export performance has been segregated.
- xxx(i) The injury information provided relates solely to the performance of the product under consideration. Therefore, the injury claimed is not attributable to the performance of other products.
- xxx(ii) Even after the domestic industry began production, the volume of imports has remained high. In normal market situations, the import volumes would have shown a rapid decline with the commencement of production by the domestic industry.
- xxx(iii) Dumping of the product is preventing the domestic industry from producing and selling the subject goods and hence, the domestic industry is unable to utilize its capacity to optimum level.
- xxx(iv) Imports are undercutting the prices. The price undercutting has prevented the domestic industry from raising prices to the extent of cost and reasonable profits.
- xxx(v) The imports are suppressing the prices of the domestic industry.
- xxx(vi) The landed price of subject imports from the subject countries is below current and projected cost of sales of the subject goods.
- xxx(vii) Even though the domestic industry has capacity sufficient enough to meet the demand of the product in the country, imports are holding majority share in the market, and the domestic industry holds minority share.
- xxx(viii) The pre-feasibility report was provided for getting the Environmental Clearance in 2016 which was later revised. Pre-feasibility report numbers should not be considered as basis for costs and project timelines. The environmental clearances were expected to be obtained faster. However, it was received only in March 2018, post which petitioner obtained the Consent to Establish in March 2019, and then the Consent to Operate in March 2020. The investment projected for the butyl phenol plant has been apportioned to the PTBP plant based on the capacity installed.
- xxx(ix) Any increase in raw material, utility price because of Covid 19 would have been a global phenomenon. Should have led to corresponding increase in selling price but low-priced imports prevented it.
- xl) The other interested parties have stated that the petitioner was suffering decline in turnover and profits due to COVID and then cites market reports to show that the petitioner was earning profits in Butyl Phenols and other products. The parties are contradicting their own statements on petitioner's performance.
- xli) The freight increasing import prices should have benefitted the petitioner but it was still facing losses. The domestic industry should have ideally been able to perform better as it catered to the demand with the benefit of close proximity. However, it was still not able to find its place in the market due to the dumped and injurious imports in the market.
- xlii) Being a new producer, customers would not buy from the petitioner if they do not benchmark its price to imports. The prices are highly market driven. Akin to the general practice, the customers compare the prices quoted by the domestic industry and the exporters, and after considerable negotiations, they ask the domestic industry to reduce the prices to match those of the exporters.
- xliii) The reference is to market prices not to a price of a party. Information cannot be claimed confidential. Respondents admits that pricing declined when Vinati entered the market. This itself shows that the prices were lowered in order to prevent Vinati from making a footing in the domestic market.
- xliv) VOL is forced to set prices based on prevailing price in the market, i.e, based on the landed price of the imports, even when the petitioner attempts to set the prices based on basic raw material and have a contract based on formula pricing.
- xlv) On one hand, the interested parties contend that the subject countries maintained the volumes and customers, and on other hand they contend that the petitioner was driving out the subject countries and was undercutting them.
- xlvi) The claimed injury is not due to start-up operations. The domestic industry has not reported price parameters based on actual costs.
- xlvii) There is apparently one case of higher impurity material supplied by the petitioner to one customer.

- This is due to different segments of consumers require different level of impurity and the petitioner has produced and supplied the impurity levels desired by different customer segments.
- xlvi) The price movement of both, Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) and tert-Butyl alcohol [(CH₃)₃COH] follows same trend. The Designated Authority may determine cost of production of PTBP considering market price of Isobutylene. This would take away any cost related issues in Isobutylene.
- xlix) Expenses are rightly allocated on this basis, as the petitioner has not even achieved optimum production. Apportioning expenses on actual production and then dividing the same with targeted production would be highly unfair.
- l) WIP is part of inventories.
- li) The petitioner has set up new production lines and have dedicated the same for individual products. It is not possible to use production line of one butyl phenol product for producing different butyl phenol. All these 4 products have 3 separate/independent reactors. The distillation columns are designed based on product characteristics, purity level & impurity profile & are dedicated for each product.
- lii) The petitioner had considered imports into India as the potential demand. The demand increased but the petitioner did not stop production during the entire period of lockdown. The raw material prices considered in the project report have been revised as per actual raw material prices incurred by the petitioner. Thus, the Authority must consider principal factors that impacted the performance and not inconsequential factors as contended by the interested parties.
- liii) Further, the shutdowns were for extremely short periods of time and have not impacted ability to cater to demand. The petitioner produces against stocks and sells from stocks and had sufficient inventories throughout the period.
- liv) The product approval on average takes around 3-6 months and not 6-9 months as contended by the respondents. The petitioner has provided evidence of email communications to the Authority wherein the product was approved by the customers in 3 months.
- lv) The petitioner had taken the customs duty as "Nil" for calculating the landed value of the PUC from South Korea which has been amended to 7.5%. However, even when landed value is calculated with the applicable customs duty of 7.5%, the landed price of the PUC is not only lesser than selling price of the petitioner but is lesser than even cost of production of the domestic industry. Thus, the undercutting continues to remain positive and significantly high.

G. 3. Examination by the Authority

60. The Authority has noted the submissions of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry, was an established industry to such an extent that the same permitted assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was an embryonic or nascent industry, in the process of establishment, and not having sufficient past history to permit assessment of material injury as the form of injury.

G. 3.1. Material retardation to establishment of an industry

61. The other interested parties as well as the domestic industry have relied on several previous investigations involving material retardation conducted by the Authority as well as other literature related to material retardation. Such submissions have been considered by the Authority to the extent they were relevant to the present investigation. The Authority has also taken note of the past findings concerning material retardation of industry issued by the DGTR, in this regard.
62. The Authority notes that the AD Agreement or the AD Rules does not define what is a new industry. "Material retardation to the establishment of the domestic industry" has also not been defined. Footnote 9 to Article 3 merely states as follows:
- Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.*
63. The concept of "material retardation" is intimately connected to the definition of the concept of "industry in the process of establishment".
64. Regarding the proposal at the WTO for amendment of the Anti-Dumping Agreement, which provides clarity on the meaning of 'material retardation' and 'unestablished industries,' the relevant portion of the draft

proposal is as under. Even though the said provision has not been incorporated in the Agreement so far, the Authority has considered the same as well for making the present determination:

“3.9. A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made, and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies.”

65. While the proposal suggests various parameters that can be taken into consideration in the determination of whether an industry is in establishment, it does not state anything about parameters to be considered when the industry is new and has recently started producing the subject goods.
66. The Authority also notes that WTO Appellate Body Report, *Russia – Commercial Vehicles* which was further reiterated by the WTO Panel in the matter of *Morocco - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey* held that Article 3.1 does not prescribe a particular methodology that an investigating Authority must follow in assessing whether a domestic industry is established.
67. The Authority has examined the following parameters while examining whether the case is fit to examine material retardation:
 - a. Does the domestic industry constitute a "new" industry for the product under consideration, or whether production of the product under consideration merely constitutes an extension of existing established operation of the domestic industry. The Authority examined the degree of overlap between existing product lines of the company and the new product.
 - b. When did the domestic industry began its production.
 - c. Operations of the domestic industry as achieved in the POI and as compared to the operations that were projected while setting up the plant. In case the domestic industry has not achieved projected levels of operations, whether the same is due to presence of dumped imports in the country, or due to any other reason.
 - d. Size of production, capacity utilisation and domestic sales as compared to the size of the domestic market as a whole. If domestic sales, market share, and consequently production & capacity utilisation are well below the levels projected levels, whether the same is due to presence of dumped imports in the country, or due to any other reason. The Authority has also examined stability of production and capacity utilization. The Authority has also considered the level of capacity utilisation that the domestic industry should have achieved in the POI and compared the same with level of capacity utilisation that the domestic industry has achieved.
 - e. Since the domestic industry has commenced commercial production only during the present injury period, whether the domestic industry has been prevented from producing the product due to any technical reasons or product acceptance by the customers, or any other regulatory requirements in the country. The Authority has also examined the level of inventories of the product and reasons for the same.
 - f. Did the domestic industry reach a reasonable level of profitability? If not so, whether the reasons for the same are linked to dumping of the product or any other commercial or technical reasons.
68. The above referred parameters have been examined in detail below:

G. 3. 2. Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present investigation

69. The Authority notes that the applicant has set up a new manufacturing facility of the subject goods by making significant investment in a plant at Lote, Maharashtra. Prior to the commencement of the production by the applicant in July 2020, there was no production of PTBP in India and none of the other interested parties have claimed otherwise.
 - a. **Whether the petitioner is a “new” industry or it is merely an extension of an already established operation?**
70. It is noted that PTBP is a new product and has been produced in the country for the first time by the domestic industry. Information on record and verification undertaken has demonstrated that the production of the subject goods was not significantly aided by the existing and established product operations of the petitioner. The petitioner set up a new plant in Lote for four types of butyl phenols with a total annual capacity of ***

MT. These products include Para Tertiary Butyl Phenol (PTBP), Ortho Tertiary Butyl Phenol (OTBP), 2,4-Di-Tertiary Butyl Phenol (2,4 DTBP), 2,6-Di-Tertiary Butyl Phenol (2,6 DTBP). During the physical verification, it was seen that there are four different types of butyl phenols, and these have different capacities, different production facilities and different production lines. Out of these capacities, PTBP has a capacity of *** MT. It was explained by the domestic industry that the applicant has dedicated production facilities to individual butyl phenols and has been using the same on dedicated basis only. However, the production facilities are such that a producer can stop the production of one butyl phenol and convert the production facilities into production of other butyl phenol. This can be done over a short duration, and without incurring any significant expense. It was explained that it was not possible to switch over production of one butyl phenol product to another product on a daily basis. The reactors have been dedicated for each product for their optimum use and are not expected to be used interchangeably as a matter of routine. It was demonstrated that the distillation columns have been designed based on product characteristics, purity level & impurity profile, and are dedicated for each product. Therefore, any such switchover would require efforts and even some additional investment.

71. The petitioner has established a new plant for Butyl Phenol in Lote, without any material overlap with the pre-existing production facilities. It has established a new product, and not a mere addition of a new production line to the existing facilities. Interested parties have contended that there is significant degree of overlap between PTBP, and the existing products being produced by the petitioner. It is noted in this regard that the raw material of the subject good, Isobutylene (IB), has been produced by VOL since 2010. However, it is not produced in the same plant as that of the PUC. Isobutylene is produced at a different plant whereas PTBP production facilities have been set up Lote. Following differences have been noted between PTBP and the other products produced by the petitioner in its old plant (pre-existing facility), from the information on record:

- i) The HS code of PTBP falls under a different customs sub-heading 29071940 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975
- ii) The plant and equipment deployed for the production of PTBP entails different reactors, catalysts, distillation columns and construction materials. These are different from the plant and equipment deployed by the petitioner for producing other products in the preexisting facility.
- iii) The raw materials for producing the PUC are isobutylene and phenol, which are entirely different from raw materials being used for producing other products in the preexisting facility.
- iv) Isobutylene is captively produced by the company. However, isobutylene is not the major raw material in total costs on account of raw materials. The cost on account of phenol is more than cost on account of isobutylene.
- v) Production of the PUC involves butylation of Phenol which entails a different manufacturing from the other products produced in the preexisting facility.
- vi) The PUC broadly performs the function of intermediate in phenolic resins and perfumery industries, which is different from the other products produced in the preexisting facility.
- vii) The land that is used for the Butyl Phenol is separate and without any overlap from the pre-existing industry that manufactures the other products in the Lote site.
- viii) The utilities being used in PTBP are not by and large benefiting from existing products in the plant. The main operations involved in the Butyl Phenol plant are reaction, extraction, distillation & flaking. Utilities required for Butyl Phenol, i.e., steam, chilled water, DM water, process water, electricity, and coal for hot oil TFH (thermic fluid heater). All these utilities were newly established except steam and air. Steam is only 25% of the total utility cost. Air is an insignificant amount. While the electricity supply is also from the same grid, it is with a dedicated newly set up transformer for Butyl Phenol Plant.
- ix) VOL earlier dealt with products meant for pharmaceutical industry, Agro - Pharma, water treatment, oil field drilling, construction, personal care industries. The new production line of PTBP deals with products for perfumery and resin.
- x) Further, the domestic industry has submitted that almost ***% of the domestic sales by the petitioner are to the new customers of PTBP. Further, the majority of sales are through a new trader appointed for the perfumery and resin industries.

b. When did the domestic industry began its production?

72. The Authority notes that the domestic industry commenced commercial production of the subject goods only in July 2020. The production of the subject goods began only few months prior to the POI. There was no other domestic producer of the subject goods in India. It is noted that although the production of the subject goods has commenced, the production has not reached the levels projected by the domestic industry and commercial

scales of the plant. Further, the domestic industry has not got a price in consonance with the projections made (with adjustments for material changes in prices of inputs involved in production of the product under consideration). A comparison of the domestic industry's actual and projected production and sales figures reveals that actual production and sales figures in the POI have not achieved the projected levels, which shows that their anticipated commercial operations have been impacted.

c. Operations achieved vs operations projected.

73. The performance achieved by the domestic industry in respect of various macro- economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits, ROI is materially below the levels projected by the domestic industry. The domestic industry had projected profits in its very first year of operations. But the domestic industry has not been able to recover its costs and is suffering significant financial losses. Further, the difference between the projected performance and actual performance achieved is too significant.

d. Size of production, capacity utilisation and domestic sales as compared to the size of the domestic market as a whole

74. The applicant is the only Indian producer of the subject goods in India who has established production facilities for the PUC. The demand for the product under consideration in India was *** MT during the present POI. As against this, the domestic industry has set up a production capacity of *** MT. Thus, the domestic industry was in a position to achieve 100% market share in the country and could have achieved a capacity utilisation of more than 80%. However, the market share of the domestic industry during the POI was around 24%, where the subject imports held about 74%. The imports from the subject countries are more than four times the total domestic production of the subject goods in India.

75. Quarterly movement of market has also been analysed and it is seen that the maximum market share achieved by the domestic industry is up to 49% as can be seen from the table below:

Demand / Market share	Units	POI Q1	POI Q2	POI Q3	POI Q4	POI
Subject Countries	MT	3,447	3,357	1,435	1,182	9,420
Korea Rp	MT	1,635	2,000	1,149	796	5,579
Singapore	MT	1,512	937	126	126	2,701
U S A	MT	300	420	160	260	1,140
Other Countries	MT	-	304	-	-	304
Total Imports	MT	3,447	3,661	1,435	1,182	9,724
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	251	776	583	100
Sales of Other Domestic Producers	MT	-	-	-	-	-
Demand/Consumption including Captive	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	113	78	61	100
Market Share						
Subject Countries	%	95	82	51	53	74
Other Countries	%	-	7	-	-	2
Total Imports	%	95	89	51	53	76
Domestic industry	%	5	11	49	47	24
Other Domestic Producers	%	-	-	-	-	-
Demand/Consumption including Captive	%	100	100	100	100	100

76. Other interested parties have contended that the domestic industry was able to capture 46% market share in the fourth quarter of FY 2021-22 and almost 40% market share in the first quarter of FY 2022-23. It has been argued that the Panel report in the matter of *Morocco - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey* suggested that if the market share achieved by the domestic industry is significant, then the fact that such market share has been attained after incurring loss does not necessarily preclude a finding of stabilisation. It is however seen that (a) the actual market share and capacity utilisation projected by the domestic industry was significantly higher than what is actually achieved, (b) the market share achieved by the domestic industry is at the cost of financial losses, (c) the domestic industry has not been able to sell to the extent of production, (d) the market share of the domestic industry declined in the last quarter, whereas the same should have increased (considering that new production facilities were set up in the country), (e) the market share achieved by the domestic industry is the market vacated by the other country imports. In so far as the subject imports are concerned, these have shown an increase, rather than showing a decline, despite new production facilities set up by the domestic industry. Thus, the production, capacity utilisation and market share achieved by the domestic industry in one quarter was insufficient to conclude stability of the industry in the market.
77. The volume of subject imports has in fact increased over the injury period, before reducing in the POI, despite the domestic industry starting commercial production, as can be seen from the table below. It is seen that in fact the domestic industry gained volumes that have been vacated by non-subject countries. Thus, the domestic industry has been able to establish itself in respect of production and sales to some level only because of the market vacated by non-subject countries. As far as subject imports are concerned, these have by and large maintained their levels:

Parameters	Unit	2019- 20	2020-21	2021-22	POI
Subject Countries	MT	8,421	10,250	11,118	9,420
Other Countries	MT	3,719	2,142	1,163	304
Sales by DI	MT	NA	***	***	***
	Index	NA	100	4,447	6,466
Demand	MT	***	***	***	***
	Index	100	102	118	105
Change over base year					
Subject Countries			1,830	2,697	1,000
Other Countries			-1,577	-2,555	-3,415
Sales by DI			***	***	***
Demand			***	***	***

78. It is seen that the domestic industry has gained volumes almost to the extent of volumes lost by non-subject countries and the subject countries gained volumes almost to the extent of increase in demand from the base year.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	133	133
Production	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	1,743	2,321
Capacity Utilization	%	NA	***	***	***
Index		NA	100	1,307	1,740
Domestic Sales	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	4,347	6,361
Export Sales	MT	NA	NA	***	***
Index		NA	NA	100	128

79. In terms of level of production and sales, it is normally expected that an industry which has recently commenced production may face instability in production owing to new production facilities and would be able to gradually increase its production levels and consequently capacity utilisation. It was therefore examined whether the low level of production and capacity utilisation of the domestic industry was due to instability in production and new production facilities. It is seen that the domestic industry had projected a capacity utilisation of more than 80% whereas the actual capacity utilisation achieved is only ***. It is also noted that the utilisation achieved by the domestic industry was *** for the POI as a whole, while the domestic industry achieved a capacity utilisation of *** in the fourth quarter of 2021-22. It is seen that the domestic industry was not able to achieve capacity utilisation as projected within the POI and suffered underutilisation of production capacities. Further, the domestic industry was able to improve its capacity utilisation till Q4, 2021-22 and suffered decline in capacity utilisation thereafter. Further, the capacity utilisation of the domestic industry was quite low as compared to projected levels and the same was not due to some possible technical constraints. It is noted that the demand had declined in the POI, however, the demand did not decline significantly so as to prevent the domestic industry from utilising its capacity to optimum level.

e. Whether the domestic industry has been prevented from producing the product due to reasons other than imports

80. It has been examined if other parameters, such as product approval, product quality, technical glitches in new plant, etc. have been a reason for low production and sales. Interested parties have argued that the approval time for the products takes around 6- 9 months. It is also noted from the information on record, by way of sales negotiation with sampled customers, that an approval for the sale of the product under consideration usually takes around 3- 6 months for the domestic industry. However, the subject imports increased with the commencement of production by the applicant, whereas ideally it should have declined. The non-subject imports declined, whereas subject imports increased. The domestic industry gained sales volumes to the extent of market vacated by the non-subject imports. The domestic industry has been able to export significant volumes and at a price higher than the domestic prices. It is thus evident that reasons for low production are not any such reason stated by the interested parties.

81. Other parties have also argued that the quality of the product is sub optimal and have been a reason for producers not opting to purchase from the domestic industry. In this regard, it was submitted by the domestic industry and noted by the Authority that PTBP produced has impurity in it. While some customers specify the maximum level of impurity, others are not concerned with impurities. The customers of the subject goods using it for production of resin does not have a threshold for impurity level. However, customers using PTBP for perfumery industry have permissible level of impurities. The domestic industry has been able to produce and sell subject goods of desired specifications to customers in both the segments. The domestic industry submitted that there was one instance of concern raised on the impurity level (during post POI period) by one of the responding interested party, which was as per evidence brought on record, was later resolved. It was seen during verification that the entire manufacturing process has been automated & being controlled through the Distributed Control System (DCS) in control room of the factory. It is also seen that the domestic industry has sold the subject goods to all major customers of the subject goods and thus the product quality has been established and accepted by the customers. This has also not been disputed by the other parties. The domestic industry has been exporting the product, that too at a higher price. Further, the domestic industry has been able to get the market vacated by the non-subject imports. In any case, alleged concern of quality on one sale in the post POI does not address the increase in imports upto POI.

f. Did the domestic industry reach a profitability/break-even point?

82. The Authority notes that the production of the applicant commenced in July 2020 and the production figures on a quarter-to-quarter basis shows an increasing trend during the POI. However, production declined in Q1, 22-23 after increasing till Q4, 21-22. The petitioner has not been able to meet the breakeven point. The information provided by the domestic industry and considered by the Authority for the purpose of profit assessment is after considering cost of production at optimum level of capacity utilisation. Even such normatted cost shows that the domestic industry suffered financial losses in sale of the PUC. The losses determined at actual costs are in fact significantly higher.

83. The above analysis indicates that the production of PTBP is a newly established industry which has no significant degree of overlap with the existing manufacturing facilities of the petitioner. The petitioner has not been able to stabilize its production and has not achieved the breakeven point. The increase in production and sales is at the cost of incurring losses.

84. The Authority has thus conducted the injury analysis, herein below, based on the established understanding with regard to material retardation. The Authority notes that the domestic industry does not have operations in respect of various injury parameters for the entire injury period.

85. The Authority has also examined the actual performance of the domestic industry during the period and compared it with the projections made to assess whether dumping of the PUC has materially retarded establishment of the domestic industry in the Country. Since both the product and the input prices were based on the prices that were prevailing in the period when projections were made, and there have been significant changes in the input prices, the Authority has considered the projections by appropriately adjusting changes in the input prices. The Authority notes that prices of the product were decided based on a price for the inputs while drawing the projections. Further, the same prices of inputs and product have been considered over the entire period of projection. The petitioner submitted that the projections are drawn considering that any change in the prices of inputs shall be appropriately reflected in the prices of the finished product. It is clearly understood that if the input prices increased, the finished product prices would increase to the extent of increase in costs on account of inputs, and vice-versa. The petitioner further submitted that the prices of inputs have significantly increased since the projections were drawn and therefore prices of both input and finished product are required to be appropriately adjusted for the increase in the cost of inputs.
86. The Authority notes that the domestic industry has insignificant captive consumption [*** MT]. The same has been included in the domestic sales made by the domestic industry.

G. 3. 3. Cumulative assessment

87. Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement, Rule 11 and Annexure II (iii) to the Antidumping Rules provide that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a) *The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively account for more than seven percent of the imports of like article; and*
- b) *a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.*
88. The Authority notes that the margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed. The quantum of imports from each of the subject countries is more than the *de-minimis* limits.
89. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries compete between themselves and also directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
90. The Authority has, therefore, assessed injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries. The Authority notes that the dumped imports are identical to the goods sold in the domestic market. The dumped imports are entering the Indian market simultaneously from all the subject countries.

G. 3. 4. Assessment of Demand/Apparent Consumption

91. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from various sources as per transaction wise import data received from the DG Systems. The same was analysed and imports of the PUC have been quantified.

Demand	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of Domestic Industry	MT- Indexed	NA	100	4,447	6,466
Sales of Other Indian Producers	MT	-	-	-	-
Imports from Subject Countries	MT	8,421	10,250	11,118	9,420
Korea	MT	5,676	5,665	6,174	5,579
Singapore	MT	1,925	3,468	4,004	2,701
USA	MT	820	1,117	940	1,140

Imports from Other Countries	MT	3,719	2,142	1,163	304
Demand/Consumption (including captive)	MT-Indexed	100	102	118	105

92. It is seen that the demand has increased from the base year to 2021 – 22 and declined by 13% in the POI as compared to the previous year. However, overall demand for the product has increased in the POI compared to the base year.

G. 3.5. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Imports in absolute and relative terms

93. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import Volume					
Imports from Subject Countries	MT	8,421	10,250	11,118	9,420
Korea	MT	5,676	5,665	6,174	5,579
Singapore	MT	1,925	3,468	4,004	2,701
USA	MT	820	1,117	940	1,140
Imports from Other Countries	MT	3,719	2,142	1,163	304
Total Imports	MT	12,139	12,392	12,282	9,724
Sales of Domestic Industry	MT-Indexed	NA	100	4,447	6,466
Sales of Other Indian Producers	MT	-	-	-	-
Demand/Consumption	MT-Indexed	100	102	118	105
Subject imports in relation to					
Total imports	%	69	83	91	97
Indian production	%-Indexed	NA	100	6	4
Indian demand	%-Indexed	100	119	112	107
Changes in subject and non-subject imports as compared to base year					
Subject countries			1,830	2,697	1000
Non subject countries			-1,577	-2,555	-3,415

94. It is seen that:

- a. Imports from the subject countries increased till 2021 – 22 and declined in the POI. The demand for the product also increased till 2021-22 and then declined in the POI. The decline in imports in POI is as a result of decline in demand of the subject goods.
- b. Whereas demand for the product increased by *** MT over the injury period, the imports from the subject countries increased by 999 MT. Thus, increase in subject imports was slightly more than the increase in demand. In other words, entire increase in demand was taken away by the subject imports.
- c. Share of the subject countries in total imports into India has increased significantly over the injury period, from ***% in the base year to ***% in the POI, whereas share of non-subject countries declined steeply. Subject imports constitute almost 97% of the total imports into India in the POI.
- d. Subject imports in relation to production and consumption declined after commencement of commercial production in India. However, share of subject imports was significant even after commencement of commercial production by the domestic industry. The subject imports were catering to around ***% of the demand of the subject goods in India when the domestic industry has established capacities sufficient to cater the demand in the country.

G. 3. 6. Price Effect of Dumped Imports

95. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
96. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries.

a. Price undercutting

97. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory levels, after reducing the selling price for all post ex-factory expenses.

Particulars	Unit	Korea	Singapore	USA	Subject Countries
Landed Value of Imported Product	Rs/MT	1,42,600	1,54,942	83,757	1,39,018
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	80-90	10-20

98. It is seen that the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry. The imports, barring Singapore, were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.
99. The other interested parties have argued that the exporters from other countries have lost business opportunities because they were unable to match domestic industry's lower prices. The petitioner explained its pricing mechanism wherein it was stated that the petitioner quotes the prices to the customers based on current prices prevailing in the market. It refers to the import data and prices being quoted by foreign producers to evaluate the landed price of imports, which are driving the prices in the Indian market. It has been submitted by the petitioner that it tends to match the price prevailing in the market since it is a new producer. The petitioner showed evidence of proposal made to customers on a pricing strategy on a cost-margin basis [to customers such as Eternis and Privi], to ensure a more transparent pricing. The pricing policy suggested by the petitioner was one of formula-based pricing, based on the prices of Phenol and Isobutylene, for the previous month. However, it has been claimed that this written proposal fell through, because even though the formula pricing was decided, the customers ultimately fell back on the import prices.

b. Price Suppression or Depression

100. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the Authority has considered information on (a) unit cost of sales, (b) domestic selling price.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Normated Cost of sales	₹/MT	NA	***	***	***
	Index	-	100	139	148
Selling price	₹/MT	NA	***	***	***
	Index	-	100	143	151
Landed price of imports	₹/MT	1,19,024	1,04,913	1,32,457	1,39,018
	Index		100	126	133

101. The normated cost of sales, selling price and landed price of imports have increased over the period. However, the selling price is below even the normated level of cost of sales throughout the injury period. It is further seen that the landed price of imports are much below the level of cost and selling price of the domestic industry. Further, the increase in the landed price of imports was much lower than the increase in the cost of sales and selling price of the domestic industry. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.

102. It has been argued that landed price of imports have increased over the injury period. The Authority therefore analysed the trends in major raw materials prices and impact of the same on the costs of the subject goods. It was seen that prices of major raw materials involved in production of the product have increased significantly. However, import prices have not increased commensurate with the increase in cost of raw materials. Whereas, raw material cost increased by **%, import price increased only by 33% between 2020-21 and the POI. This is without considering the increase in costs on account of increase in the prices of utilities.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Phenol Price	Rs/MT	NA	***	***	***
IB Price	Rs/MT	NA	***	***	***
Phenol Cost	Rs/MT	NA	***	***	***
IB Cost	Rs/MT	NA	***	***	***
RM Cost	Rs/MT	NA	***	***	***
RM Cost	Trend	NA	100	140	151
Import Price - Subject Countries	Rs/MT	1,09,953	96,918	1,22,362	1,28,423
Import Price	Trend		100	126	133

G. 3. 7. Economic parameters of the domestic industry

103. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a. Capacity, production, capacity utilization and sales

104. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Annual Movement

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity*	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	133	133
Production	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	1,743	2,321
Capacity Utilization	%	NA	***	***	***
Index		NA	100	1,307	1,740
Domestic Sales	MT	NA	***	***	***
Index		NA	100	4,347	6,361
Export sales	MT	NA	NA	***	***
		NA	NA	100	128

Quarterly movement

Particulars	Units	POI Q1	POI Q2	POI Q3	POI Q4
Installed Capacity*	MT	***	***	***	***
Index		100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Index		100	262	370	333
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Index		100	250	358	317
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Index		100	261	850	640
Export sales	MT	***	***	***	***
Index		100	83	86	92

105. The Authority notes that the petitioner is the sole producer of the subject goods in India and started commercial production in July 2020. Further, the petitioner projected a capacity utilisation of ***% in its very first year of operations. While production & capacity utilization of the petitioner shows an increasing trend over the period, however, the production and capacity utilization is quite low considering the demand in India and level of capacity utilisation projected while setting up the plant. The petitioner was operating at a capacity utilization of only ***% during the POI, as against ***% projected and despite significant demand of the subject goods in India. The Authority has considered ***% capacity utilisation as reasonable capacity utilisation for the domestic industry in the POI for the purpose of NIP determination and considers that the same is the level of capacity utilisation that the domestic industry would have achieved in the absence of dumping. The actual capacity utilisation was much below projected levels. Dumping of the product in the country has prevented the domestic industry from achieving the level of capacity utilisation considered reasonable.

106. The interested parties contended that the domestic industry has already achieved a capacity utilisation of ***% in one of the quarters of the POI. The Authority however notes that (a) the same was still materially below the level of capacity utilisation that was found appropriate and reasonable for the domestic industry, (b) the capacity utilisation declined sharply to ***% in the subsequent quarter. Thus, even this level of ***% capacity utilisation was not sustained by the domestic industry and (c) the domestic industry has exported about ***% of its production.

b. Market Share in Demand

107. The yearly market share is as shown in table below.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject Countries	%- Indexed	100	119	112	106
Korea	%	***	***	***	***
Singapore	%	***	***	***	***
USA	%	***	***	***	***
Other Countries	%	***	***	***	***
Domestic Industry	%- Indexed	-	100	3,826	6,266

108. Quarterly movement of market share is as follows:

	Subject Countries	Korea	Singapore	USA	Other Countries	DI
21-22 Q2	***	***	***	***	***	***
21-22 Q3	***	***	***	***	***	***
21-22 Q4	***	***	***	***	***	***
22-23 Q1	***	***	***	***	***	***

109. It is seen that:

- The market share of the domestic industry increased upto Q4, 21-22 and declined thereafter.
- The market share of the subject imports declined till Q4, 21-22, and once again increased in Q1, 22-23.
- The market share of the non-subject imports declined steeply and significantly over the entire injury period.

c. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

110. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed and found as shown in table below. Further, since the domestic industry has commenced production in a new production facility, the Authority has analysed the trends in profits, cash profits and return on capital employed – once on the basis of actual production and sale during the period, and once considering normated cost of production in order to eliminate the effect of low-capacity utilisation of the new production operations. The Authority considers in this regard that price parameters considering actual cost of production, may show adverse position considering that the domestic industry has commenced commercial production on a new production line and has achieved low-capacity utilisation. Therefore, the Authority has additionally assessed price parameters by considering a capacity utilisation of ***%.

On the basis of actual cost of production:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit before tax	₹ Lacs-Indexed	NA	-100	-154	-193
Cash profit	₹ Lacs-Indexed	NA	-100	-136	-173
ROI	% - Indexed	NA	-100	-170	-225

On the basis of normated cost of production:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Normated Cost of sales	₹/MT	NA	***	***	***
Index			100	139	148
Selling price	₹/MT	NA	***	***	***
Index			100	143	151
Profit/(Loss) per unit at normated costs	₹/MT	NA	***	***	***
Index			(100)	(22)	(33)
Profit/(Loss) - total	Rs. Lacs	NA	***	***	***
Index			(100)	(963)	(2,113)
Profit before Interest	Rs. Lacs	NA	***	***	***
Index			(100)	(1,542)	(3,767)
Cash profit	Rs. Lacs	NA	***	***	***
Index			100	5,324	9,885
Return on Capital Employed-NFA	%	NA	***	***	***
Trend			(0-10)	(0-10)	(0-10)

111. It is seen that:

- The domestic industry started selling the product at a price below actual and normated cost of sales. Resultantly, the domestic industry suffered significant financial losses. Even when the domestic sales increased over the injury period, the losses suffered by the domestic industry also increased over the period.
- Even when the selling price increased over the injury period, the same were still not sufficient to permit recovery of all costs. The domestic industry has suffered financial losses through the injury period and even at normated costs.
- The domestic industry suffered cash losses throughout the injury period, extent of which increased over the injury period.
- The return on investment earned in the domestic sales has been negative throughout the injury period. Further, the ROI deteriorated over the injury period. Further, the selling prices were insufficient to earn positive return on capital employed, even at the levels of normated cost of production.

d. Inventory

112. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	NA	NA	***	***
Closing Inventory	MT	NA	***	***	***
Inventory	MT-Indexed	NA	100	166	219

113. It is seen that level of inventories with the domestic industry increased significantly over the injury period. The level of inventories are despite curtailed production and exports undertaken by the domestic industry, and significant demand for the product in the Country. The domestic industry was holding quite a low share in Indian market and therefore held significant opportunity for disposing off its stocks.

e. Employment, Wages and Productivity

114. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No of employees	Nos.	-	***	***	***
Index			100	115	118
Salaries & Wages*	₹ Lacs	-	***	***	***
Index			100	167	186
Productivity Per Day	MT/Day	-	***	***	***
Index			100	1743	2321

*Figures as per actual cost.

115. The Authority notes that the employment, wages and productivity has improved over the injury period.

f. Ability to raise capital investments

116. The domestic industry has made fresh investment in the PUC. However, the domestic industry has been unable to achieve optimum level of production and capacity utilisation for the PUC, despite significant capacities in the Country. The domestic industry is incurring financial losses, and losses in cash profits. The ROI has been negative.

g. Growth

Growth Actual	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	NA	-	33%	-
Production	MT	NA	-	1,643%	33%
Sales	MT	NA	-	4,247%	46%
Average inventory	MT	NA	-	66%	32%
Market Share	MT	NA	-	14%	9%
Profit (Loss)	Rs Lacs	NA	-	-54%	-26%
Cash Profit	Rs Lacs	NA	-	-36%	-27%
ROI	%	NA	-	-69%	-33%

117. While increase in production, sales and utilisation is normal for a new industry, the actual performance compared with projected performance shows that growth in terms of these volumes parameters is materially below the projected level of operations. The growth in price parameters is also significantly negative and adverse.

G. 3.8. Comparison of Actual performance with projected performance

118. Since the domestic industry commenced commercial production only July 2020 and the data for the three previous years of POI is not available, the Authority considers that it is necessary to compare the actual performance achieved by the domestic industry with the performance projected while undertaking investment. The table below shows the comparison of actual performance with the projected performance of the domestic industry.

Parameters	Projected/Actual	Unit	2020-21	2021-22	POI
Capacity Actual	Projected	MT	***	***	***
	Actual	MT	***	***	***

<i>Capacity Actual</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	100	100
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	133	133
Production	Projected	MT	***	***	***
	Actual	MT	***	***	***
<i>Production</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	133	142
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	1,743	2,321
Capacity Utilisation	Projected	%	***	***	***
	Actual	%	***	***	***
<i>Capacity Utilisation</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	133	142
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	1,307	1,740
Domestic Sales	Projected	MT	***	***	***
	Actual	MT	***	***	***
<i>Domestic Sales</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	133	142
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	4,347	6,361
Export Sales	Projected	MT	***	***	***
	Actual	MT	-	***	***
<i>Export Sales</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	133	142
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	-	100	128
Cost of Sales	Projected	₹ /MT	***	***	***
	Actual	₹ /MT	***	***	***
<i>Cost of Sales</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	97	97
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	139	148
Applicant's Selling Price	Projected	₹ /MT	***	***	***
	Actual	₹ /MT	***	***	***
<i>Applicant's Selling Price</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	100	100
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	100	143	151
Profit/Loss (PBT)	Projected	₹ /MT	***	***	***
	Actual	₹ /MT	***	***	***
<i>Profit/Loss (PBT)</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	139	145
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	-100	-22	-33
ROI	Projected	%	***	***	***
	Actual	%	***	***	***
<i>ROI</i>	<i>Projected</i>	<i>Index</i>	100	188	217
	<i>Actual</i>	<i>Index</i>	-100	-1,701	-4,394

119. It is seen that the performance achieved by the domestic industry in respect of various macro-economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits, ROI is materially below the levels projected by the domestic industry. Further, the difference between the projected performance and actual achieved is too significant. The domestic industry provided details of exports made by the company. The company has claimed that it has undertaken exports to a number of countries such as EU, Brazil, Columbia, Mexico, Turkey, Malaysia etc. Further, it is seen that the exports are at a price higher than the price realised in the domestic market.

120. The interested parties argued that project report is not exclusively for PTBP and it was drawn in 2016. It is noted in this regard that the project report referred to by the interested parties is the pre-feasibility report used by the company for getting Environmental Clearance in 2016. The project report has investment projected for the butyl phenol plant as a whole. This is however appropriate and natural considering a situation where a company has decided to invest in four products (none of which were produced in the country before) and which fall in the same family of products (i.e., butyl phenols), involving high degree of similarities in plant & equipment. Further, the Authority has considered investment in the PUC on proportionate basis based on the capacity installed for all the four types of butyl phenols being produced by the domestic industry. It is also seen that the project report deals with the market situation and projected performance for all the four types of butyl

phenols separately. Further, the input prices considered in the project report are based on the then prevailing prices. However, the same has been appropriately adjusted for the actual input prices incurred by the petitioner during the injury period.

121. It has also been contended that unexpected events such as the COVID-19 pandemic, extraordinary increases in raw material prices, and geopolitical factors like the Ukraine conflict should also be adequately adjusted in the project report. The interested parties have however not established how have these factors specifically impacted the present domestic industry and have not impact both the foreign producers and producers of other commodities in India and globally. Factors such as COVID-19 pandemic, increases in raw material prices, and geopolitical factors like the Ukraine conflict should have rather provided additional protection to the domestic industry from low priced imports. Further, it is seen that the dumping margin in respect of cooperative exporters are as high as ***%. Thus, it appears that whereas foreign producers protected their own domestic markets and continued to charge remunerative and much higher prices in their own domestic market, they resorted to aggressive dumping in the Indian market. The Authority also notes that non- consideration of COVID-19 pandemic has not affected the reliability of the project or operations of the domestic industry. The domestic industry has one input captively sourced, whereas other major input (phenol) is not only available in significant volumes within the Country, but also there are significant imports thus ensuring competitive pricing. Further, any increase in raw materials and utility price because of Covid 19 or Ukraine Russia conflict would have been a global phenomenon and not solely impacting the domestic industry. It has not been shown that such factors, if any, had affected only the petitioner.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

122. As per the Rules, the Authority, inter-alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury, which has resulted in the material retardation to the establishment of the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

123. The Authority notes that there were significant imports from non-subject sources. However, with dumping from the subject countries, imports from sources other than the subject countries declined significant in absolute terms and in relation to consumption in India. Further, these were at *de-minimis* level in the POI.

SN	Particulars	POI
A	Import volumes	
1	Subject countries	9,420
2	Non subject countries	304
B	Average import price	
3	Subject countries	1,28,423
4	Non subject countries	1,44,836

b. Contraction of demand

124. The demand for the subject goods increased over the injury period, with some decline in the POI. It is seen that the demand increased significantly in 2021-22 and then declined in POI. However, demand has shown an increase over the injury period with respect to the base year. Further, subject imports were still catering to the majority (***%) of the demand in the POI, despite commencement of production by the petitioner. Further, the domestic industry holds a capacity of *** MT against established demand of *** MT in the POI.

c. Changes in pattern of consumption

125. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

126. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e. Developments in technology

127. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f. Export performance

128. The information provided has been considered only for domestic operations of the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

129. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been compared with the landed price of the subject goods from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the PUC has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.

130. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

SN	Producers/Countries	NIP	Landed price	Injury margin		
		(INR/MT)	(INR/MT)	(INR/MT)	%	(Range %)
1	Singapore	***	***	***	***	10-20
2	Korea					
	SI Group Korea Ltd	***	***	***	***	10-20
	Other producers/exporters	***	***	***	***	20-30
3	USA					
	SI Group Inc	***	***	***	***	50-60
	Other producers/exporters	***	***	***	***	70-90

J. POST DISCLOSURE COMMENTS**J.1 Views of the other interested parties**

131. The following submissions have been made by other interested parties:

- i. The proposed determination with regard to reliability of export price is inappropriate for the reasons give below.
 - a. The Authority's observations and interpretation, that only the Authority can decide whether the NEP is unreliable, and the exporter cannot claim the same; the aspect of unreliability will be examined by the Authority only in the cases where the exporter claims higher export price is incorrect. The Indian legislature deemed it fit to not restrict the rights of any other interested party from claiming that their export prices are unreliable, instead of making it completely the Authority's prerogative.
 - b. It is the practice of the Authority not to rely on the prices between producer/exporter and importer when they are associated entities unless otherwise proved by the foreign producer/exporter.
 - c. The law does not state that the prices would be unreliable only when the dumping margin is negative.
 - d. The claim of unreliability of export price being advanced only after the oral hearing is not correct. The respondents in its submissions dated 25th April 2023 submitted that the prices to related importer are not reliable and should not be considered for the purpose of export price calculations.
 - e. Error in the transfer pricing due to technical glitch in the systems was discovered and immediately Special Valuation Branch ("SVB") was intimated vide a letter dated 26th September 2023. SVB will prepare its Investigation Report and share the same with Port Customs Authorities. Subsequently, the Port Customs Authorities will undertake the final assessment of the bills of entry and will raise the demand of additional duties along with the interest as per their understanding. This process generally takes 6 to 8 months. SI Group has taken the necessary step to correct the transfer pricing. It is the

custom authorities which will take the necessary steps to conclude this issue.

- f. Even if the Authority constructs the export price to affiliate customer based on the pricing to unaffiliate customer, the dumping margin is positive. Therefore, it cannot be said that the respondents have malafide intentions not to show dumping. The question which arises is whether the injury margin is more than the dumping margin or lower than the dumping margin after adopting the construction of export price.
 - g. No prudent exporter will indulge in such practices to avoid the incidence of the anti-dumping duty. There are heavy penalties and interest demands are raised by the custom authorities for such practices.
 - h. By the time the Authority initiates the investigation, any exporter has already exported the PUC to both related and unrelated customer in India which pertains to the POI. Therefore, the observation of the Authority that the exporter in general will start misusing the Explanation (b) to Section 9A (1) is practically not possible.
 - i. The error in the transfer pricing for the PUC did not occur only in the POI but started 3 years prior and also impacted 3 other products exported by SI Korea and SI USA.
 - j. SI Group has even made the provision for the payment of the duties along with the interest in their accounting books. SI Group India will pay the demand raised by the customs authorities once the assessment of BOEs gets finalized.
- ii. The Authority must construct the export price for the transactions between affiliated party based on the price to unaffiliated customers.
 - iii. The transfer pricing policy of SI Group for PTBP is also based on the comparable uncontrolled pricing method which is nothing but the price to unaffiliated customer. Had there been no error, the transfer price would have been the same price to affiliated customer as the price to unaffiliated customer.
 - iv. The landed price, along with the export price must be constructed in the present situation. It has been consistent practice of the Authority to adjust the loss on resale by the related importer not only in the export price but also in the landed price, in spite the fact that there is no provision in the law and the Rules to adjust the landed value.
 - v. The market share of the domestic industry has improved to the extent that in the post POI period, in the 2nd Quarter of Financial Year 2023-24, their market share had reached to 79% (excluding the internal transfer within SI Group) and 48% including the internal transfer within SI Group.
 - vi. The Authority is requested to kindly carry out a post POI data examination, especially for the period of July 2022 to June 2023 to reach a conclusive decision with respect to material retardation.
 - vii. The productions lines for the 4 butyl phenols can be used interchangeably. This proves that in case the demand of other 3 butyl phenols increase, and it is more profitable for Vinati to sell these butyl phenols, they can shift their focus to their production instead of catering to the demand of PTBP in India. This also proves that the respondents' contention that with the amalgamation of Vinati with VAPL, Vinati will divert its capacity of butyl phenols to cater to its captive consumption to manufacture further downstream products if it is more profitable for them in the future leading to demand supply gap.
 - viii. The Authority has not examined the submissions made by the respondents and other interested parties that as per Vinati's annual report for FY 2019-20, it has been manufacturing PTBP.
 - ix. The Authority has not provided any examination with respect to the sanctity of the project report which is crucial in the present investigation since Vinati may have shown a high profitability in the project report on an assumption of higher-than-normal selling price realization. As project reports are generally prepared for attracting higher valuations and investments into the company.
 - x. The Authority has not stated if any adjustments were made to the projected estimates to account for unforeseen circumstances such as COVID-19 pandemic, extraordinary increase in raw material prices, Ukraine war scenario etc.
 - xi. No adjustment has been made by the Authority on account of the volumes of estimated sales of the PUC in the project report.
 - xii. Vinati themselves claimed that the impact of the anti-dumping duty, if imposed is 0- 5% on the end-users. It is unclear how the Authority has arrived at the conclusion that the impact on end-users will be less than 1%.

- xiii. The subject goods are used in various end applications and all applications requires different specifications and due to this the price also differs significantly.
- xiv. PTBP exported to affiliated company and to unaffiliates are of different specs and therefore prices are different.
- xv. The inability to produce and sales is directly linked to the technological constraint faced by the domestic industry, and therefore, making imports responsible for low production and sales is complete unacceptable proposition.
- xvi. Till the time the requested information / analysis is not carried out and fresh non-confidential version of the disclosure statement is not issued, the whole analysis and purpose of issuance of disclosure statement become frustrated.

J. 1. Views of the domestic industry

132. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i) The Authority should not reject the price of the export sales to related party. The exporter has not established how the prices are unreliable and have not even suggested an appropriate alternate methodology. Instead, the exporter has pleaded ignoring those export transaction.
- ii) The export price under the rules must be determined for cumulative exports made by the exporter and no volume can be ignored for the purpose. Ignoring volume of sale to affiliated party in the present case shall imply adopting negligible export volumes of the company, which can itself be *de-minimis* in terms of the total imports into India. This is all the more important in the situation where the company concerned is the sole exporter of the PUC into India.
- iii) NIP determined is too low. The basis of allocation considered for allocation of fixed expenses and net fixed assets have not been disclosed. It transpires that expenses turnover has been considered on the basis of actual sales volume and sales value and the expenses reported by the domestic industry have been disregarded.
- iv) It was explained during the course of verification that the DGTR should either consider all data from actual production & sale, or the DGTR should consider sales volume and sale values from the project report (after due adjustment for changes necessary due to raw material prices).
- v) The imports have retarded the establishment of the domestic industry.
- vi) Imposition of duty is in public interest and the duties does not have an adverse impact on the consumers. The end customers of both the perfumery and resin industries are mostly consumed by the upper sections of the society. Even if the miniscule effect of the consumers is to be considered, it only affects a small section in the Indian economy who has much higher spending.
- vii) It is a known fact that SI group imports the subject goods for captive use and thus the low-priced imports by SI group was making them extremely and unfairly competitive in the downstream industry vis-à-vis other downstream producers.
- viii) The domestic industry is yet to utilize its production capacity to the optimum levels. With the imposition of duties on the subject countries, the domestic industry would be able to achieve its optimum capacity level and cater to the Indian market better. The importers will be able to switch suppliers in case of imposition of duties on the PUC. There are other countries which are producing the subject goods and are also exporting to India, namely, Taiwan, China and Russia.
- ix) The PUC consumption is in both the perfumery and resin segments, where the downstream producers are facing unfair competition from SI Group India. SI Group India is getting the product at highly dumped prices. SI Group India is producing both fragrance and resin products and selling them in the market causing competition to those producers who are sourcing PTBP from either domestic industry, or other countries or from SI Group at a higher price.
- x) Imposition of anti-dumping duty would take away the unfair advantage that was available to SI Group India and would create fair market conditions not only in the PTBP market but also in the downstream market.
- xi) Having a domestic source of supply is a step towards making India self-reliant and *Atma-Nirbhar*. It is very important for the customers to have a stable domestic supply available to maintain a healthy and reliant source of supply.
- xii) Large section of the perfumery segment is exporting the downstream product, i.e., fragrance/perfume and these producers are importing subject goods under the advance license.

- xiii) There be no monopolist situation for the domestic industry. The domestic industry is producing and selling several products where they are the sole producer and anti-dumping duty was in place on imports of several such products in the country. The non-imposition of duty would make the country solely dependent on imports which harms the interest of the consumers. Imports are also coming from non-subject companies who had been supplying significant volumes in the market. Further, anti-dumping duty does not restrict the imports from subject countries and merely regulate the imports.
- xiv) Duty should be imposed for five years in US dollars. Indian Rupee has depreciated significantly which has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.

J.3 Examination by the Authority

133. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that much of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant pages of the findings. Issues raised in the disclosure statement which have already examined, have not been examined now.
134. As regards the contention that the practice of the Authority is not to rely on the prices between producer/exporter and importer when they are associated entities, the Authority notes that the argument tantamount to a claim that the Authority shall invariably construct export price when the exporter and importer are affiliated. However, there is no basis for such an interpretation of Section 9A(b).
135. As regards contention that the exporter in its submissions dated 25th April 2023 submitted that the prices to related importer are not reliable and should not be considered for the purpose of export price calculations, the Authority notes that even when the exporter made submission on 25th April, 2023, no steps whatsoever were taken by the exporter and the importer to correct the irregularity till 26th September, 2023.
136. As regards the contention that the Special Valuation Branch (“SVB”) was intimated vide letter dated 26th September 2023, the Authority notes that inordinate time has elapsed first between the alleged error and its reporting to DGTR, and, thereafter, secondly between finalising questionnaire response & submissions before the DGTR and reporting to SVB. The exporter has not provided the relevant SVB documents and the Authority is unaware of the claims made by the importer with regard to the price at which imports should be assessed. The Authority notes that there were various prices in the investigation period and therefore it cannot be considered that export price to the unaffiliated customers alone might be considered as appropriate price by the SVB. The Authority is still unaware of the price that the customs authorities will eventually decide. While the plausible corrections to the export price in future may partially address the degree of dumping, in so far as the question of injury to the domestic industry and injury margin is concerned, the same stands caused by the exports already made. It was these export prices based on which the Indian industry for the PUC and the downstream industry suffered because of exports made by the exporter. Therefore, in any case, it is not established why the Authority should not consider the prices reported by the producers in their exporter’s questionnaire response.
137. The Authority notes that the exporter has admitted that the dumping margin is quite significant even if determined based on export price to affiliated customers. In so far as injury margin is concerned, in any case, such injury has occurred by the price at which goods were invoiced to the Indian importer. The domestic industry is not expected to get a better price from its customers, by contending that the prices reported by the exporters to the importer were unreliable because of affiliations, and same might be corrected after elapse of such significant time.
138. The statement that the error in the transfer pricing occurred not only in the POI but started 3 years prior and also impacted 3 other products exported by SI Korea and SI USA shows that the Indian producers and consumers of the products concerned and the downstream products have indeed suffered based on these prices at which goods have been imported during relevant period.
139. As regards the contention that SI Group has even made the provision for the payment of the duties along with the interest in their accounting books, the Authority notes that no such information is on record of the Authority.
140. As regards the contention that the transfer price would have been the same price to affiliated customer as the price to unaffiliated customer, the Authority notes that the injury to the domestic industry occurred by the prices that were reported during the relevant period. Such injury cannot be remedied by such belated correction of import transactions valuations.
141. As regards the argument that post POI data should be examined to determine material retardation, it is noted that the injury information for the POI itself adequately shows the adverse impact of imports on the domestic industry.

142. As regards the argument that the capacity of 4 butyl phenols can be used interchangeably, the Authority notes that such interchangeability of production capacities by the applicant cannot be a routine activity. Further, in any case the present capacity of the domestic industry in itself is utilised, and is largely sufficient to meet the demand of the product in the country. The domestic industry can cater to the existing demand. Further, even assuming that there could be a potential situation of demand supply gap, it is noted that there are other non-subject country sources of supply available to the consumers and thus availability of the product will not be a concern for the consumers. It is also noted that there are review provisions under the rules, which can be invoked by the interested parties.
143. As regards the submission that Vinati's annual report for FY 2019-20 indicates that it had started production of subject goods much earlier, it is noted from the excerpts of annual report of 2019-20 that it stated that the company is focusing on developing new process for production of butyl phenols. Further, annual report of 2020-21 categorically stated that butyl phenol was introduced in financial year 2021.
144. As regards the argument that price realisations projected could be for higher valuation, the Authority notes that the price realisations had been projected based on cost of goods, utilisation of capacity etc. Further, it is also noted that the company has primarily funded the investment in butyl phenol products internally, without relying on external sources like investors or banks.
145. As regards the argument that volume of sales has not been adjusted, the Authority notes that the projected sales were based on the utilisation that can be achieved by the domestic industry. The projected sales are below the level of demand in the POI. Thus, there was no need for adjusting the projected sales of the domestic industry. Further, even when demand declined from Q3 POI to Q4 of POI, the market share of subject countries increased. Thus, the domestic industry has not been able to increase its market share despite sufficient capacity and production.
146. As regards the argument that there are various different specifications of subject goods leading to difference in cost and price, it is noted that the interested parties have not provided any evidence for the same.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K. 1. Views of the other interested parties

147. The following submissions have been made by other interested parties:

- i) Imposition of anti-dumping duty in the present case would be against public interest. The domestic industry has already been performing well and has secured a significant market. Therefore, there is no need of imposition of anti-dumping duty.
- ii) Increase in costs of PUC cannot be easily passed on to end consumers. The downstream industry is sensitive to price, and any increase in costs would directly affect the cost of production of downstream products, potentially leading to market loss and manufacturing difficulties.
- iii) The imposition of anti-dumping duty would not only increase the cost of user industry but also impact the end user.
- iv) The downstream products are sold at prices that generate low margins. Any increase in costs could result in loss of market as well as the ability to continue manufacturing of downstream products.
- v) The imposition of anti-dumping duty would create a monopoly for the domestic industry.
- vi) The impact of the duty was calculated by the user industry to be around 6-8%
- vii) SI Group India's plant has been boosting employment in India from its inception. The construction and establishment of the plant provided employment to hundreds of skilled and unskilled labours.
- viii) Request the Authority to recommend the imposition of anti-dumping duty for a maximum period of 2 years if material retardation is established in the present investigation.

K. 2. Views of the domestic industry

148. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i) The consumers should have demonstrated that the cost increases were not passed on and rather absorbed.
- ii) The impact of the anti-dumping duty on the end users is very negligible
- iii) PTBCHA is largely exported and thus PTBP procured for PTBCHA is generally procured under advance license and thus the imposition of duty will not have any impact on such sales. The consumers of PTBCHA are big players who can easily absorb any impact of increase in duty. Similarly, PTBP constitutes significant part of Resin and thus they pass on the impact of increase in cost to downstream products.

- iv) The imposition of anti-dumping duty is to ensure that the imports enter the country at a fair price. There be no monopolist situation for the domestic industry. The non-imposition of duty would make the country solely dependent on imports which harms the interest of the consumers.
- v) Any increase in cost of fragrance/perfume is passed on to soaps, shampoos and detergent manufacturers who are part of FMCG sector and cost of perfumery in their cost is minimal. The impact calculated is between 0.05% on the perfumery industry and 3.38% on resin industry.
- vi) SI Group sought repeated protection from the Government on phenol, acetone and nonyl phenol. It is really double standard that is being preached by the company – one as a domestic producer and one as a consumer.
- vii) The Authority should not consider the present case as an exception and should recommend duty for 5 years. The petitioner is facing significant losses and the imports are undercutting the prices of the domestic industry. A duty levied for a shorter period of time would not be effective in addressing the material retardation suffered by the domestic industry.

K. 3. Examination by the Authority

149. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. A questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including domestic industry, the users/ consumers and upstream input suppliers to provide relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. It is noted that only SI Group India Private Limited, Eternis Fine Chemicals Limited, and Polymers and Polysols filed response to the EIQ. Barring these three, none of the consumers of the PUC have made any submissions. It is noted in this regard that consumer industry is not a small industry, and the present investigation is deemed to be within their knowledge.
150. PTBP is used in the perfumery and resin industry. The consumption of PTBP is ***% in the perfumery industry and ***% in resin industry. The table below shows consumption profile of the PUC in the downstream industry.

SN	Particulars	Unit	Soaps & detergents	Resins
1	Consumption of PTBP	MT/MT	***	***
2	Price increase in PTBP	Rs/MT	***	***
3	Increase in cost of end product	Rs/MT	***	***
4	Price of end product	Rs/MT	***	***
5	Impact of anti-dumping duty	%	<1%	<1%

151. The other interested have made submissions which have been examined by the Authority in the following paragraphs.
152. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty is to remedy the situation of dumping causing injury to the Indian industry, and establish a fair level playing field for the domestic industry. The Rules provide that amount of duty levied is restricted to what is necessary to redress the injury to the domestic industry and prevent the impact of unfair imports on the performance of the domestic industry. The application of lesser duty rule makes thus ensures that the remedy to the Indian industry is limited.
153. Some of the interested parties have claimed that imposition of anti-dumping duty would lead to establishment of the petitioner's monopoly. The Authority notes that the petitioner has begun commercial production in July 2020 and before this period, India's demand with respect to the PUC was being fulfilled through imports. Whereas about ***% of the demand for the product was being met by non-subject imports during the base year, the domestic industry presently occupies merely ***% of the market share and the rest is being catered by imports.
154. Imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports of the PUC and would only ensure that they would enter into the Indian territory at fair price. The antidumping duty is meant to only prevent dumped imports and provide remedy to the domestic industry whose growth has been materially retarded. A substantial share of the market would still be catered by such imports.
155. The Authority notes that trade remedial measures are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring level playing field to domestic producers through imposition of appropriate

duties against unfair imports of the subject goods. At the same time, the Authority is cognizant of the fact that the impact of such duties, in general, are not limited to only the domestic producers of the PUC but can also affect the users as well as consumers of the PUC. Further, imposition of duties may also lead to competition issues within the country and the Authority takes note of the same.

156. The Authority notes that the impact of duties on the end-users and consumers of the like product in India shall be minimal. The downstream industry which uses the subject goods are:
- a. PTBCHA which is used by the perfumery industry to produce fragrance.
 - b. Resin which is used in the coating/ink/adhesive industry.
157. It is noted that the subject goods as such have no direct application/use and they are transformed to have an application. The eventual end-product of PTBP in the perfumery industry is in soaps, detergent, and shampoo.
158. PTBP is used in the production of PTBCHA (4-tert-Butyl Cyclohexyl Acetate). The petitioner has claimed that the approximate consumption of PTBP is PTBCHA is around 78%. The only use of PTBCHA is in perfumery industry. The petitioner also submits that PTBCHA is largely exported and thus PTBP procured for PTBCHA is generally procured under advance license and thus the imposition of duty will not have any impact on such sales. The same has not been disputed by the other parties.
159. The Authority notes that the producers of PTBCHA pass on the changes in cost to their customer, i.e., producers of the next product, i.e., fragrance/perfume, which is used by soaps, shampoos and detergent manufacturers who are part of FMCG sector. However, the product is not used in all kinds of soaps, shampoos and detergent manufacturing. The product is used only in premium or high-end segment of soaps, shampoos and detergent manufacturing. Further, the FMCG sector in India has been registering healthy growth. The calculations provided by the domestic industry (other interested parties have not quantified impact of the proposed measures on the eventual end product) shows that cost on account PTBCHA constitutes hardly ***% of the cost of production of soaps, shampoos and detergent. Thus, even if the price of PTBP and consequently PTBCHA increase by the quantum of anti-dumping duty (i.e., ***%), the same shall imply an increase in the cost of production of soaps, shampoos and detergent by an amount in the region of ***%. Thus, imposition of measures will not impact the cost of production of eventual end product and therefore would not adversely impact relative competitiveness of the eventual end product.
160. In case of the resin industry, the petitioner claimed and the Authority notes that the approximate consumption of PTBP in resin is around ***%. The consumption of resin is in production of Coating, ink and adhesive. PTBP resin consumption in Coating, ink and adhesive is very minimal. Thus, there shall be no adverse impact of increase in cost of resin on these end products.
161. It is also been submitted by the domestic industry that a large section of the perfumery segment is exporting the downstream product, and these producers are importing subject goods under the advance license. The imports for export purposes in anyway will not attract anti-dumping duty.
162. The applicant is the sole and new producer of subject goods. Consumers were reliant only on imports prior to the establishment of production capacities by the applicant. Having a domestic source of supply would make the country self-reliant will give the customers a healthy and reliant source of supply.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

163. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry in the form of material retardation of the establishment of the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i) The product under consideration is “Para-Tertiary Butyl Phenol” or “PTBP.” PTBP is also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical / para tert butyl phenol
 - ii) The applicant started commercial production of the subject goods in July 2020. The subject goods are a new product in the country in so far as its production in India is concerned.
 - iii) The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
 - iv) The petitioner is the sole producer of the product and accounts for 100% of the Indian production. The petitioner satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and the petition satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
 - v) The present case is of material retardation to the domestic industry. The domestic industry is the sole producer of the PUC and started production in July 2020. The capacity utilization has been in the range of 25-35%. There is no major overlap between the earlier established plant and the new plant. The

domestic industry is still in nascent stage and is in the process of establishing itself.

- vi) The dumping margin of the subject goods from the subject countries and by responding producers/exporters is positive and significant.
 - vii) The volume of imports from subject countries increased till 2021 – 22 and declined in the POI following the movement of demand. Imports increased despite commencement of production by the domestic industry. The market share of the domestic industry during the POI has increased, but the domestic industry has captured the market share that was vacated by non-subject country imports.
 - viii) The landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry. Further, the selling price is even below the normated level of cost of sales throughout the injury period. The increase in the landed price of imports was much lower than the increase in the cost of sales and selling price of the domestic industry. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.
 - ix) As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:
 - a. The performance of the domestic industry in terms of production, installed capacity, sales volumes has improved during the POI as compared to the base year, however, remains significantly below the levels projected.
 - b. The petitioner is suffering significant financial losses in its profit/loss, PBIT, and ROI. Even when the domestic sales increased over the injury period, the losses suffered by the domestic industry also increased over the period.
 - c. The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year.
 - d. The salary and wages, productivity per day, and productivity per employee has improved during the POI as compared to the base year.
 - e. A comparison of the actual performance as against the projected performance of the domestic industry shows that its actual production and profits have fallen short during the POI.
 - x) The domestic has suffered injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.
 - xi) The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the injury in the form of material retardation to the establishment of the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.
 - xii) The antidumping duty is in the public interest. Establishment of the domestic industry will make the country self-reliant and will give an alternate domestic supply to the consumers. The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the measures will be <1% considering the nature of the PUC being consumed. The Authority has additionally examined the impact on the eventual downstream product, and it is seen that even if the user industry passes on the cost of anti-dumping duty, the impact on the eventual end consumers will be insignificant. None of the user industry has participating, indicating the user industry is not impacted. The imposition of anti-dumping duty would not have any significant adverse impact on public interest.
164. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassies of the subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material retardation to the establishment of the domestic industry caused by such imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is necessary.
165. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29071940	Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)	Korea RP	Any country, including Korea RP	SI Group-Korea Ltd.	208	MT	USD
2	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than (1)	357	-do-	-do-
3	-do-	-do-	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	Korea RP	Any	357	-do-	-do-
4	-do-	-do-	USA	Any country including USA	SI Group Inc.	790	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Any producer other than (4)	881	-do-	-do-
6.	-do-	-do-	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	USA	Any	881	-do-	-do-
7.	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	Any	349	-do-	-do-
8.	-do-	-do-	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	Singapore	Any	349	-do-	-do-

M. FURTHER PROCEDURE

166. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority